Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ८५ वां दिवस [संख्या २३

सोमवार, दिनांक २६ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, देवस्थान, पंचायत, शिक्षा, यातायात, समाज कल्याण, कर एवं विकास-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

जंगल की अवैध कटाई से नुकसान-रेन्ज चित्तौड़गढ़

४८१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या रेन्ज चित्तौड़गढ़ की अवैध कटाई के बारे में कोई कागजात सरकार के विचाराधीन हैं? अगर हां, तो कब से? इसका निर्णय कब तक दिया जायेगा?

(२) क्या इसी रेन्ज के रेन्ज ऑफिसर के खिलाफ जंगल बानसी, भैंसरोड़गढ़ आदि में इस प्रकार की अवैध कटाई के कागजात तरतीब पाये गये? यदि हां, तो उसमें कब और क्या निर्णय हुआ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) रेन्ज चित्तौड़गढ़ में कितने जंगल की अवैध कटाई हुई और उससे सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी?

उप-मन्त्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, अगस्त सन् १९६२ से। विभागीय जांच पूर्ण होने पर निर्णय जल्दी ही ले लिया जायेगा।

(२) जी हां, भैंसरोड़गढ़ रेन्ज में इस प्रकार की अवैध कटाई के पत्रादि मुरतिब हुए हैं। इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। जांच

Page No. 2

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा। बांसी में इनके समय में अवैध कटाई का कोई मामला सामने नहीं आया।

(३) अवैधानिक कटाई तथा नुकसान का सही अनुमान विभागीय जांच समाप्त होने पर ही लगेगा।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यह जांच कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही हो जायेगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह जो अवैध जंगल कटाया तो इसका किस प्रकार से असेसमेंट किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : शिकायत आने पर जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ज्यादा काटी है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने कहा कि हमें मालूम नहीं कि कितनी काटी है; तो फिर आपने कैसे कहा कि अवैध काटा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पूरी जांच होने के बाद ही मालूम हुआ है।

श्री अब्दुलजब्बार : कितने धन की इससे हानि हुई है, कुछ मालूम होगा क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५८७

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान।

देवस्थान की भूमि

५८८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) [श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया] : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले में गत १५ वर्षों में देवस्थान की भूमि किसको कितनी कितनी दी दी गई है और किस किस दर पर ?

(२) क्या यह सही है कि जिस दर पर भूमि दी गई है उससे देवस्थान को काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) देवस्थान के डाइरेक्ट चार्ज मन्दिरों की कोई भूमि किसी को नहीं दी गई है। अलबत्ता देवस्थान के अधीनस्थ चन्द आत्मनिर्भर मंदिर हैं उनकी भूमि समय समय पर दी गई है जिसकी सूचियां सभा की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) यह सही नहीं है कि जिस दर पर भूमि दी गई है उससे देवस्थान को काफी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नुकसान हुआ है क्योंकि यह भूमि ज्यादातर पथरीली है जहां पर हल्के दर्जे का घास होता है। यह भूमि मेम्बरान कमेटी की राय से मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मन्दिरों के हित में दी गई है इसलिये नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि देवस्थान की भूमि नियमानुसार नीलाम होनी चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लाड्ढा : ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जो कीमत सही आती है या नहीं आती है उसका निर्णय कौन करता है, क्योंकि आपने २६०० बीघा जमीन ४३ पैसे फी एकड़ के हिसाब से बेची तो क्या अन्दाजा लगाया जाये कि इसकी कीमत सही नहीं आई तो इसकी कीमत सही रूप से आई या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि एक कमेटी है जोकि जमीन को मौके पर देखती है और बेचने के बारे में बात-चीत करती है और उनकी सलाह से ही ऑफिसर इन्चार्ज बेचता है। इसके अलावा जो जमीन है वह आत्मनिर्भर मन्दिरों की है और जो पहाड़ी है और पथरीली है और गांव से बहुत दूर है; जिसमें घास के अलावा खेती नहीं होती है इसलिए लाएबिलिटी के रूप में वह जमीन थी। इसलिए सन् ५१ से लेकर आज तक यह बेची गई उसकी लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : देवस्थान विभाग के इस संबंध में कोई रूल्स नहीं बने हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भूमि आत्मनिर्भर वाले मन्दिरों की है और विभाग के डाइरेक्ट चार्ज वालों की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह चाहे किसी की भी हो, इस संबंध में रूल बने हैं क्या कोई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में कोई रूल्स का होना नहीं पाया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कोई आधार तो होना चाहिए जिसके ऊपर यह भूमि वितरित होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां की स्थिति को, परिस्थिति को और वहां की साधारणतया कीमत को देखते हुए फैसला करते हैं लेकिन इसके संबंध में भी उचित नियम बनाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप इसके लिए रूल्स की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इस संबंध में उचित नियम बनाने का प्रयत्न करेंगे।

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : आपने कमेटी को आदेश दे रखे हैं कि वह अपने डिस्क्रिशन से जमीन डिसपोज़ ऑफ कर सकती है; क्या उसकी गाइडेन्स के लिए सरकार ने कोई इन्सट्रक्शन्स इश्यू किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार नियम नहीं हैं और अब हम इस संबंध में उचित नियम बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी डिस्पोज़-ऑफ कर सकती है इसके बारे में जो भी बताया····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया कि कोई नियम होते तो कह देता । नहीं हैं, तो अब हम करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जो आपके डाइरेक्ट चार्ज में मन्दिर हैं उनका तो आपने बता दिया····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डाइरेक्ट चार्ज का तो बताया ही नहीं और ऐसी कोई सम्पत्ति हमने विक्रय नहीं की। गवर्नमेंट की कोई प्रोपर्टी विक्रय नहीं की इसलिए कह दिया कि नहीं की । और जो आत्मनिर्भर मन्दिर थे वह बहुत ज्यादा नहीं हैं । यह ऋषभदेव और धूलपा का है और यह ज्यादा लैण्ड थी। उसके अलावा कोई नये हिस्से की नहीं है और उसके संबंध में मैंने कहा है ।

श्री विजयसिंह झाला : यही जमीन देवस्थान के अलावा और उसी क्षेत्र में बिकी है वह ज्यादा रेट में बिकी है । यह पन्नालाल पिता सुन्दरलाल ११०० बीघा एक पैसे फी बीघा के हिसाब से दी गई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार देवस्थान की जमीन को बर्बाद करना और लुटाना है और इसका दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। इस प्रकार जो कीमत आनी चाहिए, एक पैसा फी बीघा कहीं भी कीमत नहीं है, फिर वह जमीन भी किसानों को नही दी गई । एक बम्बई के सेठ को २६०० बीघा जमीन ४३ पैसे फी एकड़ के हिसाब से दी गई । इसी प्रकार श्री श्रवणलाल अमरचन्द को ४५ पैसे के हिसाब से दी गई । इसी प्रकार बहादुरसिंह पिता जवानसिंह, राजपूत को २१ पैसे के हिसाब से १७१६ बीघा जमीन दी गई । इसके सिवाय बम्बई के सेठ को १६०० बीघा २१ पैसे फी बीघा के हिसाब से दी गई । वहां की जमीन यदि, अध्यक्ष महोदय, नीलाम की जाती तो ५० पैसे फी बीघा के हिसाब से कम से कम जाती और यह जमीन सन् ५१ में बेची गई जब कि टीनेन्सी एक्ट लागू था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय किन परिस्थितियों में, कौन सी भूमि बेची, इसके बीच में सैकड़ों ट्रान्ज़ेक्शन्स हैं, हर एक की डिटेल तो मालूम नहीं है इसलिए नहीं कह सकता कि किन परिस्थितियों में, कौन सी जमीन, किस भाव बेची गई । किसी पर्टीकुलर लैण्ड का होता तो मैं जानकारी करके बता देता ।

श्री विजयसिंह झाला : यह मैंने बताया, यह ३०० आदमियों की लिस्ट है और इसमें और भी नाम बहुत हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौन सा आइटम है ?

Page No. 5

श्री विजयसिंह झाला : आइटम नं० ६, श्री पन्नालाल पिता सुन्दरलाल १६५५ बीघा जमीन के कुल ११ रुपये आये हैं और एक न० पै० का हिसाब है और सन् ५१ में बेची गई जब की टीनेन्सी एक्ट की नीति आपने स्वीकार कर ली थी। जो खेती करता है उसी को जमीन मिलनी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप गलत समझ रहे हैं; ११६५ मुरब्बा गज जमीन है, एकड़ नहीं है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : वह तो और भी ज्यादा हुई फिर।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : काश्त लायक जमीन थी या कैसी जमीन थी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस किस्म की भूमि थी।

श्री भैरोंसिंह : आबादी की भूमि के लिए नहीं बताया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका शिड्यूल इसके साथ नत्थी कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : फतह मेमोरियल के द्वारा जो भूमि अलॉट की गई थी वह भी शामिल है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके लिए १८ तारीख को प्रश्न था लीज़ वाला, उसके अन्दर वह सम्मिलित था।

श्री भैरोंसिंह : मैं उस लिस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा था। वह इस लिस्ट में भी शामिल है क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सेल की लिस्ट है, वह लीज़ है।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या सरकार इस ट्रान्जेक्शन पर पुन विचार कर सकती है?

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन तो सैल के लिए नहीं पूछा गया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि चूंकि यह दो क्वेश्चन्स एक ही साहब के पूछे हुए थे, १८ तारीख को जो क्वेश्चन था उसका यह जवाब है और यह अलग सा क्वेश्चन है। वह इसमें सम्मिलित नहीं है, मैं स्वयं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : वह सम्मिलित नहीं है तो यह माना जाय कि देवस्थान विभाग के द्वारा ही फतह मेमोरियल की जमीन दी गई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीज़ तो देवस्थान विभाग द्वारा ही दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसके कोई नियम नहीं बने हुए हैं फतेह मेमोरियल की जमीन को एलॉट करने के लिए और न सरकार ने कोई इन्स्ट्रक्शन्स दे रखे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह सरकार की सेन्क्शन होने के बाद ग्रान्ट होती है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जितने आदमियों को जमीनें एलॉट की हैं, क्या उन सब पर सरकार की सेन्क्शन हुई है?

Page No. 6

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीज़ वाली जमीन पर सरकार की सेन्क्शन हुई है।

श्री भैरोंसिंह : लीज़ के लिए तो सरकार की सेन्क्शन की आवश्यकता हो जाय और सेल के लिए सरकार की सेन्क्शन की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह एक विशेष प्रकार की ट्रस्ट प्रोपर्टी है। डाइरेक्ट चार्ज टेम्पल में भी नहीं है, क्योंकि वहां पर फतह मेमोरियल में कोई मन्दिर नहीं है, न दूसरे मन्दिरों की तरह है। उसकी विशेष परिस्थिति है, इसलिए उसके जो ट्रान्ज़ेक्शन्स होते हैं तो गवर्नमेंन्ट के यहां आने पर होता है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट जिन चीजों पर सेन्क्शन देती है उसके पहले गवर्नमेन्ट इस बात का एसेसमेन्ट कैसे करती है कि जितने रुपये में लीज़ या सैल पर देने के लिए नीचे से सिफारिश करती है वह वाजिब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी के बारे में सेन्क्शन नहीं दी सिवाय दो-तीन के।

श्री भैरोंसिंह : उनके बारे में क्या डिटर्मिनेशन किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस क्वेश्चन का डिटेल्ड रिप्लाई १८ तारीख को था इसलिए इसमें भी सम्मिलित नहीं है। वह क्वेश्चन फिर कभी भी उठाया जा सकता है और बतलाया जा सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि कुछ देवस्थान विभाग की भूमि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बिल में लिखा हुआ था उसके बावजूद भी कुछ आदमियों को उस बिल के विपरीत जिसमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वह जमीन रखी थी वह बेची या लीज़ पर दी ?

श्री रामप्रसाद लडढा : किसकी जमीन ?

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई जमीन किसी बिल के विपरीत नहीं बेची गई है, इसका जवाब नहीं आया है।

श्री विजयसिंह झाला : फतह मेमोरियल की जमीन के लिए हिज़ हाइनेस फतहसिंहजी ने यह लिखा था कि यह जमीन फतह मेमोरियल के अन्दर जो किसान ठहरते हैं उनके लिए ही काम में लाई जाय। इस जमीन को लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंन्ट ने मांगा था, उस समय देवस्थान विभाग ने लिखा है कि उस बिल के विपरीत जमीन नहीं दी जा सकती है......

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला : उसको आपने कालटैक्स कम्पनी को दे दिया है।

प्रश्न संख्या ४८६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६०

श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

विस्थापित अध्यापक एवं उनके मकान किराये की बकाया

५६१. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : Will the Education Minister please state —

(1) How many refugee teachers of Primary Schools of Jodhpur have not been given the arrears of Houserent from April, 1951 to June, 1952 yet ?

(2) Whether the Collector of Jodhpur has sent a letter to the Inspector of Schools, Jodhpur to expedite the payment ? If yes, when ?

(3) Who is responsible for such delay and what action has the Government taken in this connection so far ?

(4) Does the Government intend to give the dues to the poor refugee teachers ? If yes, when ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) ४० विस्थापित अध्यापकों की।

(२) जी हां। ३१-१-६१ को।

(३) ये अध्यापक पहले पुनः संस्थापन विभाग के अधीन थे। इस संबंध में निरीक्षक शिक्षणालय, जोधपुर तथा पुनः संस्थापन विभाग, जोधपुर के अन्तर्गत पत्र-व्यवहार होता रहा। अन्तिम बार बिल १९५८ में पुनःसंस्थापन विभाग को भेजा जो कि सरकार के पुनः संस्थापन विभाग ने अस्वीकृत कर दिया।

(४) शिक्षा विभाग पुनःसंस्थापन विभाग से सम्पर्क करके इस मामले की छानबीन करेगा।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां दूसरे छोटे छोटे केसेज़ में, जो कि पेन्शन्स को इफेक्ट नहीं करते हैं, उनके बारे में आपने रिलेक्सेशन ऑफ रूल्स किया है, तो ऐसे अध्यापकों के बारे में जो कि पुरुषार्थी हैं उनके लिए मूव करके फाइनेन्स डिपार्टमेंट से उनको दिलायेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मानवीय दृष्टिकोण से यह प्रश्न फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पुनः रेफर किये जाने के योग्य है। कई छोटे-मोटे मामलों में, कई एरियर्स के सम्बन्ध में फाइनेन्स के रूल्स में जो पेन्शन को इफेक्ट नहीं करते हैं उनको रिलेक्स किया है। मैं प्रयत्न करूंगा कि इसको वापिस एज़ीटेट करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से कब पुनः ट्रान्सफर हुए थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५८ में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय ट्रान्सफर हो गये उसके बाद कोई बकाया नहीं है ? क्या यह सही है कि उसके बाद का भी बकाया है ?

Page No. 8

श्री निरन्जननाथ आचार्य : किस सम्बन्ध का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेन्ट के बारे में।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वही तो बकाया का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब रिहे-बिलिटेशन डिपार्टमेन्ट के मातहत थे....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मातहत नहीं कहा। १९५८ का यह प्रश्न है और तब से आई० ओ० एस० और पुनःसंस्थापन विभाग में चल रहा है। एरियर्स का ५६ में फिर एजोटेट किया और उसके बाद में वापिस दूसरी बार ५६ के दूसरे महीने में यह रिजेक्ट हुआ। इसलिए हमने यह फाइनेन्स विभाग की सहानुभूति प्राप्त करके, उनकी हमदर्दी शिक्षकों के आधार पर प्राप्त करके वापिस रीएजीटेट करना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमदर्दी नहीं मिलेगी जब तक कि कौल साहब की खुशामद नहीं करेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने संकेत को समझ लिया है, इसके लिए धन्यवाद।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के आधार

५६३. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विभिन्न बस मार्गों (रूट्स) का राष्ट्रीयकरण किन आधारों पर किया जाता है ?

(२) जयपुर-बीकानेर रूट का अब तक राष्ट्रीयकरण नहीं किए जाने के क्या कारण है ?

(३) इस रूट का राष्ट्रीयकरण कब तक करने का सरकार इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमतीकमला बेनीवाल) : (१) राष्ट्रीयकृत मार्ग का चुनाव करते समय निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखा गया है :

(१) देश की राजधानी तथा राज्य की राजधानी को जोड़ना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आवाज नहीं आ रही है जरा जोर से बोलें।

श्रीमती कमला बेनीवाल: (१) देश की राजधानी तथा राज्य की राजधानी को जोड़ना।

(२) राज्य की राजधानी तथा डिवीज़न के प्रधान कार्यालयों तथा जिले के प्रधान कार्यालयों को जोड़ना।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(३) मुख्य मुख्य अन्तर-प्रान्तीय मार्गों को जोड़ना तथा उन सहायक सड़कों को जोड़ना जो मुख्य राष्ट्रीयकृत मार्गों के विकास के लिए आवश्यक हैं।

(४) विभाग द्वारा राष्ट्रीयकरण की एक पंचवर्षीय योजना सरकार को पेश की गई थी जिसमें जयपुर-बीकानेर रूट का भी प्रस्ताव था। राज्य सरकार ने १९६३—६४ तक के प्रस्ताव तो मंजूर किये तथा अन्य मार्गों की विस्तृत योजना बनाने हेतु एक समिति गठित कर यह कार्य उसे सौंप दिया गया। समिति की कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी।

(३) राजस्थान स्टेट रोडवेज़ के लिए अब एक कार्पोरेशन बना दिया गया है जो अब राष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों की एक योजना तैयार करेगा।

श्री फूलचन्द जैन : आप बताइये कि टोप प्रायोरिटी किन किन मार्गों को दी जाती है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपको बताया कि यह १, २, ३, प्रायोरिटी के बेसिस हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आपने बताया कि जयपुर-बीकानेर रूट उसमें आता है, उसको आपने नहीं लिया है और छोटे छोटे रूट्स हैं उनको ले लिया है, करीब करीब दो साल से बराबर मांग की जा रही है। आश्वासन जरूर मिलता है कि यह विचाराधीन है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उसका कारण मैंने भाग (२) में बताया है कि समिति जो बनाई गई थी इसकी विस्तृत योजना के लिए कि ६४—६५ में और कौन कौन से मार्गों को लिया जाय। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की, उसके पहले ही कॉर्पोरेशन बन गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त हाई पॉवर कमेटी ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकारको दे दी है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह हाई-पॉवर कमेटी नहीं, स्पेशल कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में उस समिति का रेफरेन्स दे रही हूं?

श्री भैरोंसिंह : इसी समिति से मतलब है कि इस समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकारको दे दी है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी तक नहीं मिली?

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह सवाल है कि आप यह बताने की कृपा करें कि जब सिद्धांत आपने लेडाउन कर दिया उसी सिद्धांत पर कमेटी चलेगी या नहीं? कमेटी की रिपोर्ट नहीं है आपके पास तो जो आज तक राष्ट्रीयकरण हो रहा है और जो सिद्धांत सरकार ने इनीशियेट किये हैं उनके विरुद्ध चल रहे हैं या उनके अनुसार ही चल रहे हैं?

Page No. 10

श्रीमती कमला बेनीवाल : सिद्धांत के अनुकूल ही चल रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कौन से रूट को नेशनलाइज़ करना है, इसका निर्णय कॉर्पोरेशन करेगा जैसा कि आपने कहा; क्या सदन के फैसले के विपरीत भी कॉर्पोरेशन निर्णय कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : सदन का फैसला नहीं है इस बारे में।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में यह आया है कि ये ये रूट्स नेशनलाइज़ होने चाहिये तो क्या कॉर्पोरेशन सदन से भी सुप्रीम रहेगा या जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार करेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सदन ने अभी फैसला नहीं किया है। कमेटी का फैसला सरकार ने किया था और उस कमेटी ने पंच वर्षीय योजना तैयार की जिसमें सन् ६३-६४ तक का प्रोग्राम जितना था गवर्नमेन्ट ने उसको मान लिया है। बाकी के लिए कमेटी को स्पेशल जानकारी करके डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए रेफर किया था। समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं दी, उसी बीच में कॉर्पोरेशन बन गया। आगे की योजना के बारे में कॉर्पोरेशन तय करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन रूट्स को नेशनलाइज़ करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय कर लिया है उसको भी क्या कॉर्पोरेशन रिव्यू करेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वे रिव्यू करके गवर्नमेन्ट को कारण बतायेंगे कि इन इन कारणों से हम नेशनलाइज़ नहीं कर सकते। यदि वे कारण सही हैं तो गवर्नमेन्ट कॉर्पोरेशन की बात मानेगी, अन्यथा गवर्नमेन्ट के निर्णय को इम्पलीमेन्ट करने के लिए कहेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जब सदन में कुछ रूट्स नेशनलाइज़ करने की रिपोर्ट दी गई थी उस समय कॉर्पोरेशन बनाने की कल्पना सरकार के दिमाग में थी या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपको मालूम है कि जून में कॉर्पोरेशन बनना शुरू हुआ था, उसके पहले कॉर्पोरेशन की कल्पना नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर कॉर्पोरेशन का जन्म कैसे हुआ जब कि आपने रूट्स नेशनलाइज़ करने का निर्णय लिया उस समय कॉर्पोरेशन की कल्पना नहीं थी तो ?

श्री अध्यक्ष : कॉर्पोरेशन बनाने का मतलब यह नहीं है कि नीति बदलेगी। नीति को जल्दी कार्यान्वित करने के लिए कॉर्पोरेशन बनाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले भी रूट्स का नेशनलाइज़ेशन हुआ, सरकार ने उसकी रिपोर्ट दी उसके बाद कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं उसका आधार क्या था जब कि सरकार द्वारा रूट्स का नेशनलाइज़ेशन

Page No. 11

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होने के बाद इन्कम बढ़ने लगी तो फिर कॉर्पोरेशन का क्यों जन्म हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राष्ट्रीयकरण की योजना जिस गति से राज्य सरकार चलाना चाहती थी उनमें वित्तीय संकट आता था, इसलिए पहले कोशिश यह की गई कि लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन एग्री कर जाय तो पैसा लगा कर योजना को क्रियान्वित किया जाय, पर जब वहां से सहयोग नहीं मिल सका तो वित्तीय संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार से बात-चीत की गई और हमारे इस सुझाव को उन्होंने मंजूर कर लिया, तब राष्ट्रीयकरण की योजना को गति देने के लिए यह कॉर्पोरेशन कायम किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कॉर्पोरेशन....

श्री अध्यक्ष : कॉर्पोरेशन पर बहस नहीं हो सकती।

प्रश्न संख्या ५६४

श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बजट....

श्री अध्यक्ष : No more supplementaries.

प्रश्न संख्या ५६५

श्री बिरदाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह।

जिला परिषदों से ली गई मन्त्रणा

५६६. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Panchayat kindly say:—

(1) On what specific matters has the State Government expressly sought advice from Zila Parishads during the past 3 years in pursuance of clause (XII) of section 57 of the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishads Act, 1959 ?

(2) In how many cases has such advice been disregarded ? Were any reasons made known to the Zila Parishads for thus disregarding the advice they had tendered ? This information may please be supplied in respect of each of the 26 Zila Parishads of Rajasthan.

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अगले टर्न पर दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जयलाल।

अटरू राजकीय समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में विद्यार्थियों के रहने सम्बन्धी व्यवस्था।

५६७. श्री जयलाल (डग) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि अटरू राजकीय समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में वहां

(श्री जयलाल)

के विद्यार्थियों के रहने के मकान व पलंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह भी सच है कि वहां छात्रावास के हिसाब में भी घोटाला है ?

(३) यदि हां, तो कितना व उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) समुचित व्यवस्था है तथा यदि कुछ कमी पाई गई तो और वृद्धि करादी जायगी।

(२) अटरू छात्रावास के हिसाब में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक से १२५३.४४ रुपये वसूल कर लिए गये हैं। प्रारम्भिक जांच के आधार पर अधीक्षक को मौअत्तिल कर दिया गया है और जांच अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध नियमित जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह वसूली किससे की जा रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अधीक्षक से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके खिलाफ और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मौअत्तिल कर दिया है और जांच के ऑर्डर्स दे दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें कुल रुपये कितने बकाया थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १२५३.४४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बकाया थे या एम्बेजलमेन्ट किया गया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एम्बेज़लमेन्ट करना पाया गया है। बकाया तो किसी के नाम हो तो बकाया है। उनके नाम होता तो बकाया माना जाता। वसूली की गई है इस लिए एम्बेज़लमेन्ट ही हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एम्बेज़लमेन्ट हो सकता है तो पैसा वसूली और बकाया कार्यवाही क्या हो रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा कि जांच हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वह आदमी सर्विस में कांटिन्यू कर रहा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मुझे नहीं है। तीन पोइन्ट्स हैं; गलती पाई गई, रुपये वसूल किये गये और जांच की कार्यवाही हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गलती पाई गई, एम्बेज़लमेन्ट है और आदमी कायम हैं। उसको क्यों नहीं सस्पेन्ड कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : सस्पेन्ड कर दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभी अनियमितताएं मैंने बताई।

श्री दयाचन्द सोन : छात्रावास में कुल कितने लड़के हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६५ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पलंग कितने हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं स्थिति बता रहा हूं। पहले वहां पर २० लड़के थे। इस साल ४० छात्रों की संख्या और बढ़ाई गई। उसी के आधार पर सामान भी बढ़ेगा। पूरा सामान अभी नहीं पहुंच पाया है।

श्री जयलाल : वहां पर सोने के लिये पूरे पलंग या लकड़ी के तख्ते नहीं हैं, वे वहां पर भेड़-बकरियों की तरह रहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि विद्यार्थी जमीन पर सोते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनको पूरा सामान नहीं मिला इसलिए लाजिमी है कि जमीन पर सोते होंगे। हम भी जमीन पर सोते थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक खाट पर कितने सोते है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खाटों के लिये टेन्डर मांगे गये हैं। जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी सोना पड़ता है। हम भी सोते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

हायर सेकेन्डरी एवं हाई स्कूल पास विद्यार्थियों की संख्या

५६८. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले में सन् १९६० से लेकर १९६३ तक कितने छात्र व छात्राओं ने हायर सेकेन्डरी एवं हाई स्कूल की परिक्षायें पास कीं और इन वर्षों में कोटा के कॉलेज में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया ?

(२) क्या यह सच है कि जिले में सिर्फ कोटा में ही कॉलेज होने के कारण तथा दूरी व शहरी खर्चा अधिक होने के कारण निर्धन छात्र कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

(३) क्या यह सच है कि बारां में यदि कॉलेज खोल दिया जावे तो कोटा जिले के गांवों के निवासी अपने लड़कों को कॉलेज में भर्ती कराकर अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं ?

(४) यदि हां, तो बारां में कब तक कॉलेज खोल दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) पास होने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या :

	१९६०	१९६१	१९६२	१९६३
हायर सेकेन्डरी	२५७	२६७	४२०	४३७
हाई स्कूल	३१८	३७४	४३६	५०७
कोटा कॉलेज में प्रवेश होने वालों की संख्या	४३७	५६६	७५३	७८५

Page No. 14

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) यह अपने अपने मत की बात है।

(३) यह भी अपने अपने मत की बात है।

(४) सरकार का इस वक्त बारां में कॉलेज खोलने का कोई इरादा नहीं है।

श्री दयाचन्द सोनः क्या यह सत्य है कि बारां के नागरिकों का एक शिष्ट मंडल शिक्षा मंत्रीजी से मिला और शिक्षा मंत्रीजी ने उनसे कहा कि ४० हजार रुपयों की मदद दे दो तो कॉलेज खोल दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी जानकारी में नहीं है। रेकॉर्ड पर भी ऐसा नहीं है।

श्री दयाचन्द सोनः किसकी जानकारी में है ? आप पूछ कर आये या नहीं शिक्षा मंत्रीजी से ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः प्रश्न मुझसे आपने नया किया है अभी।

श्री दयाचन्द सोन : शिक्षा मंत्रीजी से पूछा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः मैं जबाब दे रहा हूं। मेरे और शिक्षा मंत्रीजी के बीच में बड़ा फासला है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह फासला मिटेगा कब ?

श्री दयाचन्द सोनः इनसे पूछ कर जबाब दें।

श्री निरंजननाथ आचार्यः पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सीधा जबाब है।

श्री दयाचन्द सोनः क्या शिक्षा मंत्रीजी बतायेंगे कि ऐसा आश्वासन दिया या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्यायः शिक्षा मंत्री भी बुद्धी रखता है। बिना बुद्धि के वह नहीं कह सकता कि ४० हजार में कहीं कॉलेज खुल सकता है।

श्री दयाचन्द सोनः मेरी समझ में नहीं आया कि आपने क्या फरमाया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्यायः स्कूल की बात तो समझ में आ सकती है कि खुल जायगा, लेकिन कॉलेज ४० हजार में कैसे खुलेगा ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपको कितने रुपये चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः ८ लाख बिल्डिंग के लिये और २ साल का रेकरिंग एक्सपेन्डिचर।

श्री भैरोंसिंहः (किशनपोल, जयपुर) कॉलेज खुले या नहीं, लेकिन ८ लाख में "दा साहब" को रिप्लेस कर देंगे।

श्री अब्दुलजब्बारः आप ८ लाख में गारन्टी देते हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः आज के भाव में ८ लाख, आगे भाव बढ़ जायेंगे तो १० लाख।

(विराम)

Page No. 15

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अगर ८ लाख एक साल का खर्च दे दें तो हम स्कूल खोल दें।

श्री अब्दुलजब्बार : इस देश की सांस्कृतिक परम्परा यह रही है कि वृक्षों के नीचे विद्यार्थी विद्या पाते रहे हैं और पाते रहेंगे। आप एक साल का ८ लाख का एक्सपेंडीचर बतलायें। मैं निवेदन करता हूं कि महरबानी करके गरीब विद्यार्थियों के लिये कुछ काम करिये। यह समय का भी तकाज़ा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अच्छा। प्रेयर !

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

रोडवेज बस स्टैंड, घाटगेट, जयपुर

५६६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज़ का बस स्टेन्ड घाटगेट, जयपुर का निर्माण कब कराया गया था ? यह कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया था या विभाग द्वारा ?

(२) क्या यह सच है कि इसकी सीमेंट की फर्श में गहरे गहरे गड्ढे पड़ गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस स्टेन्ड पर बिजली को फिटिंग को हुए करीब एक साल हो गया है, पर कनेक्शन नहीं दिया गया है जिससे रात में मुसाफिरों को काफी परेशानी होती है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) घाटगेट बस स्टेन्ड का निर्माण कार्य सन् १९६२–६३ में कराया गया। इस पर कुल खर्चा ८११५ रुपये हुआ तथा इसका निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था।

(२) जी नहीं। यात्रियों द्वारा सामान ऊपर से डालने से तथा उतारने चढ़ाने से मामूली पपड़ी उतर गई है।

(३) जी नहीं। बिजली का फिटिंग फरवरी, १९६४ में हो गया था तथा १ मार्च, १९६४ को बिजली का कनेक्शन चालू हो गया था अतः मुसाफिरों को कभी भी कष्ट उटाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरे नम्बर के प्रश्न का जबाव दिया, यह, अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने देखा है जब महुआ चुनाव में मैं गया था। मैंने देखा बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। आपने कहा-मामूली पपड़ी उतर गई है, जब कि १९६३-६४ में निर्माण हुआ है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने १९६२-६३ कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : १९६२-६३ में निर्माण हुआ, जब कि १९६३-६४ में गड्ढे पड़ गये, यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निवेदन कर चुकी हूं कि गड्ढे नहीं पड़े हैं ; मामूली पपड़ी उतर गई है। सामान के बार-बार उतारने चढ़ाने से क्रेक होता है और पपड़ी उतर जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सामान तो रेल्वे स्टेशन पर भी उतारा चढ़ाया जाता है, वहां तो पपड़ी नहीं उतरती है। यहां क्या बात है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस प्रश्न के रेफरेन्स में जांच कराई गई थी। उसकी जो सूचना मिली वह मैंने आपको बताई। आप कहते हैं कि गड्ढे पड़े हैं तो एक बार फिर जांच करा लेंगे और गड्ढे नुकसानदेह हैं तो उनको ठीक कराया जायगा।

श्री जयनारायण सलोदिया : गड्ढे तो नुकसानदेह हैं ही। लेकिन इससे यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट कितनी सक्रिय है। १९६२-६३ में निर्माण हुआ और १९६३-६४ में गड्ढे पड़ गये। इसकी जवाब देही किसकी होनी चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (यातायात मंत्री) : देख लेंगे, कहा न !

प्रश्न संख्या ६००

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

रोडवेज़ विभाग में नियुक्तियां आदि

६०१. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री जे. के. जैन, आर. ए. एस. का सोफा सेट आर. जे. एल. ७२११ रोडवेज की गाड़ी में तारीख २३-३-६२ को फ्री ले जाया गया जिसका कन्डक्टर श्री मोहनलाल शर्मा था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कन्डक्टर ने टिकिट बनाने को कहा था ? क्या श्री अग्रवाल, अकाउन्ट्स ऑफिसर ने इसके लिए चिट्ठी लिखी थी ?

(२) क्या श्री सोलंकी जी पहिले सब-जेलर थे उन्हें पी. एस. सी. ने टी. आई. के लिये सिलेक्ट किया था ? अगर हां, तो फिर तीन साल के बाद उन्हें वापिस क्यों हटाया गया और अब वे कहां हैं ?

(३) क्या यह सही है कि रोड़वेज विभाग के अधिकारी बगैर चार्जशीट दिये और शो-कॉज़ नोटिस दिये ही टी. आई. की पोस्ट पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को डिग्रेड करके क्लर्क बना सकते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि रोड़वेज में प्रमोशन में पक्षपात होता है ? अगर नहीं, तो श्री एल.एस. चौहान जो क्लर्क भर्ती हुआ और १३ मार्च, १९६२ को केवल ढाई साल की अवधि में ही टी. आई. कैसे बना ?

(५) क्या यह सही है कि सीनियर कर्मचारी प्रमोशन नहीं पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(अब्दुल जब्बार)

(६) क्या रोडवेज़ में सीनियोरिटी लिस्ट मेन्टेन की जाती है ? अगर हां, तो निम्न सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रखें :

क्रम संख्या	नाम मय पद टी. आई. और ए. टी. आई.	साबिक नौकरी कहां थी
१	२	३

पी. एस. सी. से आने की तारीख व कन्फर्मेशन व प्रमोशन की तारीख

कार्य विवरण ६२-६३ वर्ष में रोडवेज़ में करप्शन केसेज़ जिसमें हर कर्मचारी की कार्य कुशलता बतलायें	
४	५

प्राइवेट गाड़ियों के साथ ... कि ... कि ... के

(७) जिन ए ... ट ... प्राइवेट के विरुद्ध शिकायतें आई ... किनने अमेन्ड हुए त ... पुन ... उन्ह म ... का ... पर लिये ग ... ...

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : दिनांक २२-३-६३ को गाड़ी नं० आर. जे. एल. ७२११ में मोहनलाल कन्डक्टर था, एक सोफा सेट श्री जे. के. जैन. के लिए जयपुर से अजमेर भेजा गया। अकॉउन्ट्स ऑफिसर श्री अग्रवाल द्वारा भेजी गई चिट्ठी पर जांच चल रही है। सोफे के किराये की वसूली की कार्यवाही जारी है।

(२) जी हां। श्री सोलंकी को आर. पी. एस. सी. के सिलेक्ट किये जाने के बाद इस विभाग में अस्थाई तौर पर उन्हें टी. आई. के पद पर लगाया गया था लेकिन उनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर उन्हें उनके मूल विभाग में वापिस भेज दिया गया।

(३) जी नहीं। यदि कोई कर्मचारी टी. आई. की पोस्ट पर अस्थाई रूप से कार्य पर लगाया जाता है और उसका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसके मूल स्थान पर बिना चार्जशीट दिये ही उसे भेजा जा सकता है।

(४) श्री चौहान ए. टी. आई. की पोस्ट पर कार्य कर रहे थे अब इन्हें २६-७-६३ से अस्थाई तौर से टी. आई. बनाया गया।

... पर रख दी गई ...

(सूची ... पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 18

श्री अब्दुलजब्बार : जो माग एक में बतलाया कि इसकी जांच हो रही है। क्या यह लेटर एकाउन्ट्स ऑफिसर ने लिखा था, यह दस्तयाब हो चुका है विभाग को ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कन्डक्टर से जांच की गई। उसने बताया कि सोफा सेट मैंने अकाउन्ट्स ऑफिसर की चिट्ठी के रेफरेंस में रखा था। मैंने खुद ने नहीं रखा। उसकी चिट्ठी मांगी गई। चिट्ठी उसने पेश नहीं की है। यह तथ्य है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह चिट्ठी आ जाने के बाद विभाग तुरन्त कार्यवाही करेगा इस सम्बन्ध में ?

श्रीमती कमलाबेनीवाल : इसके लिए आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए। ऐसी चिट्ठी बरामद होती है तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अब्दुलजब्बार : जे. के. जैन को क्या नोटिस दिया गया है विभाग की तरफ से ? क्या किराया वसूल करने की कार्यवाही हो रही है ? उसने क्या जवाब दिया है, वह किराया देने को तैयार है या नहीं या किराया जमा करा दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सोफा सेट ले जाने वाले कन्डक्टर को लिखा गया कि बिना किराया दिये सोफा सेट ले गया है, इसलिए किराया जमा कराओ। उसने बताया कि वह बिना किराया जमा कराये क्यों ले गया। उसने जवाब दिया था कि अकाउन्ट्स ऑफिसर ने चिट्ठी लिखी थी इसलिए ले गया था। अब चिट्ठी विभाग ने मांगी है। उसके प्राप्त होते ही माकूल कार्यवाही करेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या श्री सोलंकी....

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्तिगत प्रश्न है। इसे कृपया न पूछें।

श्री अब्दुल जब्बार : इसको छोड़ देता हूं। मैंने लिस्ट मांगी थी, आप विभाग में पदोन्नति के सम्बन्ध में बतला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह भी व्यक्तिगत प्रश्न है। आपके पास जानकारी आ गई है आप किसको बनाया किसको नहीं, इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछें।

श्री अब्दुलजब्बार खां : मैंने निवेदन किया, इसकी सीनियोरिटी मेन्टेन होती है या नहीं ? श्री चौहान की डेट ऑफ अपोइन्टमेंट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आप व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछें।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में बड़ी गड़बड़ी है...

श्री अध्यक्ष : मेरा आदेश है, आप आदेश ग्रहण करें; व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, पूछें।

प्रश्न संख्या ६०२

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

Page No. 19

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६०३

श्री विजयसिंह झाला ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, ६०३ के बजाय आप ६१३ का जवाब दिलवा दें। समय के बाद नहीं पूछ सकूंगा। बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

आर० टी० ए०, उदयपुर के आधीन बस रूट्स

६१३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) उदयपुर आर. टी. ए. के अधीन कौन से बस रूट किस श्रेणी के रखे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ए श्रेणी के रूट्स का राष्ट्रीयकरण होने वाला है ?

(३) 'ए' श्रेणी पर किन व्यक्तियों को परमिट मिला हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप–मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) सूची संलग्न है ।

(२) जी हां । जो जो रूट्स नेशनलाइज़ेशन किये जा रहे हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(३) सूची उत्तर संख्या १ के अनुसार संलग्न है, ए श्रेणी रूट के व्यक्तियों के नाम जिनको परमिट मिला हुआ है सूची के आखिरी कॉलम में दर्ज है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीज़न में जिन रूट्स को नेशनेलाइज़ किया जा रहा है वह सूची में है, एक ही सड़क को घुमा-फिरा कर ६ रूट्स बता दिये हैं। उदयपुर –खेरवाड़ा, रतनपुरा-अहमदाबाद, उदयपुर—रिखबदेव, उदयपुर–डूंगरपुर , उदयपुर–रतनपुर, डूंगरपुर-उदयपुर और उसके पोर्शन। एक ही रूट को आपने भिन्न भिन्न रूप में बताया है। उदयपुर से रतनपुर है। मैं समझता हूं कि इसके सिवाय दूसरे रूट्स नेशनलाइज़ेशन में आने वाले थे– भीलवाड़ा से चित्तौड़, वह क्यों नहीं लिया गया ? आपने डिक्लेयर किया था इसके अलावा भीलवाड़ा से रतनपुरा–उदयपुर वाले रास्ते को क्यों नहीं लिया गया, जब कि जो क्राइटेरिया है नेशनलाइज़ेशन का वह यह रूट फुलफिल करता है। उदयपुर के जिन रूट्स के लिये आदेश हुआ था कि इनको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और मंत्री महोदय ने प्रोमिज़ किया था कि जल्दी लेंगे

Page No. 20

(श्री विजयसिंह झाला)

अब आप पार्टीक्यूलर डेट बताइये कि कब तक कर देंगे ?

श्री भीमसिंह : मेरा निवेदन है कि सदस्य को जानकारी नहीं है। रूट्स के नेशनेलाइज़ेशन के लिए नोटिफिकेशन किया जाता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, इसलिए डिले हो जाती है। आपने कहा है कि एक रूट के मैंने छः टुकड़े कर दिये हैं, यह बात नहीं है; हर जगह ओवर लेपिंग रूटस मिले हुए है, इसलिए अलग अलग रूट्स दिये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उदयपुर से खेरवाड़ा–रतनपुरा और उदयपुर–रतनपुरा में क्या फर्क है ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया है कि [illegible] अलग ओवर [illegible] कर रहे हैं, वे ओवर लेपिंग रूट्स मिले हुए हैं, वही टुकड़े बताये हुए हैं।

श्री [illegible] : उदयपुर [illegible] भीलवाड़ से नाथद्वारा, उदयपुर–भीलवाड़ा–चित्तौड़ को आपने नोटिफाई किया था, वह [illegible] क्यों नहीं लिया गया और नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री [illegible] सिंह : अगर आप प्रश्न के [illegible] देखें तो आपको मालूम होगा कि [illegible] भीलवाड़ा दिया हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने अजमेर से भीलवाड़ा वाया नाथद्वारा और नाथद्वारा से चित्तौड़ की रूट की है, वाया फतेपुर नहीं किया; जहां बसें नहीं चलती हैं। हमारे मंत्री महोदय हमें यहां प्रोमिज़ कर चुके हैं कि वहां जल्दी ही इन रूटों को लेंगे। मंत्री महोदय के प्रोमिज़ के बावजूद भी आपने इसको क्यों नहीं लिया ? आपको यह लेना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : आपका यह तो सुझाव है। नैक्स्ट।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो आना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय का आश्वासन था कि जल्दी ही वहां पर रूट दिया जावेगा। आपने सारे रूट को नेशनेलाइज़ क्यों नहीं किया ? इसका कारण क्या है ? इसका कारण मुझे आपको बताना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : समय आवे तब बता देना। नेक्स्ट।

मैट्रिक पास अध्यापकों को सुविधाएं

६०५. **श्री धर्माराम आर्य** (सिरोही–मु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि मैट्रिक पास अध्यापकों को पहले इन्टर व बी. ए. की परीक्षाएं जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालय द्वारा प्राइवेट देने की अनुमति दी जाती थी, वह अब बन्द कर दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि अब नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार एक साल के

Page No. 21

(श्री धर्माराम आर्य)

प्रीयूनिवर्सिटी कोर्स व तीन साल के डिग्री कोर्स में भी उन्हें यह सुविधाएं नहीं दी गई हैं ?

(३) यदि हां, तो जो अध्यापक मैट्रिक पास हैं उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अन्य क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) मैट्रिक पास अध्यापक पहले प्रीयूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करें उसके बाद वे तीन साल के डिग्री कोर्स की परीक्षा में बैठ सकते हैं । हायर सेकन्डरी में बैठ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री लक्ष्मीचन्द ।

माध्यमिक शाला, ग्राम अयाना, जिला कोटा में अध्यापकों की कमी

६०५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्राम अयाना की माध्यमिक-शाला में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि प्रश्न नहीं उठता । मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर अध्यापकों की कमी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां पर ११ अध्यापक काम कर रहे हैं । पहले एक अध्यापक कम था । अब वह भी आ गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर में साईंस लेबोरेट्रीज एवं होस्टल के लिए स्थान का अभाव

६०६. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर के लिए साइन्स लेबोरेट्रीज़ एवं होस्टल के लिए स्थान का नितान्त अभाव है ? अगर हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं ।

श्री भीमसेन : आपने फरमाया कि "जी नहीं"; तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि होस्टल एकोमोडेशन में कितने कमरे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : होस्टल में २५ छात्राओं का स्थान है । नये होस्टल के बनाने के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में कोई योजना नहीं है । परन्तु कोई भी सरकारी अथवा किराये का ऐसा बिल्डिंग हो जिस

Page No. 22

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

में छात्राएं अधिक संख्या में रह सकें उसके उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस कार्य में सहायता दें तो हम जल्दी ही किराये पर ले सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप एक ओर तो यह कहते हैं कि स्थान का अभाव नहीं है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम किराये के लिये मकान लेने की कोशिश करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये दो अलग अलग बातें हैं। आपका प्रश्न है कि महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर के लिये साइन्स लेबोरेट्रीज़ एवं होस्टल के लिये स्थान का नितान्त अभाव है? उसका उत्तर मैंने दिया है। वहां पर २५ छात्राएं हैं और अधिक छात्राएं आने की आशंका है। बिल्डिंग बनाने के लिये पैसे हम खर्च नहीं कर सकते हैं इसलिये किराये पर लेने की बात कही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने आशंका के आधार पर और कितनी बिल्डिंग्ज़ किराये पर ली हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नितान्त अभाव नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने अभाव तो स्वीकार किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कुछ दिन पहले जब मुख्य मंत्रीजी वहां पर पधारे ये तो उन्होंने स्थानों की कमी की पूर्ति के लिये आश्वासन दिया था और अब आप कहते हैं कि स्थान की कमी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप ऐसा प्रश्न उठा देते हैं, उनको कैसे पता लग सकता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने इसके लिये महारानी सुदर्शन, कॉलेज के प्रिन्सिपल से जानकारी की या नहीं की? अगर की, तो उसने आपको क्या कहा?

श्री निरंजननाथ आचार्य : महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर के प्रिन्सिपल इन्क्वायरी करने का प्रश्न नहीं है। हम से उम्मीद की जाती है कि हर प्रश्न का हमें ज्ञान हो। इस प्रश्न पर भी हमें पूरी जानकारी है। इस में एक्सटेन्शन के लिये ३६ हजार रुपयों की मंजूरी हो चुकी है और २४-२-६४ को टेन्डर मांग लिये हैं। उस प्रश्न को हम यों हल कर रहे हैं और होस्टल के बारे में मैंने कहा कि हम बिल्डिंग किराये पर ले कर समस्या को हल करेंगे। बिल्डिंग किराये के लिये हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसके लिये हम बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार

तेल घाणों से टैक्स वसूली

६०८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

- निम्बाहेड़ा में तेलघाणे (er) कितने हैं और उनमें सन् १९६३-६४ में कुल

Page No. 23

(श्री अब्दुलजब्बार)

कितना तेल निकाला गया और राज्य की कुल तनी धनराशि उस पर लगे टैक्स से मिली है?

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) : निम्बाहेड़ा में ७ तेल घाणे (Speller) इस विभाग में पंजीकृत है जिनकी सन् ६३--६४ की कुल विक्रय राशि ५,१७,६४, ६२, ०० रुपये थी जिस पर उन्होंने ५८५६.०० रुपये टैक्स के जमा कराये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : यह टैक्स तेल पर दिया गया है या मूंगफली पर दिया गया है?

श्री परसराम मदेरणा : टैक्स या तो ऑइल सीड पर्चेज़ पर लग जाय या तेल पर लग जाए; दोनों पर नहीं लगेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : उन्होंने मूंगफली पर टैक्स दिया या ऑइल पर दिया?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने सीड पर्चेज़ किया तभी दे दिया था।

श्री अब्दुल जब्बार : तेल पर सेल्स टैक्स कितना और सीड पर कितना है?

श्री परसराम मदेरणा : ऑइल सीड्स और प्रोडक्ट पर बराबर है। दोनों पर २ परसेन्ट टैक्स है?

श्री अध्यक्ष श्री नाथूराम

उच्चत्तर शाला, बांसवाड़ा में ड्राइंग व संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था

६०७ श्री नाथूराम (आगीडांरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

क्या बांसवाडा कॉलेज में संस्कृत व ड्राइंग विषय पढ़ाये जाते हैं? अगर हां, तो क्या बांसवाड़ा उच्चत्तर शाला में भी यह विषय पढ़ाये जाते हैं? अगर नहीं, तो इन विषयों को उच्चत्तर शाला में पढ़ाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है?

उप-मंत्री, शिक्षा : (श्री निरजंननाथ आचार्य) : (१) जी हां। राजकीय कॉलेज बांसवाड़ा में संस्कृत व ड्राइंग विषय पढ़ाये जाते हैं।

(२) जी नहीं, आर्थिक संकट के कारण यह विषय उच्चत्तर शाला में नहीं खोले जा सके। यदि इस साल में ज्यादा फन्ड्स मिल जायेंगे तो इन विषयों को आगामी सत्र में खोलने का अवश्य प्रयास किया जायेगा।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, कॉलेज में ये विषय पढ़ाये जाते हैं और अगर उच्चत्तर शाला में ये विषय नहीं होंगे तो आगे कॉलेज में कैसे छात्र आवेंगे? इसलिये आगामी सेशन में इन विषयों को खोलने के लिये क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे?

श्री निरजंननाथ आचार्य : न०- २ में मैंने कहा है कि अवश्य प्रयास किया जावेगा।

श्री नाथूराम : जहां पर कॉलेजों में नहीं है वहां पर खोलेंगे?

श्री निरजंननाथ आचार्य : इसके लिये तो मैंने कहा है कि अवश्य प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री फूलचन्द जैन ।

नीम का थाना व सुजानगढ़ में कॉलेज खोलने की स्वीकृति

६०६. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि नीमकाथाना में कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कब और किन किन शर्तों पर ?

(२) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ में कॉलेज खोले जाने की मांग काफी समय से भी की जा रही है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इसके लिये जन सहयोग के रूप में आवश्यक धन-राशि देने की स्वीकृति भी राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ?

(४) यदि हां, तो सुजानगढ़ में कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां । दि॰ १४–८–६३ को सामयिक स्वीकृति दी गई । शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखी दी गई हैं ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) अभी यह प्रश्न विचाराधीन है ।
(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द जैन : जन सहयोग के रूप में आवश्यक धन-राशि देने की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री फूलचन्द जैन : जन सहयोग के आधार पर ही स्वीकृति दी थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां ! ४-५ लाख । उसके आधार पर ।

श्री फूलचन्द जैन : अब तक यह विचाराधीन है, उसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तीसरी पंच वर्षीय योजना में ८ कॉलेजेज़ खोलने को थे । ७ कॉलेजेज़ तो खोल दिये और एक खोलना रह गया । फोर्थ प्लान में जालोर और जैसलमेर, मौजूद हैं । अभी तक प्लानिंग इस संबन्ध में पूरा नहीं हुआ है । फाइनल हो जाने के बाद फाइनेन्शियल लाएबिलिटी कितनी आती है उन सबको देखने के बाद में इस पर विचार होगा, इसलिये विचाराधीन है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपको वहां का जन सहयोग प्राप्त हो गया; राशि आपको सौंप दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ? जिस समय जन सहयोग की राशि ली उस समय आपको यह स्पष्ट कहना चाहिये था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : राशि वगैरह कोई नहीं ली ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कहा कि ४-५ लाख जमा हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आपने लिखा कि इतनी धन-राशि देने को तैयार हों तो हम खोलने को तैयार हैं, तो फिर आपने यह क्यों लिखा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम उनको महरूम नहीं रखना चाहते, लेकिन बीच की बंदिशें हैं, उनको भी हमें हल करना चाहिये। इसलिये चौथी योजना में स्पष्ट रूप से देखा जावेगा कि पैसे का पूरा उपयोग हो सकता है या नहीं। इस बात पर विचार कर रहे हैं। सिर्फ प्लान का सवाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस तस्वीर को लाने में दान-दाता डिस्करेज नहीं होंगे क्या ? दान-दाता आगे आते हैं, धन-राशि कॉलेज के लिये अर्पित करते हैं, आप स्वीकार करते हैं, शिलान्यास करते हैं और उसके बाद योजनाओं की बातें करते हैं तो क्या दान-दाताओं को आप इस प्रकार की कार्यवाही से डिस्करेज नहीं करते ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : स्वीकार करते हैं, यह प्रश्न नहीं है। योजना के सम्बन्ध में योजना मन्त्रीजी जवाब देंगे।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दान-दाताओं का सवाल नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजनाओं के लिये फैसला हुआ था कि हर एक जिले में एक कॉलेज होना चाहिये। चूरू जिले में दो कॉलेजेज़ हैं। चूरू जिले की आबादी को देखते हुए एक कॉलेज होना चाहिये, वहां ऑलरेडी दो कॉलेजेज़ हैं। तीसरे कॉलेज के लिये दान-दाता आगे-आते हैं तो दान देने के नाते प्लान के सिद्धान्तों को बेचा नहीं जा सकता। तीन-चार जिले ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं है इसलिये पहले उनको प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री फूलचन्द जैन : पहले स्वीकार कर लिया, शिलान्यास करने गये तब ही ये सब बातें क्यों नहीं रखीं ? उस वक्त तो ये सब बातें नहीं रखीं और यहां हाउस में प्लान की बातें रखी जाती हैं, तो नीम के थाने पर यह क्यों नहीं लागू की जातीं ?

श्री मथुरादास माथुर : चूरू जिले की आबादी ५ लाख है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ५ लाख नहीं, ७॥ लाख है।

श्री मथुरादास माथुर : साढ़े सात लाख समझ लीजिये। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का यह सिद्धान्त है कि जिस जिले की आबादी ५ लाख से १० लाख के बीच में है तो दूसरा कॉलेज खोल सकते हैं। वहां ऑलरेडी दो कॉलेजेज़ मौजूद हैं, तीसरा खोलने की बात है।

श्री फूलचन्द जैन : पहले यह सब बात क्यों नहीं बता दीं ?

श्री मथुरादास माथुर : दान-दाताओं ने पहले लिख कर दिया……

श्री फूलचन्द जैन : नहीं आपके कहने पर लिख कर दिया उन्होंने।

Page No. 26

श्री मथुरादास माथुर : शिक्षा विभाग ने ल ै ।

श्री फूलचन्द जैन : यह प्रश्न शिक्षा विभाग से ही पूछा था; शिक्षा विभाग के कहने पर ही दान-दाता ने लिख कर दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट जवाब दे रही है । उन्होंने लिख कर शिक्षा विभाग को दे दिया कि इतना देंगे, शिक्षा विभाग ने मेरे पास भेजा, मैंने कहा हम नहीं कर सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : योजनाएं एक्सचेकर के धन से चलती हैं । दान-दाता धन लगा कर कॉलेज, स्कूल खोलना चाहते हैं, तो क्यों नही खोलें; आपकी योजना से वे कहीं नहीं टकराते । इस प्रकार से तो दान-दाता दान देने से इन्कार कर देंगे, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई कहे कि गुड़ा बालोता में १० लाख रुपया देता हूं मेडिकल कॉलेज खोल दो, तो वहां कॉलेज नहीं खोला जा सकता । दान-दाता के हिसाब से प्लान को वेचा नहीं जा सकता ।

श्री फूलचन्द जैन : वहां पहले उनको कहा कि ५ लाख रुपया चाहिये, फिर कहा ७ लाख रुपया दे दो कॉलेज खोल देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : वहां ७ लाख क्या २० लाख भी दें तो भी नहीं खोल सकते ।

श्री फूलचन्द जैन : नीम के थाने में क्यों खोल दी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नीम के थाने का प्रश्न आ रहा है, स्पष्ट कर दूं । यह कहा गया कि नीम के थाने में क्यों खोल दिया गया, नहीं खोल दिया गया, बिल्डिंग तैयार हो रही है, खोल नहीं दिया है, ८ लाख की बिल्डिंग तैयार हो रही है । नीम के थाने का प्रश्न भी उन्हीं आधारों पर है जिन आधारों पर यह प्रश्न है, फोर्थ प्लान में सारी स्थिति को देखते हुए कार्यवाही करेंगे । थर्ड प्लान में चूंकि बिल्डिंग का कन्स्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिये थर्ड प्लान में खोलने का प्रश्न ही नहीं रहता, इसलिये सुजानगढ़ की अपेक्षा नीम के थाने का ज्यादा अधिकार हो जाता है, क्योंकि नीम का थाना में बिल्डिंग तैयार हो रही है ।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा गम्भीर है । शिक्षा मंत्री ने स्वयं ने शिलान्यास किया है; अब कहते हैं कि नीम के थाने में भवन बन गया है, वहां भी भवन बनाने की इजाजत दे दीजिये ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फोर्थ प्लान का नक्शा हमारे सामने आ जाय, प्रायोरिटी किनको देना है, वह नक्शा हमारे सामने आ जाय तभी विचार किया जा सकता है, केवल बिल्डिंग ही पर्याप्त नहीं है, बिल्डिंग के बाद रेकरिंग एक्सपेन्डोचर है, वह सब देखना पड़ता है । आप कहते है कि वहां भी बिल्डिंग बनाने की आज्ञा दे दें, वे सब चीजें देखने के बाद आज्ञा दी जा सकेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब मन्त्री महोदय पत्थर रखते हैं, स्वीकृति दान-दाताओं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को दान देने की देते हैं, तो उस वक्त उनकी जेब में योजना नहीं होती क्या ? जब यहां सदन में सवाल पूछे जाते हैं। जब उनके कमिटमेंट फैल होते हैं तब योजनाओं की बातें करते हैं। कोई भी मंत्री कॉलेज का या स्कूल का शिलान्यास करें तो पहले ही स्पष्ट कह दें कि नहीं खोली जा सकती; दान-दाता को पहले ही स्पष्ट कहा नहीं और शिलान्यास कर दिया, तो क्या यह शिक्षा को डिस्करेज करना नहीं है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को ऐसे रखा जा रहा है कि सर्कम्स्टान्सेज़ से इधर-उधर होकर मैं इन्कार कर दूं....

श्री फूलचन्द जैन : मैं तो कहता हूं आप साफ इन्कार कर दीजिये ....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप बैठे बैठे मत बोलिये, I am in the possession of the House. आप थोड़े से उद्विग्न हो रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि फोर्थ प्लान में नीम का थाना है, सुजानगढ़ है, इनको कॉलेज एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्लानिंग का नक्शा देखा जायगा, हम दान-दाताओं की कद्र करते हैं, फोर्थ प्लान में हम इन कॉलेजेज़ को चलायें, ऐसा हमारा विश्वास बनता जा रहा है; पर जब तक प्लान पूरी नहीं हो जाय, उससे पहले ही मैं कह दूं ऐसी स्थिति नहीं है। रतनगढ़ में, सरदार-शहर में कॉलेज हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : रतनगढ़ में कोई कॉलेज नहीं है।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आज एक-आध गलती हो जाय तो इसमें नाराज होने की क्या बात है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री लोग जगह जगह शिलाएं रख देते हैं: वाहवाही लूटने के लिये पहले तो जगह-जगह शिलाएं रख देते हैं और फिर वे शिलाएं रोती रहती हैं, वहां स्कूलें कभी नहीं खुलतीं। यह आदत छोड़ो।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जालोर-बाड़मेर को सरकार भूलती नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : भूलते हैं, बार बार भूलते हैं; वहां एक भी कॉलेज नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप भी उनके साथ सहृदयता रखेंगे। महज इसको बहस में डालकर जो हम निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें रिफ्ट पेश करना चाहते हैं, आपने कोई रिफ्ट नहीं किया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया तो जो हमारी भावना जगती जा रही है उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं पर माननीय सदस्य ने कई सवाल ऐसे किये हैं जिनको देखा जाय तो रिफ्ट हो सकती है।

Page No. 28

श्री फूलचन्द जैन : इनके विश्वास की हमें कोई जरूरत नहीं है, न धमकी की जरूरत है। हम तो स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि प्लान के रूप में जो स्थिति रखी है तो उस स्थिति के अनुसार नीम का थाना में क्यों इजाजत दी है ?

(१२. मध्यान्ह)

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो इतना निवेदन कर सकता हूं कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्दर चूरू जिले के अन्दर कॉलेज खुलने की कोई संभावना नहीं है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में नहीं कहा जा सकता।

श्री फूलचन्द जैन : यह पक्षपात क्यों बढ़ता जा रहा है ? हम जानना चाहते हैं कि नीम के थाने में आपने इजाजत क्यों दी ? शिक्षा मंत्री क्यों शिलान्यास करके आए ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : चूरू जिले की पॉपूलेशन क्या थी, कॉलेजेज कितने थे, वहां पर क्राइटेरिया मंत्री महोदय के दिमाग में पहले भी था और प्लान क्या था, तीसरी योजना में कॉलेज खोलना है या नहीं और दान-दाता ने कैसे दान किया और मंत्री महोदय ने शिलान्यास कैसे किया, कमिटमेंट क्या है; ये सब बातें उनके दिमाग में हैं। कमिटमेंट करने के बाद अगर काम न किया जाय तो दान-दाता डिस्करेज होते हैं। आपको वायदा पूरा करना चाहिए नहीं तो जनता के अन्दर असंतोष होता है और डोनर्स भी डिस्करेज होते हैं। ऐसी परम्परा नहीं होनी चाहिए, दान ले लेते हैं और शिक्षा विभाग कमिटमेंट कर देता है और उसके बाद हाउस में कमिटमेंट हो जाता है तो उसको पूरा करना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : योजना के दृष्टिकोण से मंत्री महोदय कहते हैं। चूरू जिले में ५-५ कस्बे ऐसे हैं जहां ४०-४० हजार से ज्यादा आबादी है। जहां ज्यादा आबादी है वहां स्कूल ज्यादा हैं और फिर ज्यादा लड़के सैकन्डरी स्कूल पास करके निकलते हैं और उनको कॉलेज एजूकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो मंत्री महोदय योजना के दृष्टिकोण से कहें कि वहां कॉलेज नहीं खुलेगा तो बिल्कुल गलत है। बाड़मेर जिले में १० हजार से ज्यादा कस्बा नहीं मिलेगा........

श्री मथुरादास माथुर : आपको ज्ञान नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपको क्या जानकारी है ? फेक्टस मालूम नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बताइए कौनसा कस्बा है ?

श्री रघुनाथ बिशनोई : बाड़मेर की जानकारी आपको नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : योजना के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि जहां ४० हजार की आबादी होगी वहां लड़के ज्यादा होंगे तो कॉलेज भी खोलना पड़ेगा।

श्री फूलचन्द जैन : आप प्लान की बात कहते हैं। प्लान के विपरीत जो हायर सैकन्डरी स्कूल्स की स्वीकृति तीसरी योजना

Page No. 29

(श्री फूलचन्द जैन)

के अन्दर दी गई है उसकी आप जांच कराइये, वर्ना प्लान के नाम पर आप अन्याय मत करिये।

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जबसे इस विभाग को मैंने संभाला है, प्लान के आधार पर चले हैं और प्लान के आधार पर कोई गड़बड़ी की गई हो तो मुझ से बात करें, मैं आपको संतुष्ट कर लूंगा।

श्री फूलचन्द जैन : आप अब आये हैं, उससे पहले गड़बड़ियां हुई हैं।

श्री रमुलीधर व्यास : शाहपुर में आपने कॉलेज खोला, उसके लिए कौन सा प्लान था?

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

जंगली उपज की आय का पंचायतों को हिस्सा

६१०. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के सघन वन क्षेत्र की पंचायतों के क्षेत्र से उनकी चरनोट सम्बन्धी एवं बिलानाम रेवेन्यू की जंगली उपज की आय जैसे पता तेन्दू, गोंद, महुआ आदि का लाभ जंगलात विभाग उठाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जंगलात विभाग द्वारा पंचायतों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस उपज का निर्धारित अंश पंचायतों को दिया जावेगा ? अगर हां, तो कब कब, कितना कितना, किन किन पंचायतों को दिया गया ? अगर नहीं दिया गया, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां। उपज का निर्धारित अंश पंचायतों को नहीं दिया गया इसका कारण यह है कि पंचायतों ने अपने चरनोटों के क्षेत्र का रकबा तथा मौके पर डिमार्केशन करा बताने में असमर्थ रही हैं जिसके लिए ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति को समय समय पर पत्र दिये गये हैं तथा पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ की मीटिंग में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है। क्षेत्रफल के मालूम होने पर पंचायतों का हिस्सा दिया जा सकेगा।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या इसमें जल्दी कार्यवाही की जायगी और मदद दी जायगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : सहयोग देंगे तो जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

हरिजन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उठाए गए कदम

६११. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतायेंगे:—

राजस्थान सरकार ने हरिजन श्रमिक की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनका उत्थान करने हेतु क्या क्या कदम उठाए हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : हरिजन श्रमिकों में भंगियों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा हाथगाड़ी, खुरपा, रबर के जूते आदि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया है जिसकी सूची संलग्न है । उनके अतिरिक्त समस्त हरिजनों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए भी विभाग द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं जिनका लाभ हरिजन श्रमिक भी उठाते हैं । उनके उत्थान के लिए क्रियान्वित आर्थिक उत्थान की योजनाओं में हरिजन परिवारों को जमीन पर बसाना, कृषि औजारों व कुटीर उद्योगों, पीने के लिए कुओं व गृह निर्माण के लिए सहायता देना मुख्य है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या समाज कल्याण विभाग ने इस बात का सर्वे कराया है कि कितने हरिजन श्रमिक नगरपालिकाओं में ऐसे हैं जिनको आप अभी तक कोई सहायता नहीं दे पाए हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समाज कल्याण में श्रमिकों का कोई अलग वर्ग नहीं माना गया है इसलिए इसका कोई रेकॉर्ड नहीं मिल सकता ।

श्री भीमसेन : लेकिन उनकी हालत सुधारने के लिए विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप सुझाव भेजिए । बाकी जितनी योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए हैं ।

श्री भीमसेन : सरकार कहां तक उचित समझती है कि हरिजन अपने सर पर मैला उठाए ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं । रकम दे दी गई है, जिन नगरपालिकाओं को जरूरत हैं, वे सुझाव दे देते हैं ।

प्रश्न संख्या ६१२ ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे-देखिये,)

श्री श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे-देखिये,)

श्री भीमसेन ।

सादूल पब्लिक स्कूल के बोयेज फंड का ऑडिट

६१४. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(श्री भीम सेन)

(१) सादुल पब्लिक स्कूल के ब्रोयेज फंड का ऑडिट कब तक किया गया ?

(२) क्या अब तक प्रति वर्ष ऑडिट किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या उपरोक्त फंड में से किसी ने गबन किया है ? अगर हां तो कुल गबन की राशि क्या है ? उसके लिए कौन जुम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) १९५५-५६ का ऑडिट लोकल ऑडिट फंड विभाग द्वारा २५-८-६२ को और अक्टूबर, १९५६ से जुलाई, १९६१ का दि० २-१-६२ का टेस्ट चेक तथा जुलाई १९५६ से मई, ६१ का १४-६-६२ से २५-८-६२ तक डिपार्टमेंट ऑडिट पार्टी द्वारा ऑडिट किया गया।

(२) जी नहीं, क्योंकि संस्थाओं की संख्या अधिक होने के कारण तथा डिपार्टमेंट ऑडिट पार्टियों की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संस्था का ऑडिट होना संभव नहीं है।

(३) डिपार्टमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ब्रोयेजफंड में से ४४१३. १४ रुपये गबन ध्यान में आया है। इसके लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चल रहा है :

१. श्री के० डी० हर्ष, भूतपूर्व केशियर।

२. श्री के० एन० भार्गव, भूतपूर्व प्रिन्सीफ।

३. श्री एम० एल० माथुर, भूतपूर्व बरसर।

श्री भीमसेन : यह जो धन-राशि बताई गई है, कौन कौन से सालों की है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसे मैंने कहा १९५५-५६ के आसपास के सालों की है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि सरकार ने १९५५—५६ से पहले इस संस्था का ऑडिट नहीं करवाया था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उससे पहले ऑडिट कराया या नहीं कराया, यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अजीतगढ़ किले के मन्दिर में भोग व्यवस्था

५८६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के तलवास ग्राम में अजीतगढ़ का किला है और उसमें श्री रघुनाथ जी महाराज का प्राचीन मन्दिर है ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) क्या यह सही है कि इस मन्दिर की भोग व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा कुछ धन-राशि नियत की हुई थी और प्रत्येक साल पुजारी को दी जाती थी ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों से उक्त धन-राशि नहीं देने के कारण उक्त मन्दिर की भोग व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पाती है ?

(४) यदि हां, तो यकायक के इस प्रकार धन-राशि देना क्यों बन्द किया गया है ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. जी हां ।

३. इस मन्दिर को केवल सहायता के रूप में ६२-६२ पैसा वार्षिक दिये जाते हैं। यह मन्दिर "सहायता प्राप्त" मन्दिर की श्रेणी में है इस कारण इसकी भोग-पूजा की समुचित व्यवस्था करने के लिए स्वयं पुजारी की ही जिम्मेदारी होती है ।

४. पूर्व में इस मन्दिर का पुजारी श्री प्रभूलाल था जिसे उक्त सहायता का भुगतान तहसील नैनवा द्वारा सन् ६२-६३ तक का किया जा चुका है । तदनन्तर उसका स्वर्गवास होने से सहायता की रकम देना बन्द कर दिया गया है । जब नया व्यक्ति (पुजारी) जब तक अपने नाम दाखिल-खारिज न करालेवे तब तक उसे सहायता की रकम का भुगतान करना नियम विरुद्ध है ।

पंचायत समिति कठूमर की ऑडिट रिपोर्ट

५८७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या पंचायत समिति, कठूमर (अलवर) का सन् ६२-६३ का वार्षिक ऑडिट हो चुका है ?

(२) अगर हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रक्खी जावे ।

(३) ऑडिट पार्टी ने कितना द्रव्य किस किस की ओर वसूली के लिये निकाला है । सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(४) क्या यह वसूली की जा चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रखी गई हैं ।

(४) कुछ वसूली हो चुकी है व बाकी वसूली चालू है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, डीग के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

५८६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १३-२-६४ को डीग पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने निमित्त जिलाधीश, भरतपुर की अध्यक्षता में पंचायत समिति, डीग की बैठक हुई ?

(२) क्या यह सही है जिलाधीश, भरतपुर को उक्त प्रस्ताव पर हाथ उठवाकर मतदान लेना चाहिए था किन्तु जिलाधीश, भरतपुर ने ऐसा नहीं किया और चिटों पर अपनी राय लिख कर देने के लिए सदस्यों को कहा ?

(३) क्या यह सही है कि प्रस्ताव के पक्ष में १८ मत आये, जिनके अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित हो गया किन्तु जिलाधीश, भरतपुर ने एक मत को 'प्रधान' को हटाया जावे', लिखने के बावजूद खारिज कर दिया और अविश्वास अस्वीकृत घोषित कर दिया ?

(४) क्या यह सही है, कि उक्त मत को गलत खारिज कर देने के बाद भी सदस्यों ने हाथ उठाकर मत लेने के लिए जिलाधीश, भरतपुर से मांग की लेकिन उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त मीटिंग की कार्यवाही राज्य सरकार (विकास विभाग) को भेजी गई है और उसने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां तो, क्यों

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रस्ताव के पक्ष में १७ मत तथा विपक्ष में १६ मत आये। एक मत निर्वाचन अधिकारी की राय स्पष्ट न होने से रद्द किया गया। अतः प्रस्ताव बहुमत से पारित नहीं हुआ।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां। विकास विभाग से कि कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

पंचायत समिति, गंगपुर के विरूध शिकायत

५६०. वैद्य श्रीगोविन्द सहाय (गंगापुर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ शिकायत अप्रेल, १६६५ में पंचायत मंत्री के पास पेश हुई थी ?

(२) यदि हां, तो उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं की गई तथा कितने समय में जांच पूरी होगी ?

Page No. 34

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(३) गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान व उनके साथियों द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए जीप का प्रयोग कहां किया गया ?

(४) क्या समिति क्षेत्र के बाहर भी जीप का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां किस कार्य के लिए किया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जांच हो चुकी है।

(३) व्यक्तिगत प्रयोग नहीं किया गया।

(४) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

२. एम. एल. न्याय पंचायत, मिरगेवाला में पंचों के रिक्त स्थान

५६२. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) २. एम. एल. न्याय पंचायत मिरगेवाला, पंचायत समिति, गंगानगर के आधीन कितनी ग्राम पंचायतें है ?

(२) न्याय पंचों के रिटायरमेंट के समय तक २ एम. एल. न्याय पंचायत में कितने स्थान रिक्त थे ?

(३) रिटायर करने के लिए कितने न्याय पंचों की पर्चियां डाली गई ?

उत्तर

(१) ५ पंचायतें।

(२) २ स्थान रिक्त थे।

(३) ३ न्याय पंचों की पर्ची डाली गई थी।

नर्सरी निर्माण पर व्यय सलूम्बर रेन्ज

५६४. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाड़िया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सलुम्बर रेन्ज डिवीजन उदयपुर में कोई नर्सरी का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कब और उसके निर्माण और संचालन में अब तक कुल कितना खर्चा हुआ है ?

(२) इस नर्सरी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(३) उक्त नर्सरी में कितने पौधे लगाये गये और उन पर कितना खर्च हुआ तथा इस नर्सरी में तैयार किये गये कितने पौधे किन किन स्थानों पर लगाये गये हैं और नर्सरी में किस वृक्ष के कितने पौधे शेष हैं ?

उत्तर

१. जी हां, सलूम्बर रेन्ज उदयपुर डिवी-

(श्री वन-मंत्री)

जन में एक नर्सरी का निर्माण १६६१-६२ में हुआ था। तथा उस पर १६६३-६४ तक निर्माण एवं संचालन पर कुल ५६२६.२७ रु० खर्च हुए हैं।

२. इस नर्सरी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पौधे तैयार करना व विभागीय जनता की पौधों की आवश्यकता पूर्ण करना है।

३. इस नर्सरी में ६२-६३ में ६,००० पौधे पनपे। इन पर १३१३.६५ का व्यय हुआ। इन पौधों में से ६४० विभागीय कार्य के लिए व ४५ अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं को वन महोत्सवों के समय लगाने को दिये गये। अब ८१४ पौधे निम्न प्रकार के शेष हैं :–

१—सागवान	३०८
२—काला सिरन के	२६६
३—करन्ज	१६०
४—अमलतास	६०
५—बकायण	१२
६—बेहडा	५
	८१४

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों को सहायतार्थ वितरित धनराशि

५६५. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी धनराशि सहायतार्थ वितरित किये जाने के लिए स्वीकृत है और उसमें से प्रत्येक जिले को कितनी दी गई है ?

(२) क्या सभी जिलों को बराबर २ धन-राशि दी गई है ? यदि नहीं, तो अन्तर रखे जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) इस वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा ३२,८२,००० रुपये की धनराशि सहायतार्थ वितरित किये जाने को थी। उसमें से ३१,१८,७५० रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं जिसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। सम्बन्धित जिलों एव पंचायत समितियों को धनराशि उनकी समस्याओं एवं मांग को ध्यान में रख कर स्वीकृत की जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गढ़ी सुक्खा, परगना बाड़ी, जिला भरतपुर के स्कूल भवन का निर्माण

६००. श्री नत्थीलाल (नदबई): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(१) गढ़ी सुक्खा परगना बाड़ी, जिला भरतपुर में स्कूल के लिए सरकार से कितना अनुदान मिला तथा कितना ग्राम से श्रमदान व चन्दा हुआ ?

(श्री नत्थीलाल)

(२) रकम को मिले कितने दिन हो गये हैं ?

(३) स्कूल तैयार हुआ या नहीं ? यदि हुआ, तो कम्पलीशन सर्टीफिकेट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि तैयार नहीं हुआ है तो क्यों ?

उत्तर

(१) प्राथमिकशाला, गढ़ी सुक्खा के भवन निर्माण के लिए १००० रुपये तारीख ३१-३-६० को श्री दर्याबसिंह, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत नगला बघोरा को प्रदान किये गये। ग्रामवासियों ने सहयोग व श्रमदान से एक कमरा २१ फीट ६ इन्च लम्बा व ८ फीट ६ इन्च चौड़ा बनवाया जिसकी कुल लागत १८२१ रु० लगी ।

(२) रकम दिए ४ साल ७ माह हो चुके हैं ।

(३) जी नहीं, क्योंकि भूतपूर्व सरपंच दर्याबसिंह ने न तो भवन को पूर्ण कराया है और न हिसाब दिया है ।

कन्या माध्यमिक शाला, देवगढ़ में अध्यापिकाओं की कमी

६०२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ में कन्या माध्यमिक शाला में चार अध्यापिकाओं की कमी है तथा गणित जैसे आवश्यक विषय को पढ़ाने वाली वहां अध्यापिका नहीं है ?

(२) यदि हां, तो अध्यापिकाएं वहां कब तक भेजी जायेंगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं, माध्यमिक कन्या शाला देवगढ़ में ८ अध्यापिकाओं के स्थान हैं जिनमें से कोई भी रिक्त नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स द्वारा गाडियों की जांच

६०३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राज्य में यातायात विभाग के कुल कितने मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स हैं ?

(२) यह इन्सपेक्टर्स कितने-कितने क्षेत्र में कितनी-कितनी गाड़ियों पर हैं और उनके हैड क्वार्टर्स कहां कहां हैं ?

(३) गाडियां पास करने के लिये क्या इन्सपेक्टर को स्थान पर जाकर गाडियां देखनी पड़ती हैं या उसको हैड क्वार्टर्स पर लाना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि ये गाड़ियां ठीक प्रोसीजर से पास की जाती हैं ?

उत्तर

यातायात विभाग में ११ (ग्यारह) मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स कार्य कर रहे हैं।

सूची संलग्न है।

पूर्व निर्धारित स्थानों पर प्रोग्राम के अनुसार गाड़ियों का निरीक्षण किया जाता है।

गाड़ियां मोटर व्हीकल रूल्स में दिये गये प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा पास की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

हाई स्कूल, निम्बाहेड़ा

६१२. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सन् १९६३-६४ में हाई स्कूल निम्बाहेड़ा में दसवीं कक्षा में कितने लड़के पास हुए?

(२) क्या सरकार पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उनके द्वारा बोर्ड में प्राप्त की गई पोजिशन को ध्यान में रखते हुए निम्बाहेड़ा हाई स्कूल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में कॉलेज बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

१) सैकेंड्री बोर्ड आफ एज्यूकेशन राजस्थान की हाई स्कूल की सत्र १९६३-६४ की परीक्षा में ७४ छात्र पास हुए।

२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्बाहेड़ा में कोई कालेज खोलने की योजना नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में हाई स्कूल व हायर सेकेन्ड्री स्कूल खुलने का आधार

१३८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) इस साल राज्य में कितने हाई स्कूल व हायर सैकेन्ड्री स्कूल खोले गये हैं और कहां कहां पर?

(२) यह स्कूल किस किस आधार और कारणों से खोले गये है?

उत्तर

१) इस वर्ष सन् १९६४ में जिन माध्यमिक शालाओं का जूनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में परिवर्तित किया गया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

२) इनके परिवर्तित किये जाने के कारण और आधार स्कूलों के सामने अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीनियर टीचर्स की विभिन्न ग्रेड्स में नियुक्ति

१३६. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) ऐसे कितने सीनियर टीचर्स हैं (एम० एस० सी० व एम० एस० सी० बी० एड०) जिनको ५६-६०, ६०-६१ व ६१-६२ में २२५-४८५ रु. की ग्रेड में नियुक्त किया गया है ?

(२) उनमें से ऐसे कितने हैं जिनको रिवर्ट कर १७०-३३५ की ग्रेड में कर दिया है ?

(३) उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से ऐसे कितने हैं जिनको रिवर्ट कर के ७५-१६० की ग्रेड में कर दिया है ?

(४) इसमें से क्या ऐसे भी हैं जिनकी उम्र २५ वर्ष की हो चुकी है और जो अब दूसरी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते ?

उत्तर

(१) ऐसे सीनियर टीचर्स जो २२५-४८५ रु० के ग्रेड में ५६-६०, ६०-६१ व ६१-६२ में नियुक्त किए गए की सूची संलग्न है।

(२) ऐसे सीनियर टीचर्स जो १७०-३३५ की ग्रेड में कर दिये गये हैं, की सूची संलग्न है।

(३) ऐसे सीनियर टीचर्स जो ७५-१६० की ग्रेड में रखे गये हैं वे ५ हैं जो निम्न हैं :—

१) श्री बिहारीलाल माथुर, स० अध्यापक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओसियां।

२) श्री दशरथचन्द्र, स० अध्यापक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लूनी।

३) श्री सत्यप्रकाश, स० अ०, एन० जी० एम० पी० एच० एस० स्कूल, जोधपुर

४) श्री मदनलाल, ,, ,, ,,

५) श्री उदयमल, ,, ,, ,,

१-७-६३ से उपरोक्त अध्यापक द्वितीय वेतन शृंखला में नियुक्त कर दिये गए हैं।

(४) ऐसे टीचर्स को रिवर्ट किया गया है, न कि नौकरी से पृथक किया गया है अतः यह प्रश्न ही नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धरियावाद पंचायत समिति, जिला उदयपुर में नालों पर बांध बनाने सम्बन्धी सर्वे

१४०. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(श्री उदयलाल वर्दिया)

क्या यह सही है कि धरियावद पंचायत समिति, जिला उदयपुर में छोटे छोटे नालों पर बांध बनाने के सर्वे के लिए ओवरसियर के पास लेवल इन्स्ट्रमेंट एक लम्बे समय से नहीं हैं और उसकी आड़ में सिंचाई का पैसा खर्च नहीं होता है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार कब तक आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

सिंचाई का पैसा खर्च नहीं होने का कारण यह है कि सम्बन्धित पंचायतों से नियमानुसार जन-सहयोग देने व कार्य कराने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

चालू वर्ष में प्राइमरी, मिडल व माध्यमिक नए स्कूलों का खोला जाना

१४१. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चालू वर्ष में कितनी प्राइमरी, मिडल व माध्यमिक स्कूल नये खोले जाने का प्रावधान रखा गया था ?

(२) इनमें से कितनी प्राइमरी, मिडल स्कूल व माध्यमिक स्कूल कहां कहां पर खोले जाने की अनुमति किन किन तारीखों में दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) चालू वर्ष में नये प्राइमरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन १६ प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल एवं ७ मिडिल स्कूलों का जूनियर हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित करने का प्रावधान था ।

(२) उपरोक्त प्रावधान के बावजूद ४२ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल में व ३५ मिडिल स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में परिवर्तित किया गया, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास

१४२. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में प्रत्येक जिले में कितने छात्रावास शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और कितने शिड्यूल्ड ट्राइब्स के है ?

(२) जिस जिले में छात्रावास कम हैं उसका क्या कारण है और क्या वहां और छात्रावास बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।र छात्रावास प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की संख्या औ

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

शैक्षणिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही खोले गये हैं। अतः किसी जिले में छात्रावास कम होने का प्रश्न नहीं उठता। इस वर्ष अब नये छात्रावास खोलने का प्रावधान शेष नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.६ म.प.)

गिरवां तहसील में लकड़ी काटने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

स्थगन-प्रस्ताव की सूचना गिरवां तहसील में लकड़ी काटने के सम्बन्ध में आई है। मन्त्री महोदय कृपया वक्तव्य दें।

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : उदयपुर वन डिवीज़न में १६ जून, १९६४ से ऊंटों पर जलाऊ लकड़ी लाना बन्द कर दिया गया है। वर्षा ऋतु होने की वजह से और इस ऋतु में जंगलों को बरबादी से बचाने के लिए, जबकि इस ऋतु में वृक्ष फटते हैं, यह कदम उठाया गया है। ऊंटों के मालिक या तो आदिवासी हैं या उदयपुर शहर के या लगते हुई गांवों के बाशिन्दे हैं जिन्होंने उदयपुर शहर में लकड़ी के डिपो कायम कर दिये हैं।

यह ठीक है कि जलाऊ लकड़ी ऊंटों पर आदिवासी ही लाते हैं, किन्तु यह लकड़ी अधिकतर शहर में इन्हीं डिपो पर, जिनको टाल कहते हैं, बेची जाती है। अतः सारा मुनाफा उन लोगों का होता है जो इन टालों के मालिक हैं या जो ऊंटों के मालिक हैं। आदिवासी, तो इस मुनाफे से वंचित ही रह जाते है, हालांकि इस धन्धे में वास्तविक व मेहनत वे ही करते हैं।

वस्तु-स्थिति यह है कि इन जंगलों में जलाऊ लकड़ी कम हो गई है और आदिवासियों के अलावा दूसरे ऊंटों के मालिकों की संख्या बढ़ गई है। इन ऊंट वालों का अपना ध्येय मुनाफा कमाने के लिये, आदिवासियों से मजदूरी करवा कर लकड़ी इकट्ठा करने का है। सूखी लकड़ी जंगल में नहीं होने की वजह से आदिवासी जंगल में जाते हैं और गीले पेड़ बुरी तरह से काटते हैं और उन्हें वहीं सूखने के लिये छोड़ देते हैं और फिर बाद में उस सुखाई हुई लकड़ी को लाकर ऊंटों के मालिकों के डिपो पर या बाजार में लाकर बेचते हैं। इस प्रकार से ठेकेदार लोग इस प्रकार के अवैधानिक कार्य में भी सहायक होते है।

अतः इस बेतरतीब और अवैधानिक तरह की कटाई को रोकने के लिये और कायदे के अनुसार कटाई कराने के लिये और आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिये यह कदम उठाया गया है।

वन विभाग ने गत तीन वर्षों से स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलकर बनों को बरबादी से बचाने के लिये वास्तविक आदिवासियों को जिनके पास ऊंट हैं उनकी सहकारी समितियां बनाने का प्रयत्न किया है। सहकारी समितियां बन जाने पर इनको प्रतिवर्ष कुछ वन-क्षेत्र दिया जायगा जिसमें से ये लोग लकड़ी काट कर ला सकें और अपनी जिन्दगी बसर कर सकें और जो मेहनत करे उसका पूरा फल और

(श्री भीखाभाई)

मुनाफा उन्हीं को मिले और सहकारी आन्दोलन को भी प्रोत्साहन मिलें इसलिये ऐसा किया गया है। जुलाई में ऐसी एक सोसाइटी भी बन गई है ।

मेरी राय में यदि स्वार्थी-लोग अपने हाथ इसमें से खींच लें और वन विभाग को सहकारी समितियां बनाने में सहयोग दें तो मुझे पूरी आशा है कि आदिवासियों की दयनीय स्थिति में बहुत सुधार होगा। साथ ही उदयपुर के आस-पास के जंगलों का विनाश रुक जायगा और वन अधिकारी इन जंगलों की कटाई वैज्ञानिक रूप से कर सकेंगे। ऐसा करने से देश की वन नीति तथा सहकारी आन्दोलन की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे।

जो जो आदिवासी अभी तक सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हुए हैं वे ज्योंही इन समितियों के सदस्य हो जायेंगे अथवा नई सहकारी समितियां बनायेंगे वैसे ही उनको भी सारी सुविधायें मिल जायेंगी और इस स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ऐसी समितियों के बन जाने के बाद उन्हें अपनी अलग से टाल लगानी होगी जहां उनकी लाई हुई लकड़ी बेची जाय । उन्हें डिपो का ठीक ढंग से संचालन करना होगा और माल अथवा आय का ठीक ढंग से हिसाब रखना होगा। जो भी मुनाफा होगा उसे मेम्बरों को बांटना होगा ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। कि जो माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल असत्य है। जहां तक आपने यह कहा कि वहां पर कोई भी आदिवासी लोग गुजारे की दृष्टि से लकड़ी नहीं लाते हैं, यह गलत है। मेरी दृष्टि से जो लोग ऊंटों पर लाद कर लकड़ी बेचने आते हैं वे सब के सब आदिवासी हैं और उनकी लकड़ी टाल पर नहीं जाती है और मैंने भी उनसे कई बार मोल ली है। उनका गुजारे का एक ही साधन था, वे लकड़ी बेच कर अपना गुजारा करते थे और यह प्रतिबन्ध लगाने से वह बन्द हो गया है। इसको करने का उद्देश्य था कि लकड़ी काटी जा रही है और जंगल बरबाद हो रहे हैं मैं समझता हूं, आदिवासी अपना गुजारा करते थे।

आपने इस प्रकार का कठोर नियन्त्रण लगाया है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या स्थिति है, मैं आपको बताऊं। पानरवा कांड में गुलाम अब्बास लाखों मन लकड़ी काट कर जलाने के लिए गुजरात को भेजता है। रतनपुर में उसका डिपो खुला हुआ है और यहां से हजारों ट्रक भरे हुए लकड़ी से बराबर गुजरात को जाते हैं। फोरेस्ट विभाग ने इस बारे में रिपोर्ट दी, लेकिन भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि इस बारे में कई बार मंत्री महोदय को कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। एक ओर बड़े बड़े सेठ नियम विरुद्ध लकड़ी जलाने के लिए गुजरात को भेज रहे हैं और व्यापार कर रहें और दूसरी ओर इस प्रकार से आदिवासियो पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वे अपने गुजारे के लिए लकड़ी काट कर, जिस प्रकार पहले गुजारा करते थे, अब नहीं कर सकते हैं।

Page No. 42

श्री देवीलाल : On a point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के लिए यह व्यवस्था माननीय वन मंत्री महोदय ने की उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जो आदिवासी ऊंटों पर लाकर लकड़ी बेचते थे उनकी एक सोसाइटी बनायी जाय और सोसाइटी में वह लकड़ी रखी जाय और वहां से बेचें, यह योजना अच्छी है। वैसे ठेकेदार वगैरह ले लेते हैं और वे लोग टाल लगाते हैं इससे उन गरीब आदिवासियों का तो शोषण ही होता है; ठेकेदार लोग शोषण ही करते हैं। इस शोषण को मिटाने के लिए ही इस प्रकार का कदम उठाया गया है, जो स्वागत योग्य है।

श्री विजयसिंह झाला : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष उस क्षेत्र में वर्षा भी नहीं हुई, इस कारण सारे के सारे जंगल बर्बाद हो गये हैं और अनाज की पैदावार में भी कमी हुई है। अकाल हो रहा है। इस तरह से ठेकेदार लोग हैं! जसवन्तसिंह फोरेस्टर से कहा कि सालर कटवाओ। वन विभाग ने उसके खिलाफ कार्यवाही की।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसके लिए तो मंत्री महोदय को धन्यवाद। गुलाम अब्बास की लकड़ी गुजरात जाती है वहां पर भी कोऑपरेटिव कायम करें। एक आदमी वर्षों से जंगल में लकड़ी कटवाता चला आ रहा है। वहां पर तो कोऑपरेटिव आपको आती नहीं लेकिन यहां पर तो घोषणा जरूर कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जो आदिवासियों की सोसाइटी बनायी और जिस सोसाइटी के मार्फत एक जावर वगैरह की सोसाइटी बनी, वहां का जंगल कटाया और ४० हजार रुपया तो जंगल कटाने में लगे और लकड़ी बेची गई वह चार हजार रुपये में बेची गई। और उस ठेकेदार ने सोसाइटी से ८० हजार रुपये में बेच खाई। तो जो इस प्रकार की सोसाइटियां आदिवासियों के नाम पर बना कर घोटाला करते हैं उसमें बड़े बड़े नेता लोग फंसे होते हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिये। इस तरह से तो सरकार इस पैसे से इन नेता लोगों का, ठेकेदारों का पेट भरती है; इससे आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है। इसको ध्यान में रखना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आदिवासियों की भलाई के लिये ही ये सब किये जाते हैं, पर इस भलाई की आड़ में उनका शोषण चलता है; अब तक की व्यवस्था में शोषण होता था; आपका यह मानना है ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : इसलिये कि आदिवासीयों से, ऊंटवालों से वे कोई सहानुभूति नहीं रखते। लकड़ी के लिये वे मारे-मारे फिरते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): इस वक्तव्य से मेरी सहानुभूति है, अध्यक्ष महोदय। उदयपुर के जंगलों में लकड़ी की समस्या दिन-ब-दिन विषम होती जा रही है और अगर विशुद्ध आदिवासियों की संस्थाओं द्वारा, सहकारी संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार विशेष इन्तजाम कर सकती है, प्रबन्ध

Page No. 43

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कर सकती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे ठीक रूप से उठाये हैं। किन्तु ये समस्या तो यह है कि जैसे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि संस्थाएं विशुद्ध आदिवासी संस्थाएं रहेंगी या उसमें दूसरे शोषक वर्ग के लोग आकर अपना उल्लू सीधा करेंगे और कागजी रूप से ही ये आदिवासियों की संस्थाएं रहेंगी। यदि यह योजना है सरकार की तो फिर पानरवा नम्बर दो और नम्बर तीन हो सकते हैं।

मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है सद्भावनापूर्ण है। अगर उसके अनुसार विशुद्ध आदिवासी संस्थाओं को ही प्रोत्साहन दिया गया तो मेरे ख्याल में जंगलों की भी हिफाज़त होगी और उसके साथ साथ आदिवासियों की लकड़ी सम्बन्धी कठिनाइयां भी हल हो जावेंगी तो मैं आशा करता हूं कि मन्त्रीजी का यह वक्तव्य केवल कागज पर ही नहीं रह कर वास्तविक रूप में परिणत होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मन्त्री महोदय ने आदिवासियों को यह भुलाने की बात कही है; वैसे जो वक्तव्य में बातें कहीं, उनसे मैं सहमत हूं। लेकिन करनी और कथनी का सवाल आता है, तब जाकर मालूम पड़ता है कि यह तो कोरी कागजी कार्यवाही पनपी है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं, आपके विभाग का कन्जरवेटर वहां पर लकड़ी कटवाकर ठेकेदार को ठेका दे देता है और वहां के लोग अगर लकड़ी के लिये जाते हैं तो उनकी दांतड़ी और कुल्हाड़ी छीन ली जाती हैं और उसका भी ठेका इस साल २२ तारीख को हो चुका है। अगर मन्त्री महोदय आदिवासियों के हित के लिये काम करने की बात कहते हैं तो २२ तारीख को ठेका सूखी लकड़ी का नहीं देना चाहिये था, क्योंकि वहां के लोगों का, बागीडोरा, सज्जनगढ़, डांबर वाले लोगों को लकड़ी मिलती नहीं है, रोटी वगैरह भी नहीं बना सकते; पर ठेका दे दिया गया है। वह ठेकेदार उनको बाहर ले जावेगा।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : कौनसा ठेका ? बांसवाड़े में कौनसा ठेका ?

श्री हीराभाई : भंवरगढ़ का कटा हुआ खंजर भावनकोट को २२ तारीख को नीलाम करके ठेके पर दिया गया है गोदगढ़, रांगा लँगरा का। चार जगह का ठेका दिया गया है, २२ तारीख को। यह तो दूसरी जगह की बात थी।

गत दो साल पहले मसरकोटा बासमती सहकारी समिति को दिया था और उसमें बांस पैदा होता है। वह बांस का ठेका उस समिति को जो आदिवासियों की है न देकर नीलाम किया गया। तमाम पठान हैं, बांसवाड़ा के, १२ हजार की बोली लगा दी। फिर क्या हुआ, नहीं कह सकता। और जहां मामूली बांस है वहां का ठेका २५-३० हजार का रिज़र्व रखा है। इस तरह का दिखावटी आपका काम है, यह मैं कह रहा था; तो इस तरह से समिति का नाम लेकर लोगों को पागल बनाना और ठेकेदारों से इस तरह से मिल कर उनको ठेके देते रहना, यह प्रजातन्त्र के और आदिवासी व अन्य मजदूरों के हितों के भी खिलाफ हैं क्योंकि वे तो ऊंटों से लेकर

(श्री हीराभाई)

बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं साधन जिनसे बाहर निकालते होंगे। चोरियों से भी निकालते होंगे और इस तरह से जंगल बरबाद भी किये होंगे। हमारे लिये तो कहते हैं चोरियों से नहीं ले जाने देंगे, पर इन चोरियों को आपका विभाग क्यों नहीं रोकता, क्या इसके लिये आपका विभाग मर चुका है? इतनी भी ताकत नहीं कि चोरियां उनकी न रोकें और चोरियों का बहाना बना कर गरीबों की रोटी छीन लें और इसलिये सहकारी समिति को पांच साल तक न मिल सके। मजदूर लोग भूखों मरते रहें। इनको तो किसी तरह प्रोत्साहन देना है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): चिप्स बोर्ड फैक्ट्री को २० साल का ठेका किसने दिया?

श्री मथुरादास माथुर: बीस साल पहले तो हम नहीं थे; आप ही थे, आपने ही दिया होगा?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: २०साल के लिये ठेका दिया गया और कुछ समय पूर्व दिया गया। आपके द्वारा ही दिया गया। वह मुबारक है आपको।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): वे ठेके बंद करवाने की हमने कोशिश की और आखिर में बन्द हो गया।

कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार ने सोसाइटी को नहीं देकर दूसरे को ठेका दिया। मैं निवेदन करूं कि कुशलगढ़ में बांस हैं, जिस समिति को ठेका दिया था उसने भी दुरुपयोग किया, फिर भी ठेका उनको दिया गया है। जंगल दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं। वर्षा इससे कम होती जा रही है। मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी जावे और आदिवासियों की जो सोसाइटीज़ बनें इसमें ईमानदार कार्यकर्ता रखे जायें। सरकार ने जो व्यवस्था की है उसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

उदयपुर डिवीजन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भयंकर दुष्काल है, इसका कारण वर्षा का अभाव है और वर्षा का अभाव जंगलों के कटने से हो रहा है। अगर इस तरह पानी का अभाव रहा तो अन्न उत्पादन भी कम हो जावेगा। इसलिये जंगलों को सुरक्षित करना जरूरी है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा रिक्वेस्ट है कि सोसाइटियां आदिवासियों की बनें, ठीक तरह से चलें और ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जावे।

श्री भीखाभाई: विरोधी दल के नेता ने जो बात कही उसकी मैं कद्र करता हूं। साथ ही कुशलगढ़ से और बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्यों की बातों की भी कद्र करता हूं। जहां तक राजस्थान में वन नीति और खास कर के शिड्यूल ट्राइब्स एरिया से सम्बन्धित वन नीति का सवाल है मैंने यह कहा था कि जहां तक हो सकेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जंगलों का कल्चरल ऑपरेशन्स या तो डिपार्टमेंट के द्वारा होगा या सोसाइटियों के द्वारा कराया जावेगा।

अब जो २२ तारीख की नीलामी की बात कही गई, यह मेरी जानकारी में आया

(श्री भीखाभाई)

था और इसलिये नीलाम किया गया था कि बम्बू का काम उधर बहुत कम होता है। पर फिर भी मैंने इसे कैंसिल कर दिया है और यह कह दिया है कि या तो सोसाइटी काम करे या फिर डिपार्टमेंटल वर्किंग शुरू किया जा सकता है।

चिप्स बोर्ड का जहां तक सवाल है २० साल की लीज़ पर पहले दिया गया था पर उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर पुनर्विचार करने के लिये उस मामले को रोक लिया गया है।

अन्त में मैं फिर निवेदन कर दूं कि जहां तकशिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में जंगलों के बारे में सरकारी नीति का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि किसी जगह पर काम हुआ तो या तो डिपार्टमेंटल होगा या सोसाइटियों द्वारा होगा, सिवाय कत्ये के काम के जो कि एक टेक्निकल काम है।

अब जिस ठेके की बात कही गई है माननीय सदस्य द्वारा अगर वह दिया गया है, मुझे इस समय उसकी जानकारी नहीं है तो कैंसिल कर दिया जावेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पानरवा का क्या हुआ ?

(१२.२४ म०प०)

भीलवाड़ा मिल में कुछ मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा मिल में कुछ मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल चल रही है। इसके सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केदारनाथ ने दी हैं। इस पर मंत्री महोदय आज या कल, जैसा उपयुक्त समझें, उत्तर देंगे।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जवाब इस समय तो तैयार है नहीं इसलिये कल जो सूचना मिलेगी, निवेदन करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि भूख हड़तालियों को नवां दिन है जिसमें एक भूख-हड़ताली श्री महमूद की हालत खराब है। उसका १५ पौंड वजन कम हो चुका है और इतना ही नहीं, और साथी भी भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं। दो साथी फिर भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं और स्थिति काफी गम्भीर होती जा रही है भीलवाड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल की।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कितने पौंड वजन कम हुआ ? एक पौंड भी वजन नहीं घटा, अध्यक्ष महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आपका समय आवे, तब आप कह दीजिये। चार दिन हो गये स्थगन-प्रस्ताव को दिये और गिरधारी लालजी बेचैन हैं। उनके इन्टक ने मैनेजमेंट के साथ मिल कर असंतोष बढ़ाया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : छिप छिप कर खाते हैं, और १ पौंड भी वजन कम नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी बेचैनी मेरी समझ में आती है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय, सम्भव हो तो कल अवश्य वक्तव्य दे दें।

(१२.२५ म. प.)

रबी की फसल खराब होने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

दो स्थगन-प्रस्तावों की और सूचना आई हैं। इनका सम्बन्ध फसलों के खराब होने के सम्बन्ध में है। विरोधी दल के नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंह व अन्य सदस्यों ने सारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों एवं उदयपुर जिले के कुछ हिस्सों में रबी की फसल खराब होने के सम्बन्ध में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है। इसी तरह माननीय श्री विजयसिंह झाला ने नाथद्वारा तहसील में ऐसी स्थिति के बारे में सूचना दी है। माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय इसके सम्बन्ध में भी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वह तो फूड डिबेट कल होगी उसमें स्केयर्सिटी, फ्लड पर भी विचार कर रहे हैं तो उसमें एक यह और हो जावेगा। We shall be communicating this to the Minister concerned.

श्री अध्यक्ष : तो इसके सम्बन्ध में, फ्लड आदि के सम्बन्ध में और भी स्थगन प्रस्ताव आये हैं तो उन पर इस समय चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर उन पर उसमें भी बहस कर ली जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने खाद्य व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उत्तर देने का आश्वासन दिया था। अब उत्तर दिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : कल डिबेट में दे दिया जावेगा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर स्थगन-प्रस्ताव अलग चीज है और डिबेट अलग चीज है। अगर डिबेट में इसे लेकर उत्तर देने का आश्वासन मन्त्री महोदय द्वारा मिलता है तो हमें सन्तोष है; नहीं तो स्थगन-प्रस्ताव को अलग चीज मानकर स्पेसिफिक रिप्लाई इसके लिए अलग से होनी चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर): मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव बाढ़ के सम्बन्ध में था और डिबेट में तो तैयारी खाद्य के बारे में जरूर हुई है, इसके बारे में हुई हो, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। तो या तो बाढ़ की सारी स्थिति कल की खाद्य पर होने वाली बहस में भी सामने आ जावे कि किस तरह से भारत सरकार द्वारा कदम उठाये गये और राज्य सरकार ने क्या किया और कितना क्या नुकसान हुआ और उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। कल जिन बातों पर बहस होनी है उनके बारे में सर्कूलर भी इश्यू हो गया। उसमें तो बाढ़ का कहीं जिक्र भी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : फ्लड के बारे में भी बहस में प्रश्न उठावेंगे तो जवाब दे देंगे ।

श्री रामकिशन : प्रश्न नहीं उठाया जावेगा तो नहीं दिया जावेगा, तब तो कठिनाई होगी । बाढ़ और खाद्य के कृषि मन्त्री को अपना वक्तव्य देना चाहिये । खाद्य के मामले पर तो सर्कूलर में जिक्र है, पर बाढ़ की क्या स्थिति है, क्या क्या, कितना कितना नुकसान, कहां कहां हुआ, इसकी जानकारी नहीं है । यह जानकारी मिलनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यह स्थिति है कि खाद्य विभाग द्वारा खाद्य के सम्बन्ध में एक नोट तैयार किया जाकर वितरित किया गया है । सूचना मिली है कि बाढ़ के सम्बन्ध में भी विभाग नोट तैयार कर रहा है और वह आज आ जावेगा और उसमें आपका बाढ़ का उल्लेख भी आ जावेगा और अन्यों ने जो जो सूचनाएं दी है उनके उत्तर विशेष रूप से सरकार की ओर से आवेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है । गंगानगर की बाढ़, साइफन की सारी स्थिति आ जावेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तलवाड़ा साइफन के सम्बन्ध में जानकारी चाही है ।

श्री अध्यक्ष : वही तो मैं निवेदन कर कर रहा हूं कि वह भी आ जावेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो अलग है, अध्यक्ष महोदय । इसका बाढ़ से इतना सम्बन्ध नहीं होकर कन्स्ट्रक्शन वर्क से अधिक सम्बन्ध है । इसलिए वह बाढ़ से अलग चीज है, इसलिए इसका अलग उत्तर दे दें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बहस में जो भी स्थिति रखेंगे, उसका उत्तर दे देंगे चाहे वह किसी से भी संबंधित हो ।

शेष स्थगन प्रस्ताव विषयक

कुछ स्थगन प्रस्ताव और हैं जिनके बारे में अभी वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके बारे में जानकारी सरकारी की ओर से विस्तृत रूप से नहीं आई है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । उनकी फसल का समय बिलकुल आ रहा है भीलवाड़ा....

श्री अध्यक्ष : उन सब पर विचार किया जा रहा है और जब सूचना आ जायेगी उसका उल्लेख सदन में कर दिया जायेगा ।

(१२ ३२ म० प०)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४
(खण्डश : विचार-विमर्श)

राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल पर बहस चल रही थी । उसकी व्यवस्था इस प्रकार है कि अब सामान्य बहस इस स्थिति पर समाप्त होती है । केवल विरोधी पक्ष के माननीय नेता इस संबंध में बोलेंगे और उसके पश्चात् इस पर मतदान हो

(श्री अध्यक्ष)

जायेगा और फिर क्लॉज़-बाई-क्लॉज़ डिसकशन चलेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव था इस पर इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने हेतु....

श्री अध्यक्ष : अब समय काफी कम है और क्लॉज़ेज़ पर अमेन्डमेन्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं और अगर समय रहा तो थर्ड रीडिंग के समय भी कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल आसन की यही व्यवस्था थी कि जो नोट ऑफ डिसेन्ट देने वाले हैं वे भी आज बोलेंगे अगर मौका दिया जाये तो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है बोलना चाहें तो बोल सकते हैं; केवल इसको ध्यान में रखकर कि वे बिलकुल संक्षेप में बोलें ताकि बहस ज्यादा न बढ़े ।

विराम)

श्री लक्ष्मणसिंह ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह संशोधित विधेयक दूसरी बार सदन के समक्ष आ रहा है और अधिक समय सदन का नहीं लूंगा लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा । राजस्थान राज्य में विकेन्द्रीकरण की योजना सन् ६० से लागू हुई और राजस्थान हमारे भारतवर्ष के अन्दर सबसे प्रथम प्रदेश था जहां पर यह योजना लागू की गई । यह त्रिसूत्रीय योजना के नाम से पुकारी जाती है । ३ स्तर, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् इस प्रकार ३ स्तर जो इसके अन्दर हैं उसके आधार पर इसे त्रिसूत्रीय योजना कहा जायेगा । पंचायतों के शासन के सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण किया गया कि जो कमेटी शासन के सम्बन्ध में सिहावलोकन करके राजस्थान सरकार को रिपोर्ट करे । वह कमेटी आम तौर से सादिक अली कमेटी के नाम से पुकारी जाती है । अध्यक्ष महोदय, सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट जहां तक मुझे मालूम है केवल अंग्रेजी भाषा के अन्दर ही शाया और वितरित हुई है । मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है कोई अधिकृत रूप से उस रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद वितरित नहीं हुआ । इस सदन के माननीय सदस्यों की सहूलियत देखते हुए मेरे ख्याल से यह आवश्यक था कि अधिकृत रूप से उक्त का रिपोर्ट अनुवाद हिन्दी के अन्दर प्रकाशित होता और माननीय सदस्यों को उस हिन्दी रिपोर्ट को अवलोकन करने को समय प्राप्त होता ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि रिपोर्ट पर इस सदन के अन्दर कम से कम एक दिन के लिए बहस होना परम आवश्यक था लेकिन सरकार ने कई कारणवश

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सम्भवतः समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं किया जो मेरे ख्याल से स्पष्टतया एक बड़ी कमी है। जहां तक वर्तमान संशोधित बिल इस सदन के समक्ष आया है मैं यह समझता हूं कि सरकार ने सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के जो बहुत से प्रावधान हैं उस सम्बन्ध में विशेष विचार न करके, अधिकांश रूपेण उक्त रिपोर्ट को बलाये ताक रख दिया। मैं उसके साथ साथ यह भी अनुभव करता हूं कि अगर सरकार को कमेटी नहीं ही मुकर्रर करनी थी और वर्तमान संशोधित विधेयक को लेकर ही काम चलाना था तो मेरे ख्याल से इस कमेटी को कायम करना और इसके ऊपर इतना खर्चा करना बिलकुल बेकार सी बात थी और सदन की जानकारी के लिए मैं आवश्यक समझता हूं कि मन्त्री जी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें कि उक्त कमेटी के उपर कितना खर्च किया गया। राजस्थान सरकार को मितव्ययता की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और यह परमावश्यक भी है और तभी कमेटी का निर्माण करना चाहिए। कमेटी का निर्माण करने के पश्चात कमेटी के सुझावों के सम्बन्ध मे अगर सरकार कोई विशेष विचार नहीं करती है तो मेरे ख्याल में यह सरकार की एक अदूरदर्शिता की नीति है।

कमेटी के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जो उल्लेख हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख, मैं समझता हूं, वह यह है कि कमेटी के निर्णयों के अनुसार, कमेटी के विचार के अनुसार कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि पंचायत जो एक मौलिक इकाई है, जो बेसिक यूनिट है और जो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार ग्राम राज्य की एक बुनियाद है, वे पंचायतें हमारे राजस्थान राज्य के अन्दर बराबर जम नहीं पायीं, पंचायतें अपने कर्त्तव्यों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकीं। यह कमेटी का अभिमत है। उसके साथ मेरी पूर्णतः सहानुभूति है और मैं समझता हूं कि कमेटी का यह निष्कर्ष तथ्यहीन नहीं है, वास्तविकता के अनुसार यह निष्कर्ष है।

मैं यह भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस निर्णय पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, ऐसा मैं अनुभव नहीं कर सकता। सरपंच और पंच जो हमारे गांवों के अन्दर हैं उनका अध्ययन सामान्य ही हुआ करता है। वे विशेष विद्वान हों, ऐसा अनुमान करना तथा ऐसी आशा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा और जहां तक पंचायतों के फरायज़ और उत्तरदायित्व सरपंचों पर आते हैं वे हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वास्तविक रूप से देखा जाये तो सरपंच ही वहां पर अकॉउन्टेन्ट है, सरपंच ही क्लर्क है और वही उसका सेक्रेटरी है और सरपंच ही देखा जाये तो वास्तविक रूप से सरपंच है या मुखिया है या हैड ऑफ दी विलेज है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के समक्ष यह सुझाव रखना चाहूंगा कि जहां तक सम्भव हो यह अनिवार्य रूपेण तो लागू नहीं है लेकिन एक कन्वेन्शन ऐसा डेवलप किया जाये कि जहां तक सम्भव हो ग्रामसेवक को यदि सरपंच चाहे तो एक्स- ऑफिशियो रूप से उसकी पंचायत का सेक्रेटरी कायम किया जाये, सम्भवतः ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है कि जहां पर सरपंच नहीं चाहे कि ग्रामसेवक को सेक्रेटरी कायम किया जाये

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो ऐसी समस्या को सरकार सहानुभूतिपूर्वक देख कर एक्सेप्शन टू दी जनरल रूल माने और सरपंच को बाध्य न करे कि आवश्यक रूपेण ही ग्रामसेवक को एक्स-ऑफिशियो सेक्रेटरी पंचायत का कायम किया जाये। लेकिन जहां पर पंच चाहता है और पंच को आपत्ति नहीं है, मेरे ख्याल से अगर ग्राम सेवक द्वारा वहां पर सेक्रेटरी का काम किया जायगा तो पंचायत के दफ्तर की व्यवस्था ढंग से चलेगी और हिसाब बदस्तूर चल सकेगा और मेरे ख्याल से जो आज की आपत्तियां हैं, जो आज हम अनुभव करते हैं कि पंचायतें बराबर जम नहीं पाई हैं उस समस्या का एक हद तक हल निकल सकता है।

इसके साथ साथ मैं यह भी अनुभव करता हूं कि जब तक पंचायतों के पास कोई धन नहीं है तब तक वे कभी भी सुचारु ढंग से नहीं चल सकती हैं। पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने की बहुत सी बातें कही जाती हैं। उस सम्बन्ध में मैं कुछ प्रकाश डालूंगा, लेकिन यहां पर सरकार के विचार के लिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि भू-राजस्व यानी लगान को एक-चौथान अगर पंचायतों को अनुदान के रूप में दिया जाय तो मेरे ख्याल से पंचायतें जम पायेंगी, पंचायतें सुचारु ढंग से काम कर सकेंगी। सरकार का मैं इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के अन्दर यह प्रावधान है कि यदि पंचायतों में अमुक हद तक श्रमदान नहीं हो पाये तब तक अनुदान के रूप में पंचायतों को सरकार के द्वारा कोई धनराशि नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से इस प्रावधान के प्रति एक हद तक मुझे सहानुभूति है; किन्तु अगर आप यह अनिवार्यरूपेण श्रमदान का प्रावधान रखते हैं तो मेरे ख्याल से यह खुली हुई बात है कि इसमें एक खामी है और साइकोलोजिकली मेरे ख्याल से इस बात का कोई अच्छा प्रभाव ग्रामीण जनता पर नहीं पड़ता है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि शहरी जनता पर अगर श्रमदान का कोई प्रावधान अनिवार्य रूप से नहीं रखते तो उसके साथ साथ ग्रामीण जनता के ऊपर इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का व्यवहार करना, मेरे ख्याल में उचित नहीं है और अगर हमारे नागरिक देशभक्ति के सिद्धान्त से डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की शान, के महत्व को नहीं पहिचानते तब तक अगर अनिवार्य रूप से आप उनको यह कहेंगे कि श्रमदान करना ही पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से यह बेगार का दूसरा रूप है और इस से लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बल्कि लोगों में भ्रष्टाचार फैलता है। सरपंच को झूठ बोलना मजबूरन पड़ता है और तरह तरह की बातें कहकर अपने ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है कि श्रमदान इतना हुआ और इससे अधिक नहीं हो सकता। वास्तविक रूप से श्रमदान के सम्बन्ध में सरपंच को सहयोग ही प्राप्त नहीं हो तब भी कई बातें उसको इधर-उधर की मिलानी पड़ती हैं। इसलिए मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि जहां श्रमदान हो सकते हैं स्वेच्छा के द्वारा, वॉलन्टेरिली तब तो वह श्रमदान हैं, नहीं तो मेरे ख्याल में यह श्रमदान नहीं हैं। यह एक योजना ऐसी है कि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को ठेस पहुंचाती है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नागरिक शान के लिए मेरे ख्याल में यह उचित व्यवस्था नहीं है और सरकार का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करूंगा कि ऐसी श्रमदान की योजना या आपके श्रमदान के अनिवार्य रूप से जो प्रावधान हैं उनको आप बन्द करें।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है, सरकार की नीति के अनुसार एक हद तक है. लेकिन आपका सहकारी आन्दोलन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है और सहकारी आन्दोलन जब तक सफल नहीं हो तब तक व्यापक रूप से आप सहकारी आन्दोलन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप एक कागजी कार्यवाही के द्वारा, प्रावधानों के जरिये से अगर सहकारी समितियों को पंचायत समितियों के अन्दर थोपेंगे तो मेरे ख्याल से कोई लाभ नहीं है, कोई प्रगति नहीं है और यह एक कागजी कार्यवाही है, इसका मैं विरोध करता हूं। अगर आपको सहकारिता में सफलता नहीं मिलती है तो व्यापक रूप से उसको सफल बनाइये। यह स्पष्ट बात है कि कोई चीज लोकप्रियता प्राप्त करती है तो उसका प्रतिनिधित्व आता ही है प्रकृति के नियम के अनुसार। किन्तु मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि जो आपने प्रावधान रखा है सहकारिता के सम्बन्ध में तीनों स्तरों के ऊपर-पंचायतों में, पंचायत समितियों में व जिला परिषदों में, मेरे ख्याल से वह प्रिमेच्योर है और आज की स्थिति के अन्दर, आज जो सहकारिता का इवोल्यूशन हम देखते हैं, जिस स्थिति में जिस स्तर पर सहकारिता पहुंची है राजस्थान में, मेरे ख्याल में उसको देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए, आपका यह जो प्रावधान है यह प्रिमेच्योर्ड है।

अध्यक्ष महोदय, पहले जो विधेयक आया उस विधेयक के अन्दर प्रावधान रखा गया कि पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों की अवधि पांच साल रखी जाय। तो अगर यह रखा जाता तो मेरे खयाल से एक बहुत बड़ा सिद्धान्त इसके अन्दर था। विधान सभा की अवधि ५ साल है, आपकी लोकसभा की अवधि ५ साल है और बहुत से ऐसे सिद्धान्त हैं कि जिनके अनुसार मैं समझता हूं कि ५ साल की अवधि पर्याप्त और उचित है। सादिकअली कमेटी ने ४ वर्ष इस सम्बन्ध में, अवधि के सम्बन्ध में नियत किये और अब फिर आप अर्थात् राजस्थान सरकार घूमघाम कर अपने असली खूंटे पर वापिस आकर बैठ गई कि तीन साल ही है। खैर, यह आपको जो निर्णय है वह आपकी नीति से सम्बन्ध रखता है, लेकिन अगर आपको पंचायतों, लोक सभा और विधानसभाओं को कोटेर्मीनस बनाना है, मेरे खयाल से उसमें मितव्ययिता भी थी, निष्पक्षता भी थी और चुनाव व्यवस्था को देखते हुए मेरे खयाल में एक बहुत बड़ा सिद्धान्त इसके अन्दर है।

आज यह जो पार्टीवाद, यह जो निरन्तर चुनाव होने से गांवों में फूट-फजीता होता है, यह जो कुछ भी हल्ला-गुल्ला होता है वह एक दफा हो हुआ कर खत्म हो। आज पंचायत समितियों और पंचायतों के चुनाव ३ साल में, विधान-सभा, लोकसभा के चुनाव ५ साल में होने से निरन्तर पार्टीबाजी, निरन्तर संघर्ष, मेरे खयाल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में इस देश के अन्दर जो कोई आप चीज लाना चाहते हैं, जो गति स्थापित करना चाहते है उसके सिद्धान्त के भी यह प्रावधान विपरीत है और मैं सरकार को पुन: निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो ऐसी स्थिति में है कि पंचायती राज्य का सिंहावलोकन करके यह अनुभव कर सके, यह निर्णय कर सके कि पंचायतें हमारे यहां किस हद तक सफल हुई हैं और किस हद तक सफल नहीं हुई हैं। अन्य राज्यों से आज राजस्थान इस दशा में है क्योंकि पंचायत राज्य राजस्थान में ही सबसे पहले लागू हुआ है। व्यक्तिगत मेरा अनुभव कि इस कटुता से बचने के लिये यदि आप ५ साल का प्रावधान रखते हे पंचायतों के लिये तो इसमें आप कोई बुराई नहीं करते हैं। पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद् के कार्य काल को भी आप देखें तो यदि ५ साल का किसी व्यक्ति को कैरियर दें तो वह ऐसी स्थिति में हो कि स्टेबिलिटी दे सके। तीन साल तो कहते कहते गुजर जाते हैं और फिर चुनाव, लोक सभा और विधान सभा के चुनाव, निरंतर चुनाव, निरन्तर गांवों में चुनाव होना मेरे ख्याल से स्वस्थ परंपरा, भारतवर्ष में कायम करने वाली व्यवस्था हो, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान और प्रमुख के चुनाव के संबंध में जो आपने इलेक्टोरल कॉलेज बनाया है, जो मतदाताओं के क्षेत्र की आपने व्यवस्था की हैं वह विस्तृत हो, किन्तु मेरे ख्याल में यह खर्चीली व्यवस्था आपने भी होगी। मैं इस संबंध में कोई अपने विचार व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं। यह संभव है कि जिस तरफ सरकार जा रही है वह कदम ठीक हो, लेकिन यह निर्विवाद बात है कि इस व्यवस्था में खर्चा बढ़ेगा, लोगों को तवालत बढ़ेगी और यदि इलेक्टोल कॉलेज बढ़ाकर आपको अनुभव करना है दो, चार या ६ साल के लिये तो आपकी मर्जी है। लेकिन व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि जो व्यवस्था आपने की थी वह इतनी बुरी नहीं थी। बहुत से माननीय सदस्य यह भी मानते हैं कि बालिग मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार प्रमुख और प्रधान का चुनाव उन क्षेत्रों में हो। मेरे ख्याल से यह आवश्यक नहीं है, और यह भी सदन के समक्ष अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता हुआ निवेदन करूंगा कि जो आपके प्रधान पुराने एक्ट में थे और जो वर्तमान अमल रायज था वह अच्छा था, किन्तु यदि आप क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज. और एम. पीज़. के संबंध प्रावधान रखा हैं कि वे प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। हमारे आजाद देश में ऐसा प्रावधान होना अनावश्यक है। अलबत्ता यह आवश्यक है कि यदि एम. पी. या विधान सभा का सदस्य कोई प्रधान या जिला प्रमुख का चुनाव लड़े और सफल हो जाय तो वह व्यक्ति एक ही पद पर आरूढ़ रह सकता है; यह नहीं कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर एम. पी. भी रहे और प्रधान भी रहे, यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी। लेकिन एम. पी. और एम. एल. ए. को यह कतई कह दिया जाय कि प्रधान या जिला परिषद का प्रमुख नहीं बन सकते, इसका मैं अलबत्ता विरोध करूंगा।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दूसरी तरफ म्युनिसिपल क्षेत्र के नागरिकों के लिये आपने प्रतिबंध लगाया है, वह भी अनुचित है। हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति लोक सभा का चुनाव लड़ना चाहे तो सारे देश में, यदि वह किसी भी चुनाव क्षेत्र का रहने वाला है, तो चुनाव लड़ सकता है और यदि कोई विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहे तो राजस्थान के किसी भी विधान सभा क्षेत्र का वोटर है तो राजस्थान के किसी भी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। ऐसी स्थिति में शहर के निवासियों पर प्रतिबंध लगाना कि प्रमुख के लिये खड़ा नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से अनुचित है। मैं पुरज़ोर अपील करूंगा कि यदि पंचायत समितियों में योग्यता लाना चाहते हैं, यदि एबिल्टी के हिसाब से उनकी समस्या को हल करना चाहते हैं, तो हमारी जनता पर प्रतिबन्ध लगाना अवांछनीय है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह संशोधन आ गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं कल यहां पर नहीं था। यदि मंत्रीजी मान लेते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा।

मैं सर्विसेज़ की विशेष टीका–टिप्पणी करके डीमोरेलाइज़ करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकता।

हमारे यहां एक पंचायत क्षेत्र है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। उस पंचायत समिति का आधा क्षेत्र माननीय मंत्री महोदय, जो मेरे सामने विराजमान हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में है और आधी पंचायत समिति डूंगरपुर से आने वाले एम. एल. ए. महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां के बी. डी. ओ. की कई बार शिकायत की गई। यदि वे शिकायतें बहरे कानों पर जावें तो मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन आखिरकार पंचायत समिति की भी अवधि है, वे साहब १९६० से अब तक वहां रखे हुए हैं। आज यदि आप चाहें तो थोड़े दिन और गुजार दीजिये, लेकिन अंततोगत्वा उनका तबादला होना चाहिये। उसके मुकाबले में आपके पड़ोसी क्षेत्र में, मेरे आसपुर निर्वाचन क्षेत्र में, चार साल में बी. डी. ओ. का चार दफा तबादला किया गया। ९–१० महीनों से अधिक बी. डी. ओ. वहां रह नहीं पाता और यदि वह मेरे से सम्पर्क में करता है तो वह अवांछनीय माना जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि चार साल की अवधि बी. डी. ओ., सीमलवाड़ा के लिये पर्याप्त है और आज मैं डूंगरपुर के नागरिक के रूप में मंत्रीजी से, जो इस बिल को पॉयलेट कर रहे हैं, उनको, निवेदन कर रहा हूं कि मेरिट ऑफ दि केस पर उचित व्यवस्था करें। यदि मिसल है तो उसको मंगाकर फैसला करेंगे। तो आपके कांग्रेस के प्रधान उससे कितने संतुष्ट हैं, इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे कहने में तथ्य है या उसमें कुछ तथ्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिये कि एस्टीमेट्स, युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कम्पलीशन सर्टिफिकेट देने के संबंध में भ , सरकार रूल मेकिंग ऑथोरिटी है, सरकार को कायदे बनाने का अधिकार है, उसके अंदर कोई न कोई अवधि मुकर्रर की जाय कि यदि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एस्टीमेट् मांगा जाता है और सारा खमियाजा, प्रधान हैं उन पर आवे तो इंजीनियर या ओवरसीयर्स से कम से कम इतनी अवधि मेंजवाब मिल जाना चाहिये; दो महीने में ४ महीने में याछः महीने में-आज तो एक दो साल तक भी जवाब नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि एस्टीमेट्स के बारे में अधिक से अधिक ६ महीनों में प्रधान या प्रमुख को उत्तर तो मिलना चाहिये और किन्हीं कारणों से नहीं मिलता तो कारण बताने चाहियें जिससे कि मिसल पर कुछ न कुछ प्रमाण रहेगा कि कौनसे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एस्टीमेट् नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने पर अंकुश लगाना परमावश्यक है। आप पंचायतों से युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं—प्रधान या सरपंच से क्यों नहीं मिला, इसको महीने की या दो महीने की अवधि में मांगना चाहिये। इसी तरह से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की अवधि होनी चाहिये। यदि कम्प्लीशन और युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दें तो कारण व्यक्त करें कि इन कारणों से सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो कम से कम बेचारे प्रधान और सरपंच जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान न होना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वप्न में भी सदन के समक्ष निवेदन नहीं करना चाहूंगा कि अगर विपक्षी सरपंच या प्रधान कोई भ्रष्टाचार करे या अनियमितता करे तो उसको शील्ड करें या उनको बचायें, यह तो, जहां तक मेरा अनुमान है, नीति कांग्रेस की नीति है और यह अशोभनीय नीति है; आपको यह नीति छोड़नी चाहिये। आपके अन्दर यह हौसला होना चाहिए, यह साहस होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़ा दंड मिले—ऐसी व्यवस्था की जाय। आप उसको शील्ड न करें, उसको बचायें नहीं। हमारी यह नीति है, हम किसी को शील्ड नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसको बरियत के लिए खड़ा होना चाहिए ताकि वह बार बार नौकरशाही के द्वारा शिकार नहीं बनाया जाय।

(१.०० म० प०)

पंचायत समितियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुतेरे विचार कर रही है। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आज का आधुनिक समय है, वह इन्टर-डिपेंडेन्स का है, वह इन-डिपेंडेंस का नहीं है; पारस्परिक स्वावलम्बन होने की व्यवस्था विश्व भर में प्रचलित है। मैं सरकार से निवेदन करूं कि आप तो स्वयं दीवालिया सरकार हैं। अगर केन्द्र की सहायता आपको न मिले तो मेरे ख्याल में आपकी स्थिति यह हो जाय कि माहवारी आपके मुलाजिमों को तनख्वाह वितरित करना मुश्किल हो जाय। इसलिए केन्द्र में और आपमें सामंजस्य और लेन-देन का व्यवहार हो, यह उत्तम चीज है। इसलिए उसी तरह से पंचायतों के साथ अनाथ और ओर्फन जैसा व्यवहार करना छोड़ दें। You leave them in cold and do nothing for them; तो यह तो मेरे ख्याल से बहुत विचारणीय है। आपकी उनके प्रति गारन्टी है। गवर्नमेंट की गारन्टी होती है एक गार्जियन के तौर पर। इसलिए आपको पंचायतों को स्वावलम्बी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बनाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, न कि यह कि हम अपनी जाने और पंचायतें अपनी जानें, लगायें टैक्स और बनें स्वावलम्बी। यह मेरे ख्याल में उपेक्षा की प्रवृत्ति है; इसकी मैं निन्दा करूंगा।

माननीय सदस्य जो हमारे दल के हैं, जो आमेर से आए हुए हैं, उन्होंने–मैं तो यहां नहीं था, कुछ कहा होगा। उस पर माननीय मन्त्रीजी ने उनको कहा कि मैंने यह सुझाव उनके समक्ष रखा था कि पंचायतों के चुनाव मार्च के अन्दर किये जायं। अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक सदन के समक्ष आया था गत सत्र में, तो मैंने यह अवश्य कहा था कि नवम्बर के अन्दर या अक्टूबर के अन्दर पंचायतों का चुनाव रखेंगे तो यह अवश्यमेव करवायें लेकिन विरोधी पक्ष की जीपों को तुड़वा देंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र के अन्दर सड़क नहीं बन पाती हैं और पत्थरों के अन्दर जीपों को दौड़ाने का अर्थ क्या है ? सरकार तो सरकार है, सरकार के लम्बे चौड़े वाहन हैं; "रावला घोड़ा बावला असवार," सरकार चाहे तो सरकारी साधनों का उपयोग करके चुनाव कर सकती है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : आपकी इजाजत हमको है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी इजाजत तो नहीं है, लेकिन आपको किसी की इजाजत की आवश्यकता हो तो न ! क्या हुआ हनुमानगढ़ में ?

श्री मथुरादास माथुर : हनुमानगढ़ में सरकार की एक जीप नहीं थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने सुना है और देखा है। ठीक है, अपने विचार और कभी इस सम्बन्ध में व्यक्त करूंगा, अभी समय नहीं है।

तो मैंने कहा था कि १९६५ में चुनाव हों तो ठीक है। तो मेरा मन्त्रीजी से सद्–भावनापूर्ण यह निवेदन है कि वे इस सदन में ऐलान करें और आज ही करें, केबिनेट से परामर्श करने के पश्चात् करें कि कम से कम चुनाव पंचायतों का कब होगा। यह मैं मानता हूं कि यह प्रिविलेज है आपका, आपका अधिकार है....

श्री मथुरादास माथुर : आपका सुझाव क्या है ?

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री): आपके सुझाव के अनुसार करवा दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं, फिर भी मैं इस हद तक सुझाव देने की स्थिति में हूं कि १९६५ की शुरूआत में आप करें। लेकिन मेरी बात आप लेकर आप मार्च में करना चाहें, तो करें। वैसे विधान सभा के सत्र, बजट सेशन, के समय करना क्या उचित होगा। आपको करना है तो जनवरी, फरवरी में करें और फिर मार्च में करें। जब करने हैं करिये, लेकिन कम से कम विधान सभा के सत्र पूर्व चुनाव हो जायं तो ठीक है। और १९६५ से पहले पंचायत के चुनाव नहीं हों तो ठीक है। इतना मैं निवेदन करता हूं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी बात को मानते हुए पंचायतों के चुनाव १ जनवरी, १६६५ को शुरू होंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं आपको याद दिला दूं; आपने घोषणा की थी कि फरवरी-मार्च, १६६४ में चुनाव हो जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रस्ताव आ चुका है। आपके नेता कह रहे हैं कि जनवरी में चुनाव करवाये जायं। उसको हमने मंजूर किया। फिर भी आपका विरोध है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं घोषणा की बात कह रहा हूं। आपने कहा था कि १६६४ में चुनाव हो जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे आश्वासन तो आप बदलते हैं। मैं तो चुनाव करवा रहा था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप जो आश्वासन देते हैं उसको वास्तविक रूप से कार्यरूप में आप परिणत करेंगे। अपन जब मिलेंगे तो मैं आपको मुबारिकबाद दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इसे पुनःप्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल आज हमारे सामने है। इस बिल के अन्दर जो नये अमेंडमेंट्स हमारे मन्त्री महोदय ने कल ही हमारे सामने सरक्यूलेट किये हैं उनको देखने से विदित होता है कि कल एक नया कानून उन्होंने और लाकर रख दिया है। जिन बातों के ऊपर, जो सिलेक्ट कमेटी थी, उसने विचार नहीं किया, उनको इन अमेंडमेंट्स के द्वारा रखा गया है और सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट हाउस के सामने है उसको भी इन सारे अमेंडमेंट्स के जरिये बहुत कुछ बदल दिया गया है। मेरा एतराज़ इस सम्बन्ध में यह था कि जहां हमने पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए खड़े होने का अधिकार पंचायत समिति के अन्दर रहने वाले वोटर्स को दिया है उस हालत में वोटर यदि कोई पार्लियामेंट का मेम्बर बन गया है या लेजिस्लेटिव एसेम्बली का मेम्बर बन गया तो वह प्रधान नहीं बन सकता; यह बात इसमें कही गई है। मैं जहां तक समझता हूं इस तरह से कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी स्थान पर खड़े होने से रोकना उचित नहीं है जब कि इसी कानून के अन्दर अधिकार है कि कोई भी वोटर खड़ा हो सकता है। उसी के आगे आप देते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव एसेम्बली का मेम्बर है या पार्लियामेंट का मेम्बर है तो वह खड़ा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है कि किसी जगह पर किसी भी आदमी को खड़े होने का फन्डामेंटल राइट है, उससे उसे अलग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा अनुभव है, चाहे वह अनुभव दूसरों का नहीं हो, या जो मेरा अनुभव है उसको गलत समझते हों, लेकिन मैं अदब के साथ आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान पंचायत समिति का हो आज की हालत में, जो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पंचायत और पंचायत समिति की हालत है उसमें इस तरह का जरूर होना चाहिए कि जिसके अन्दर कम से कम ऑफिसर्स को कुछ कहने की हिम्मत हो। वहां पर जो ऑफिस होल्ड करने वाले गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं अगर वे कोई गलत काम करते हैं तो उनको रोकने की, जब तक उसके अन्दर पॉवर या करेज नहीं हो, जो प्रधान की जगह बैठा है, उसके यहां पर काम हो रहा है पंचायत समिति में वह कानून के अन्तर्गत है या नहीं, यह देखने की पॉवर और करेज प्रधान में होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकारी अहलकार कानून विरोधी कोई काम कर डालते हैं तो आज की सरकार न तो उनको ठीक करने के लिए तैयार है और न उनके बारे में सुनने के लिए तैयार है। आज जितनी पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद् हैं उनमें कोई काम हुआ है, और उनमें कोई गलतियां हुई हैं और कोई कानून के खिलाफ काम हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें ६० प्रतिशत काम सरकारी अहलकारों ने किए हैं और दस प्रतिशत काम दूसरे हो सकते हैं, जो नुमाइन्दे वहां जाकर बैठे हैं, जनता के द्वारा चुन कर बैठे हैं, उनके द्वारा हुए है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा कम हुई हैं। सरकारी अहलकार वहा बैठे हुए हैं, बी. डी. ओ. एक्सटेन्शन ऑफिसर और दूसरे लोग हैं, वे वहां बैठे हैं, उनके पास जितने काम हैं, खर्च करने के, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के, और पंचायतों की जांच करने के—उन्होंने कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध, ऐसे काम किये हैं और अल्टीमेटली ऐसा काम करने के बाद पंचायतों के वे लोग, जो कानून को नहीं समझते हैं, नियमों को नहीं समझते हैं— चाहे वे लोग सरपंच हो या पंच हों — इनको कानून की धाराओं में फांस कर उन जगहों से हटाया गया है। सरपंचों को सरपंचों के पद से सस्पेन्ड किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रधान हूं, मुझे चार साल हो गये हैं लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कि माननीय भीखाभाई, इन्चार्ज मिनिस्टर हैं, वह १६५६ और ६० की जो ऑडिट रिपोर्ट है और १६६०–६१ की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको मंगा कर देखें, बनेडा की पंचायत समिति में उस वक्त के बी. डी. ओ. थे, उनके समय के ऑडिट ऑब्जेक्शन में ७३ हजार का घोटाला है, उसका वह रेकार्ड नहीं बता पाये थे। मैंने और वहां पर दूसरे नये आने वाले बी.डी. ओ. थे उन्होंने कॉन्फीडेंशियल रिपोर्ट दी और जाकर मिले। यही कारण है कि कोई आने वाला बी. डी. ओ. है वह पंचायत समिति में काम नहीं करता है और यही कारण है माननीय अध्यक्ष, यदि इन सारी चीजों को चैक-अप करके देखें तो आपको मालूम होगा कि हर साल बी. डी. ओ. वहां पर बदलते जाते हैं, इसका मूल कारण यही है कि पिछले जितने भी घोटाले अकाउन्टस के हैं वे ठीक तरह से पूरे नहीं हुए। आज वहां के अकाउन्ट को देखने से यह मालूम नहीं होता कि कौन कौन से मदों में कितना कितना रुपया बाकी है। प्रधान और सरपंचो को नियमों का ज्ञान नहीं होता और इस कारण जहां बी. डी. ओ. को ५००) रु० खर्च करने का अधिकार है वहां पर वह १० हजार रुपये खर्च कर देता था और खर्च कर दिये। मगर इस सरकार के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

लिया और न किसी प्रकार का एक्शन लेने को हमारी सरकार तैयार है और न उन गलतियों को दुरुस्त करने को तैयार है। आज कितने ही काम पंचायत समितियों में होते हैं और जिन पर लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। लोगों को तकावी के रूप में लाखों रुपये दिये जाते हैं, पम्पिंग सेट के लिये भी लोगों को रुपये दिये जाते हैं। तकावी के लिये एक लाख रुपये तक दिये जाते हैं और पम्पिंग सेट के लिये पांच-पांच हजार रुपये देते हैं। कोई योजना बनायें तो लाखों रुपये खर्च किये जावें; मगर मैं यह कहूंगा कि पम्पिंग सेट के लिये कोई भी सामान खरीदा जावे तो उस सामान को टेन्डर के जरिये खरीदा जाना चाहिये। मगर ऐसा नहीं होता। यह नियम है कि एप्रूव्ड शोप से खरीदा जावे। मगर ज्यों ही लोन के रुपये दिये जाते हैं तो कहा जाता है कि फलां कम्पनी के यहां से यह पम्पिंग सेट खरीदो। इसके अलावा रूल्स बने हुए हैं कि कोई भी बी. डी. ओ. ५००) रू० से ज्यादा बिना समिति की कोरम की आज्ञा के नहीं खर्च कर सकता है; लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी पंचायत समिति ऐसी नहीं होगी जिसमें बी. डी. ओ. ने हजारों रुपयों का खर्चा नहीं किया हो और लाखों रुपयों का घोटाला है, मगर फिर भी प्रधान इस प्रकार का आदमी नहीं है जो उनको कुछ कह सके। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती उनको कुछ कहने की और वे नियम नहीं जानते अतः बी. डी. ओ. उनसे गलत काम करा लेते हैं।

अब आप यह कानून बनाने जा रहे हैं कि प्रधान पंचायत समिति का एम. एल. ए. नहीं हो सकता। आप नियम बनाते हैं उसमें अगर एम. एल. ए. हो जिसको नियमों की जानकारी हो, तो वह ठीक तरह से कर सकेगा और काम भी अच्छा होगा और बी. डी. ओ. आदि को भी कुछ कह सकेगा और वे लोग भी उसको नियमों के जानने के कारण गलत काम नहीं करा सकते हैं। आपने कोऑपटेड सदस्यों को रखा है। पंच, सरपंच उसको वोट देते हैं और अगर वह योग्य व्यक्ति है और उसमें काम करने की क्षमता है तो ऐसे व्यक्ति को जरूर आना चाहिये। उसको आने का हक होना चाहिये। उसको जनता से अलग रखने का क्या कारण है? एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि एम. एल. ए. को जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये और सम्पर्क बढ़ाना चाहिये और दूसरी तरफ आप यह नियम ला रहे हैं और उसको जन-सहयोग से अलग रखना चाहते हैं; इसका क्या कारण है? जबकि हम म्युनिसिपल और पंचायत राज्य के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं तो फिर यह क्यों किया जा रहा है कि कोई एम. एल. ए. या एम. पी. प्रधान नहीं हो सकता। आपने यह प्रावधान रखा है कि प्रधान म्युनिसिपल एरिया का रहने वाला हो सकता है। मैं यह कहूंगा कि आप अपने आपको सोसियलिस्टिक पेटर्न की सरकार कहते हैं, मगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं और यह जनता के साथ सरासर धोखा है। आप जानते हैं कि जनता सत्तर प्रतिशत रूरल एरिया में रहती है। वहां का व्यक्ति एम. एल. ए. हो तो हो जावे, पार्लियामेंट का सदस्य हो तो हो, जावे, चाहे वह उस जिले का हो या नहीं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके द्वारा सरकार से, आपने यह क्यों रखा कि प्रमुख म्युनिसिपल एरिया का

(उमरावसिंह ढाबरिया)

रहने वाला होना चाहिये ? जब वह एम. एल. ए. हो सकता है, एम. पी. हो सकता है तो फिर आप इस प्रकार क्यों करना चाहते हैं ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि आप इसको किस लिये रख रहे हैं कि म्युनिसिपल एरिया का रहने वाला हो, आप जो एग्ज़िक्युटिव पॉवर्स देना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि एग्ज़िक्युटिव पॉवर्स शहर के रहने वाले व्यक्ति के पास ही होने चाहिये ताकि वह शहरों की भलाई का ही ध्यान रखें और गांव वालों की तरफ ध्यान न दें। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि गांवों की तरफ, उनकी तरक्की के लिये शहर के लोग कभी भी ध्यान नहीं देंगे। शहर का व्यक्ति इतनी दिलचस्पी नहीं लेगा जितनी गांव का रहने वाला गांव वालों के लिये लेता है।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : आपके जिले में कितना अच्छा काम हुआ है ? जो कि जिला प्रमुख हैं वे एम. पी. बन गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसीलिये मेरा एतराज है कि वहां का रहने वाला प्रमुख रहे और उसको भी एम. पी. बनने का फायदा हो और एम. पी. के लिये प्रमुख बनना चाहिये। परन्तु गांव के रहने वालों के लिये यह प्रावधान इसीलिये नहीं है कि वह भी राज्य सभा का सदस्य बन सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपको सही तरीके से जिला परिषद् का काम चलाना है तो आपने जो कानून में रखा है कि कोई भी वोटर पंचायत समिति का प्रधान बन सकता है जो वोटर हो। उसके बाद किसी प्रकार एक्स, वाई या जेड की जरूरत नहीं है। इसलिये कोई भी योग्य व्यक्ति हो और वह जिस जगह के लिए खड़ा होना चाहे, हो सकता है और वोटर्स उसको वोट दे दें तो वह उस स्थान के लिये चुना जा सकता है, इसका उसको अधिकार है। समझ में नहीं आता कि आप उसके अधिकारों पर किस तरह से इस प्रकार की रोक लगाते हैं ? मैं कहूंगा कि इस प्रकार की रोक लगाना उचित नहीं है। अगर आप इस प्रकार की रोक लगाते हैं तो पंचायत समितियों में आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा क्योंकि बी. डी. ओ. उन लोगों को दबाएगा और उनसे नाजायज काम करवेगा और लाखों रुपयों का घोटाला जिस प्रकार आज हो रहा है उसी प्रकार चलता रहेगा। आज, अध्यक्ष महोदय, वे लोग क्या करते हैं कि अगर हम किसी को कर्जा देते हैं और मान लें कि दस आदमियों को पम्पिंग सेट के लिए कर्जा दिया तो उस व्यक्ति को कहा जाता है अगर राजस्थान मशीनरी मार्ट है उस दूकान से पम्पिंग सेट खरीदोगे तो तुमको रुपये देंगे। इसी तरह से कमीशन का सौदा होता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दूसरी तरफ एल. आई. सी. के कमीशन एजेन्ट पंचायत समिति और पंचायतें हो सकती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पंचायत समितियें और पंचायतें उसकी एजेन्ट हैं। मगर होता यह है कि बी. डी. ओ., एल. आई. सी. के एजेन्ट हो रहे हैं और उनके जरिये जो काम कराये जाते हैं उसमें हजारों रुपये का कमीशन दिया जाता है। प्रधान को मालूम है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट के

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बच्चे और बीबी लाइफ इन्श्योरेन्स के सदस्य नहीं हो सकते, मगर होते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि पंचायत राज को अच्छी तरह से चलाना है तो गांव वालों को आगे बढ़ाना होगा और गांव के रहने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा गांव की तरक्की का मौका देना चाहिए। पंचायत समिति का कोई भी वोटर किसी भी जगह खड़ा हो सकता है। इस पर किसी प्रकार की रोक लगाना उसके अधिकारों का हनन करना हैं। इसलिए मैंने अपना असहमति-पत्र दिया था और वह इसलिए भी ठीक नहीं है कि सरकारी अधिकारी आते हैं वे इतना घोटाला करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अगर इसको चैक-अप नहीं करेंगे तो पंचायती राज खत्म हो जावेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छे आदमी आवें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ में जो प्रवर समिति ने रिपोर्ट दी है उसमें मेरी दो असहमतियां हैं और इसी कारण मैंने असहमति-पत्र संलग्न किया है। जहां तक पंचायती राज का सवाल है—पंचायती राज, लोकतंत्र, और समाजवाद ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते। दुनिया के पिछड़े हुए देशों में वहां के नागरिकों का अधिक से अधिक सहयोग कैसे लिया जाय, इसके लिए यह आवश्यक है कि वहां के राजकाज में उनको अधिक से अधिक हिस्सा दिया जाय। क्योंकि जब तक वे यह अहसास नहीं करेंगे कि राज्य हमारा है तब तक वे लोक निर्माण के कार्यों में न दिलचस्पी लेंगे और न हिस्सा ही लेंगे। उन्हें यह अहसास कराने के लिए कि राज्य उनका है यह आवश्यक है कि बालिग मताधिकार के आधार पर ही सब प्रकार के चुनाव होना चाहिये। मेरी पहली असहमति यह है कि प्रधान तथा प्रमुख के चुनावों में मतदाताओं की संख्या को सीमित न रख कर बालिग मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव कराया जाना चाहिए।

विरोधी दल के नेता की यह राय थी कि मौजूदा व्यवस्था अच्छी है, यह उनकी राय है, उनको राय रखने का अधिकार है; पर जैसा कि हमने अनुभव किया है, मौजूदा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, सीमित मताधिकार के कारण भ्रष्टाचार फैला है, जिनके पास पैसा था, जो लोग सवर्ण थे, जिनके पास आधिकार थे वे लोग विद्या संस्कार के कारण, पैसे के कारण, प्रधान और प्रमुख के स्थानों पर आये हैं। गरीब, दबाये हुए लोग, हरिजन, आदिवासी जिनके लिए कि यह पंचायती राज व्यवस्था की गई है, वे लोग इन पदों पर नहीं आ पाये हैं। इस कारण न उनका विकास होता है और न कुछ लाभ होता है। जब तक बालिग मताधिकार के आधार पर सभी बालिग मत-दाताओं से इनके चुनाव की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक देश का कोई विकास नहीं हो सकेगा।

१९वीं धारा में प्रावधान किया है, जो दबे हुए हैं उनके उत्थान के लिये, उनकी सेवा के लिए पंचायत समिति को स्थाई

(श्री रामकिशन)

समितियों का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य जानते हैं कि २३२ प्रधान और २६ प्रमुख हैं उनमें कुछ सरपंचों को और कुछ प्रधानों को लोभ-लालच देकर, मुख्य मन्त्री जी से मुलाकात करा कर, ऐसे लोग बैठ गये हैं, जिनको दबे हुए लोगों के उत्थान से कोई रुचि नहीं, विकास के कार्यों में कोई रुचि नहीं, जिनकी रुचि केवल इस चीज में है कि राज सत्ता हमेशा उनके हाथों में रहे।

तो दुनिया की जितनी चुनाव प्रणालियां हैं, यहां तक कि जहां एक पार्टी राज है वहां भी यह मान कर चलते हैं कि मतदान सीधा और बालिग मताधिकार के आधार पर हो क्योंकि यह सीमित मताधिकार की प्रणाली भ्रष्टाचार को जन्म देती है। जहां जाति व्यवस्थाएं नहीं हैं वहां हो सकता है इन्डॉइरेक्ट चुनावों का मौका दिया जाता हो, पर सच्चा लोकतन्त्र वही है, जहां चाहे राज्य का सवाल हो, चाहे पंचायतों का सवाल हो, चाहे पंचायत समितियों या जिला परिषदों का सवाल हो, सीधे तरीके से मत दाता चुनावों भाग ले सकें। तो मेरी पहली मांग तो यह है कि बालिग मताधिकार के आधार पर ही पंचायतों, पंचायत समितियां और जिला परिषदों के चुनाव होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि बार बार चुनाव होने से झगड़ा होगा। यूरोप के देशों में विरोधी दल के नेता गये हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी अक्सर यूरोप के दौरे करते रहते हैं, वहां आपने देखा है कि मामूली बात पर चुनाव हो जाते हैं। मामूली नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर वहां सरकार इस्तीफा दे देती है; चुनाव तो बार बार होने चाहिए लोकतन्त्र में। लोकतन्त्र में चुनावों का मतलब यह नहीं है कि ५ साल के लिए हमारा गला काटने का पूरा अधिकार है आपको। दुनिया के देशों में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करने पर जनता अपने चुने हुए लोगों को गद्दी से उतार देती है।

विरोधी दल के नेता ऐसी बातें कह रहे थे जिनसे सरकार को बल मिलता है और यह होना स्वाभाविक भी है क्योंकि दोनों ही पुराने संस्कारों में, पूंजीपति पार्टियों में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि चुनाव जितने शीघ्र हों, जितने ज्यादा हों, उतना ही राज-काज में जनता अधिक भाग ले सकेगी। अगर सरकार यह समझती है कि इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था मंहगी है तो हमारे दल ने मांग की है कि ६२ के बाद, चीनी आक्रमण के बाद, जनता का इस सरकार में कतई विश्वास नहीं रहा है, यह सरकार उस आक्रमण में एक दम पराजित हुई है इसलिए यह सरकार इस्तीफा दे दे और दुबारा चुनाव हों; पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, विधान सभाओं और लोक सभा के, सबके चुनाव एक साथ हों और ये सब चुनाव पांच साल के लिए हों, इस प्रकार बालिग मताधिकार से सीधे रूप में चुनी हुई इन सभी संस्थाओं की पांच साल की अवधि रख दी जाय। खर्चा बचाना चाहते हैं तो इस तरह से खर्चा बच जायेगा। इससे लाभ यह होगा कि पंच, सरपंच, प्रमुख, प्रधान, विधान सभा के सदस्य और लोक

(श्री रामकिशन)

सभा के सदस्य, सब एक साथ चुन लिए जायेंगे। यह सरकार तो एक क्षण भी रहने लायक नहीं है।

पंचों को अधिकार दे कर पहले से सरकार अच्छा काम कर रही है पर पूरी तरह अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी और मेरे दल की राय है कि कोई भी चुनाव हों वे सब बालिग मताधिकार के आधार पर, सीधे चुनाव होने चाहिये।

मेरी दूसरी असहमति यह है कि हमारे देश की समाज व्यवस्था ऐसी बन गई है कि समाज का एक ही वर्ग चाहे जहांगीर का समय लें, चाहे माउन्टबेटन का समय लें, चाहे लालबहादुर शास्त्री का समय लें, लौट फिर कर राजगद्दी पर आता रहा है। उसी वर्ग के लोग हमेशा राजगद्दी पर आते रहे हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता है। यूरोप में समाजवाद का मतलब अधिक उत्पादन करना है वहां एशिया और अफ्रीका में गरीबों को उठाना है। हिन्दुस्तान में शोषितों, पीड़ितों, हरिजनों और औरतों को ऊंचा उठाना है, क्योंकि ये संस्कार-विहीन दबे हुए वर्ग हैं, सदियों से पीड़ित लोग हैं। हमारे दल की मांग है कि जिस तरह विधान सभा, लोक सभा में सीटें सुरक्षित की जाती हैं उसी प्रकार पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला बोर्डों में भी इन दबे हुए, शोषित तबकों के लिए सीटें सुरक्षित होनी चाहिए। यह जब तक नहीं होगा तब तक ऊंचे वर्ग के लोग ही राज्य के मालिक होते रहेंगे।

तो मेरा निवेदन है कि इस साधारण सत्य को सरकार अवश्य स्वीकार करेगी; विधान सभाओं में, लोक सभाओं में हम यह स्वीकार कर चुके हैं। पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें को महिलाओं, आदिवासियों और हरिजनों को दें। भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासन के मामलों में ये लोग ज्यादा अच्छे निकलेंगे। क्योंकि ऊंचे वर्ग के लोग इनमें आते हैं तो देखते हैं कि वे यह समझते हैं कि हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वे मनमाना भ्रष्टाचार करते हैं; पर हरिजन और महिलाएं व आदिवासी आयेंगे तो वे डरेंगे, अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी और मेहनत के साथ अच्छे कार्य करेंगे, इससे हमारे देश की प्रगति की रफ्तार तीव्र होगी।

यह व्यवस्था इसलिए भी जरूरी हो गई है कि चीनी आक्रमण के बाद, चीनी आक्रमण के बाद हिन्दुस्तान की तस्वीर बदल गई। आप पुराने इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि जब तक हिन्दुस्तान इन छोटी छोटी जातियों में, इन वर्गों में, ऊंचे वर्गों के राज्यों में नहीं बंटा हुआ था, वैशाली का, लिच्छवी गणतन्त्र था, जब तक ये गणतन्त्र रहे तब तक हमारा देश कभी पराजित नहीं हुआ; क्योंकि गणतन्त्र व्यवस्था में महिलाओं और आम लोगों का प्रतिनिधित्व था, गणतंत्र व्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिक गणतन्त्र राज्य को अपना राज्य समझता था और शत्रु का आक्रमण होने पर प्रत्येक व्यक्ति लड़ता था। पर जब से गणतन्त्र व्यवस्था समाप्त हुई हमारा देश पराजित होता रहा क्योंकि आम जनता नहीं लड़ी। गणतन्त्र व्यवस्था की

(श्री रामकिशन)

समाप्ति के बाद आप इतिहास उठा कर देख लें कभी हिन्दुस्तान की जनता नहीं लड़ी क्योंकि वह सोचती थी कि हमारा राज्य नहीं है, ब्राह्मण, बनिये या राजपूतों का राज्य है, ये ही लोग लड़ेंगे। ये लोग ही लड़ते रहे, आम जनता नहीं लड़ी, इसलिए हिन्दुस्तान पराजित होता रहा। जनता इन युद्धों के समय सोचती रही कि जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा उसी की हम तो गुलामी करेंगे।

सारी दुनियां में जनता ने विद्रोह किये हैं, पर हिन्दुस्तान के अन्दर जनता ने विद्रोह नहीं किये, सेनाएं तो हिन्दुस्तान की लड़ी हैं, पर हिन्दुस्तान की जनता कभी राज्य करने वालों के विरुद्ध नहीं लड़ी। क्योंकि उनका राजकाज में कभी हिस्सा नहीं रहा, राजकाज में आनन्द नहीं रहा तो कौन सिर कटाने जाय ? चीन और पाकिस्तान का खतरा हमारे सामने है। इसलिए राजकाज में आप लोगों को हिस्सा देंगे तो वे देश को अपना घर समझेंगे। अगर कुछ लोगों के साथ राजकाज रहा तो जैसे अभी तक दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठा तो उसको सलाम, माउन्टबेटेन बैठा तो उसको सलाम, चाहे शास्त्रीजी बैठें, चाहे मोरारजी बैठें तो भी वही बात रहेगी। हम जो समाजवाद मानते हैं तो हिन्दुस्तान के हर नागरिक पुरुष को राजा और स्त्री को रानी बनाना चाहिए। वे राजा-रानी तब बन सकेंगे जब समाज में, आर्थिक व्यवस्था में उनका बराबरी का हिस्सा होगा। तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में इन वर्गों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो न तो लोकतन्त्र है न समाजवाद।

हमारे देश में एक अजीब भ्रान्ति है। अभी निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि औरतें सरकार में नहीं होनी चाहिए इसके बजाय तो बाजार की गुड़ियां लाकर बिठाइए। यह ठीक है कि आज की ग्रामीण महिलाएं हैं वे गुड़ियाओं से अधिक नहीं हैं, लेकिन यदि पुरुषों को भी राजकाज से १०० सालों के लिए दूर रखा जाय तो वे भी मिट्टी के खिलौने बन जायेंगे। हम मानते हैं कि औरतें नहीं बोलती हैं, कम से कम बराबर में आकर कुर्सी पर तो बैठने लग गईं, इतनी हिम्मत तो उनकी हुई कि मंच पर आ गईं, कुर्सी पर बैठने लगीं। जब आज बैठने लगी तो कल राजकाज भी संभालेंगी। आप तो पोलैंड भी होकर आए हैं। पोलैंड की नारियों ने जर्मनी के आक्रमण के समय जो जोहर दिखाया वह दुनिया में किसी जगह नहीं दिखाई दिया क्योंकि वे राजकाज की खुद मालिक बनी रहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब के लिए सुरक्षित स्थान निर्धारित किए जायं। यह कोई भावनात्मक प्रश्न नहीं है। मैं कोई हरिजन नहीं हूं, मैं सवर्ण हूं, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसका तो केवल नारा है और हमारा धर्म है। केवल वोटों को प्राप्त करने के लिए हरिजनों से प्रेम दिखाएंगे। जैसे भीखाभाई सुखाड़िया जी के खिलौने हैं। सुखाड़ियाजी खिलौना क्यों रखते हैं; आदिवासियों से कहते हैं कि देखो तुम्हारे आदमी को हमने मन्त्री बना दिया....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपके पास हीराभाई जो खिलौना है।

श्री रामकिशन : हीराभाई हमारे दल के उपनेता हैं। आपने हरिराम को खड़ा किया था, उसको दो वोट भी नहीं मिले। लेकिन यह तो उपनेता बने, मीटिंगों का आयोजन करते हैं, नीति सम्बन्धी भाषण देते हैं। लेकिन भीखाभाई की हालत क्या है, जब मुख्य मन्त्री को देख लें, भीखाभाई अपनी गर्दन झुका लेंगे। तो मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे।

एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। हिन्दुस्तान के एक हजार साल के इतिहास में इस वर्ग के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। जब तक नारियों की हालत ऐसी रहेगी तो न तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, न सामाजिक हालत सुधरेगी, न प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि आपने नारियों की क्या हालत बना रखी है। मैत्री और गर्गी दो महिलाएं हुई हैं। जितनी बड़ी बात मार्क्स ने कही उतनी गर्गी ने कही। कितने लोग जानते हैं। कांग्रेस वाले तो शायद गर्गी का नाम नहीं जानते। गर्गी के दर्शन और नाम से उनका सम्बन्ध नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान के दार्शनिक बहुत मान्यता वाले केवल इसलिए पीछे रह गए। मैत्री की भी यही स्थिति रही। सन्त रैदास हिन्दुस्तान के किसी सन्त से कम नहीं, लेकिन हरिजन बन कर रह गए। तुलसीदास को मान्यता देते हैं, और कई सन्तों को मान्यता देते हैं, लेकिन रैदास को नहीं। मैं किसी पुराने इतिहास की बात नहीं कहूंगा, एक नई दुनिया की बात कहूंगा। आम्बेड्कर किसी से कम प्रतिभाशाली नहीं, मैं उसके पिछले कम से सम्बन्धित नहीं, लेकिन प्रतिभा में, ज्ञान में, क्षमता में, कर्म में जो आम्बेड्कर की स्थिति थी वह हिन्दुस्तान की मौजूदा केबीनेट में किसी की नहीं है; लेकिन आम्बेड्कर पूरे समय तक केवल हरिजन नेता ही बन कर रह गए। इस सदन में भी कोई ऐसा मन्त्री है तो हम समझते हैं कि ईमानदारी से ऐसी परम्पराओं को उनको तोड़ना चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि भीखाभाई इस पर सोचेंगे, चाहे उनको मन्त्री-पद से त्यागपत्र भी देना पड़े। अगर त्यागपत्र दे दिया तो अगली बार आप मुख्य मन्त्री बन कर आओगे। इस राजस्थान के अन्दर हरिजन आदिवासी और महिलाओं की संख्या कितनी है? अगर आप मान जायं तो ७०-८० लाख महिलाएं आपके साथ हो सकती हैं; तो फिर तो आपका कल्याण हो जायगा। इस वक्त आप कमजोर बने हुए हैं, सुखाड़िया के हाथ के खिलौने के अलावा आप कुछ नहीं। आप बीबी के साथ बैठ कर उनको दिखा सकते हैं कि आप मन्त्री हैं, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि मौजूदा मन्त्री सुखाड़िया के पेशकार हैं और मन्त्री नहीं, उनकी अपने अफसरों के आगे नहीं चलती, समाज के बीच नहीं चलती। मुख्यमन्त्री का इशारा होगा तो सारे लोग बोलने लग जायेंगे। तो सदन के सभी माननीय सदस्य, जो अनुभव में विद्वता में मुझसे ज्यादा हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करें और मैंने जो मांग की है कि हरिजन, आदिवासी और महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किये जायं, उस पर विचारें। अब कितने सुरक्षित किये जायं यह सवाल उठता है। वैसे हम राजस्थान के हरिजनों, आदिवासियों और महिलाओं को देखें तो वे ६० परसेंट हैं तो यदि ३०-४० परसेंट का कम से कम अधिकार उनको नहीं दिया तो हमारा

(श्री रामकिशन)

समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा और पंचायत राज की जो मूल भावनाएं हैं उनमें सहयोग नहीं दे सकेंगे। इस देश के अन्दर हमने अभिमन्यु के विषय में पढ़ा है, वह कितना चमका है, क्योंकि उसके मां-बाप दोनों द्विज थे और उधर घटोत्कच्छ थे, बहादुर थे लेकिन वह इतना नहीं चमका, क्योंकि उसका बाप तो द्विज था लेकिन मां अद्विज थी। आज जो दूसरे देश हैं-घाना, बर्मा, इन्डोनेशिया, वे हमसे आगे चले गए पैदावार के मामले में, फौजी ताकत के मामले में आगे गए क्योंकि वहां सारा समाज इन चीजों में हिस्सा लेता है। हिन्दुस्तान में करीब २ करोड़ ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं, सदनों में बैठते हैं, भाषण भी देते हैं बाकी ४० करोड़ का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सरकार उनके अधिकारों को छीनने की चेष्टा कर रही है क्योंकि आपने समाजवाद तो स्वीकार किया है लेकिन वह धोखेबाज है, जैसे डाल्डा, माल्ती, बसन्ती ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बसन्ती और माल्ती का स्पष्टीकरण करें।

श्री रामकिशन: डाल्डा में दो तीन किस्में हैं।

तो मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करें। मैंने कुछ संशोधन पेश किए हैं उनको अच्छी तरह से देखें। आप चाहें तो इन व्यवस्थाओं को केबिनिट में लावे या कांग्रेस असेम्बली पार्टी में इन पर विचार कर लें। यदि आप इन व्यवस्थाओं को इनमें शामिल नहीं करेंगे तो सही माने में लोकतंत्रीय पद्धतियों का निर्माण नहीं कर सकेंगे और न ही उनका विकास कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अभी विरोधी दल के नेता ने एक बात कही। किस भावना से कही, यह तो वे जाने। उनकी अपनी तकलीफ होगी। योजना मंत्री ने और पंचायत मन्त्री ने दोनों ने एक बार में यह घोषणा की कि चुनाव १ जनवरी को करावेंगे। सरकार तो बार बार वचन भंग और कर्म-तोड़क है। आपका कौन भरोसा करेगा, आप बार बार घोषणा करते हैं और तारीख बदलते हैं। इस सदन में छः बार आप घोषणा करते हैं और जब भी आप घोषणा करते हैं चेहरे पर चमक ला कर, चेहरे पर मुस्कराहट लाकर करते हैं, बड़े नाटकीय ढंग से घोषणा करते हैं। महीने भर बाद होंगे चुनाव ये, आप निश्चित जो भी घोषणा करें सोच-समझ कर करें। वर्ना कौन आपकी इन घोषणाओं पर विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा? लोकतंत्र में जब सरकार पर से विश्वास उठ जाता है तो तानाशाही आती है, फौजी शासन आता है और एकदलीय शासन चला आता है। वे शासन बड़े कष्टदायक और उत्पीड़क होते हैं जैसे खुश्चेव के साथ हुआ। जब भी मंत्री महोदय अपनी वाणी निकालें तो जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सोच-समझ कर निकालें। बोलें तब सार्थक भाषा बोलें, सीमित बोलें, परिमित बोलें और परिमार्जित भाषा बोलें। ऊट-पटांग जब चाहा तब बोल गये। यह सदन कोई बच्चों का खेल नहीं है, या नागौर की कोई मंडी नहीं है। जो कुछ भी कहें, सोच-समझ कर और परिमार्जित रूप में कहें। नागौर से आने वाले मंत्री महोदय ने एक घोषणा की और आपने भी अपनी घोषणा को बदल दिया। कौन विश्वास करेगा

(श्री रामकिशन)

आपके मंत्रि मण्डल पर ? आपके मंत्रिमंडल में भी तो भरोसा कहां, एक दूसरे में मतभेद है। सात मंत्रियों ने तो इस्तीफे दे रखे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है।

श्री रामकिशन : मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं उसमें आपको फायदा ही होगा। वकालत करूं आपके लिए और आप उसको स्वीकार न करें।

मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और जो व्यवस्थाओं के लिए मैंने निवेदन किया है उनको कृपा कर स्वीकार करेगी।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मोतीलाल चौधरी : फर्स्ट रीडिंग पर कब तक बहस चलेगी ?

श्री अध्यक्ष : जैसी व्यवस्था है, जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिये हैं उनको बोलने दिया जाय। अभी भी माननीय सदस्य जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है उनको बोलने का मौका दिया है।

श्री केसरीसिंह : मैंने भी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर असहमति-पत्र दिया है। उसमें मुख्य रूप से दो बातें कही हैं। एक बात तो ऐसी कही है जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा कर दी। उसके बारे में मैं संक्षेप में कह देता हूं। जब प्रधान का चुनाव करने के लिए किसी वोटर को अधिकार दिया है तो फिर एम. एल. ए. को इसके लिए डिबार करना अनुचित लगता है। यह बात सही है कि एम. एल. ए. एम. एल. ए का और प्रधान का-ये दोनों पद एक साथ न रखें। इसलिये एम. एल. ए. के लिये डिबार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एम. एल. ए. यदि चुनाव में जीतता है तो उसके लिए यह लाजमी हो जाना चाहिए कि वह लेजिस्लेचर की सीट वेकेट करे। ऐसा ही मेरा सुझाव जिला प्रमुख के लिए भी है।

दूसरी बात को मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। वह यह है कि हमने इलेक्टोरेट को बड़ा बनाया है। प्रधान के लिए वोट देने का अधिकार अब न केवल सरपंचों को है बल्कि पंचायत के पंचों और कोऑप्टेड पंचों को भी यह अधिकार दिया गया है और प्रमुख के लिए वोट देने का अधिकार प्रधानों के अलावा सब सरपंचों को भी दिया गया है। यह कहें कि इलेक्टोरेट को बड़ा बनाया गया है, यह ठीक बात है। लेकिन इससे चुनाव बहुत ही खर्चीले हो जावेंगे, ऐसा निश्चित है। ये चुनाव ज्यादा खर्चीले हो जावेंगे और असुविधाजनक भी हो जावेंगे, यह बात सदन के अन्य कई माननीय सदस्यों ने भी महसूस की है और उनमें से कइयों ने यह भी राय दी है कि प्रमुख के चुनाव के लिए सब सरपंचों को एक जगह इकट्ठा करना इतना असुविधाजनक और खर्चीला है कि यह नहीं होना चाहिए और पहले जैसा था उतना ही संक्षिप्त कर दें। सरपंचों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, मैं इत्तिफाक नहीं करता लेकिन इसको कम खर्चीला कैसे बनाये

(श्री केसरीसिंह)

कम असुविधाजनक कैसे बनायें, इसके लिए मेरा यह मत है कि इसमें ऐसा प्रोसीजर बनाया जा सके जैसे प्रधान का चुनाव लड़ने वाला कोई है तो उसको बहुत पहले ही, लगभग तीन सप्ताह पहले ही, नोमिनेशन पेपर भर देना चाहिए और जब तक चुनाव नहीं हो जाते उसको दो तीन सप्ताह का समय मिल जाता है तो वह उस समय में पंचों और सरपंचों से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। जिस दिन चुनाव होवें उस दिन, पहले दिन तो पंच और सरपंच का चुनाव हो और उनके मत गिने जावें और रिज़ल्ट घोषित किया जावे। जो पार्टी चुनाव कराने जावे उस दिन वहीं ठहर जावे और दूसरे दिन दो-तीन काम वहां कर आवें। प्रधान के लिए जो वोटर हैं पंच और सरपंच उनके वोट पेटी में डलवा कर लावें और सब जगह से पेटियां इकट्ठी होने पर उनको खोलें तो उससे प्रधान के चुनाव का फैसला हो जायगा और दूसरा काम पंचायतों के पंचों का कोऑप्शन और उप-संरपंचों का चुनाव भी करा देवें। अगर ऐसा हो जाता है तो पंचायत समिति की पहली बैठक होगी उसमें प्रधान और सरपंच ये सब उपस्थित होंगे और वे अपनी समिति के लिए कोऑप्शन करेंगे। उसी दिन वे एक काम और करें। एक तो प्रमुख के लिए वहां पर वोट कास्ट कर देना चाहिये प्रधानों का और सरपंचों को अपनी अपनी पंचायत समितियों में और दूसरा काम यह कर लेना चाहिये। इस प्रकार चुनाव कर लेना चाहिये और सदस्य कोऑप्ट भी कर लेना चाहिये। इस प्रकार चुनाव सुविधाजनक और कम खर्चीले हो सकते हैं। ये न केवल गवर्नमेन्ट के लिए सुविधाजनक होंगे बल्कि जो केन्डीडेट खड़े होंगे और जो वोटर्स होंगे, उनको सरकार टी. ए., डी. ए. तो देगी नहीं, वे इतनी दूर चल कर क्यों आवें, या तो वे इन्डिफरेन्ट रहेंगे या केन्डीडेट उनको खिलाने-पिलाने और ठहराने, लाने ले जाने की व्यवस्था करें, उन सबके लिए सुविधाजनक होंगे और कम खर्चीले भी होंगे। लेकिन यह तब ही संभव है कि जो कोऑप्टेड मेम्बर हैं पंचायत और पंचायत समिति के उनको प्रधानों को वोट देने का हक न रखा जाय। अगर उनको हक दिया जाता है तो वह प्रोसीजर संभव नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोऑप्टेड मेम्बर, पंचायत और पंचायत समितियों के हैं उनको सरपंच और प्रधान के लिए वोट देने का अधिकार हो और कोऑप्टेड को वोट देने का अधिकार न हो। इसके लिए कोई यह न समझे कि कोऑप्टेड मेम्बरों के हकों की परवाह नहीं करते और उनको हक न दिया जावे। प्रधान के लिए तो खड़ा होने का उन्हें है ही क्यों कोई भी खड़ा हो सकता है, डिबार्ड नहीं है। उप-प्रधान, प्रधान बनने का मौका दीजिये और वोट देने का मौका दे सकते हैं और पंचायत समिति और जिला परिषद् में रात-दिन दैनिक प्रोसीडिंग्ज़ होंगी उनमें भी उनको वोट देने का हक होगा, किसी प्रमुख और प्रधान के चुनाव में वोट देने का हक न दिया जावे तो उसमें सिर्फ यह चीज़ हो सकती है कि सारा का सारा इलेक्शन एक स्टेज में पूरा हो जाय जो सरकार के लिए भी और कम खर्चीला होगा और केन्डीडेट के लिए कम खर्चीला होगा और साथ-साथ सरकार के लिए और केन्डीडेट के लिए, दोनों

Page No. 68

(श्री केसरीसिंह)

के लिए सुविधाजनक होगा। इसके साथ साथ वोट देने वाले वोटर्स हैं उनके लिए भी बहुत सुविधाजनक होगा, उसमें करप्शन, कोअर्शन के लिए भी स्कोप कम हो जायगा। किसी को लेकर भागने की बात भी नहीं होगी, इन्डिफरेन्स की बात भी नहीं होगी कि कौन जावे वोट देने के लिए और जाना है तो यह उम्मीद करे कि प्रधान और प्रमुख बनने वाले हैं वे सारा खर्चा) बर्दाश्त करें।

यह बहुत ही सोलिटरी बात होगी। जिस भावना से मैं इस बात को रख रहा हूं उसी भावना से विचार किया जावे तो मेरे ख्याल से यह बहुत हो वाजिब बात है। इस से सब के लिये बड़ी सुविधा होगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर कल से वाद-विवाद चल रहा है। सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत विधेयक में पंचायती राज की संस्थाओं के चुनावों सम्बन्धी विचार किया गया है।

प्रधान के चुनाव की जो व्यवस्था की गई है उसके स्थान पर बालिग मताधिकार के द्वारा चुनाव की व्यवस्था होगी तो पंचायती राज की संस्थाओं में आम लोगों की रुचि अधिक होगी और ऐसा करने से वहां की विलेज लीडरशिप को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैंने असहमति-पत्र में भी यही लिखा है।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बालिग मताधिकार से सरपंच और प्रधान दोनों का चुनाव एक ही समय पर करा पावेंगे इससे सरकार का खर्चा भी कम होगा और केन्डीडेट का भी कम होगा।

दूसरी जो व्यवस्था की जा रही है वह विधान सभा सदस्य और लोक सभा सदस्यों के बारे में हैं। इस बारे में प्रवर समिति में प्रतिबन्ध लगाया गया कि प्रधान के चुनाव के लिए इनको खड़ा नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में दूसरी स्टेटों में भी पंचायती राज्य संस्थाओं का काम हो रहा है। काफी स्टेटों में ऐसी व्यवस्था है कि विधान सभा सदस्य उनमें खड़े हो सकते हैं चुनावों में और ऑफिस होल्ड करने का भी राइट है। पर यहां विपरीत व्यवस्था की जा रही हैं। एम. एल. ए. का स्थानीय लोगों से अधिक सम्पर्क रहता है, इसलिए वे अधिक अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए उन पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। वे इन संस्थाओं में अधिक गति ला सकेंगे और विकास के कामों में जनता का सहयोग अधिक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रतिनिधि को पंचायतों के एसोसियेटेड मेम्बर बनने का राइट दिया है, पर मतदान का अधिकार नहीं दिया तो मेरा सुझाव है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रतिनिधि को इसमें लिया गया है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वे प्रोडक्शन प्रोग्राम में अच्छी तरह हिस्सा ले सकें। तो इसलिए जहां प्रोडक्शन प्रोग्राम का प्रश्न हो वहां उनको उसमें मत देने का अधिकार होना चाहिए।

(श्री भीमसेन)

प्रमुख पद के लिए भी सरकार ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है कि विधान सभा सदस्य भी उसमें हिस्सा ले सकेंगे। यह अच्छी बात है। इससे जिला परिषद् में भी गति आवेगी। पंचायत समिति एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन करती है, पर जिला परिषद् में तो केवल सलाहकार के रूप में काम होता है। इसमें भी विधान सभा के सदस्य को चुनने का राइट होगा तो ठीक रहेगा।

इसके अलावा एक सुझाव और देना चाहता हूं कि सरकार इलेक्शन रूल्स इसके लिये बनाते वक्त ध्यान रखे कि प्रमुख के चुनाव के लिये सारे सरपंच और पंचायत समिति के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं इसके अन्दर इनको जिला हैड क्वार्टर पर रखने में खर्चा आ सकता है, इसलिये यह ध्यान में रख सकते हैं कि पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर ही वोट डलवा दिये जावें। इससे खर्चे में कमी होगी और लोगों को अधिक परेशान नहीं होगी।

आशा है, आप इन सुझावों को ध्यान में रक्खेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष एक प्रस्ताव है और कई संशोधन हैं। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि प्रस्ताव पर मतदान हो जावेगा इसके बाद संशोधनों पर मतदान को आवश्यकता नहीं रहेगी।

प्रश्न यह है कि पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २।

(१७५. म. प.)

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :-

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई) ;

The following clause be inserted as clause 2:—

" 2. Amendment of section 2: In section 2 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 the following new clause shall be inserted, namely—

(4) "Resident" means a person who resides and carries on business for 180 days in a year continuously in any circle of the Panchayat in the Block or permanently resides therein".

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Original clause, as in the Bill as introdueed, be retained.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत बिल सदन में प्रस्तुत हुआ, इसके बाद प्रवर समिति को भेजा गया। उसने इस बिल में अनेकों संशोधन करते हुए सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रधान के चुनाव के सम्बन्ध में है :

" Any voter listed in the voters' list and resident of the block..."

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इसमें यह तो ठीक किया गया कि वोटर वोट दे पर इसमें जो दूसरी चीज है, "resident of the block", "Resident of the block" को कहीं साफ नहीं किया गया और इस "रेज़ीडेन्ट" की डेफीनिशन भी नहीं दी गई। इसके अभाव में मेरा अपना अमेन्डमेन्ट है। इसकी पहले आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कोई "रेज़ीडेन्ट" की जरूरत नहीं थी और अब जब प्रवर समिति द्वारा संशोधन किया गया तो सवाल पैदा होता है कि ब्लॉक का कौन रेज़ीडेन्ट माना जावेगा। यह आज तक साफ नहीं है। इसकी आशंका है। मैं मन्त्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण करने का निवेदन करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं स्वयं इसके लिये मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसको जिला परिषद, पंचायत समिति एक्ट में कहीं डिफाइन किया है क्या ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह चीज अब तक कहीं डिफाइन्ड नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : है, पर "एग्रीगेट" वर्ड लिखा है। मैं भी इस पक्ष का हूं। शब्द "कन्टीन्यूअस" है; डिफाइन्ड है पंचायत एक्ट की धारा ११, ओरिजिनल एक्ट, में।

(२.०० म० प०)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा अर्ज करना यह है कि यह डेफीनिशन जो दी गई है इसमें वह न तो साफ है और न अब जो प्रवर समिति द्वारा जो इसकी स्पिरिट है उससे यह साफ होती है। इसलिये मैंने इसका संशोधन दिया है कि रेज़ीडेन्ट की डेफीनिशन को इन वर्डिंग्ज में साफ किया जाये और उसको इस पंचायत एक्ट के क्लाज़ २ के अन्दर, जहां कि ग्राम पंचायत से लेकर आगे तक का है, उसमें इसका क्लेरीफिकेशन अगर हो जाता है तो यह आशंका दूर हो जावेगी। अब इसके अन्दर क्या तो आवश्यकता है और क्या कारण है, मैं इसकी ओर अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि अभी हमने यह देखा कि जब वोटर्स लिस्ट का निर्माण हुआ उस लिस्ट के अन्दर आखरी तारीख ७ दी गई थी और दूसरों जिलों में यह तारीख भिन्न हो सकती है; मैं अपने जिलों के लिए कहूं कि ७ तारीख आखरी दी गई थी और जो म्युनिसिपल एरिया के अन्दर रहने वाले थे और उनको आशंका थी कि हम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे उन्होंने ७ तारीख को पौने तीन बजे वोटर्स लिस्ट में अपना नाम चढ़वाया। दूसरे लोगों को नहीं मालूम पड़ा और उसके लिए कोई एतराज भी नहीं कर सका। उस एरिया के रेज़ीडेन्ट नहीं कहला सकते।

(२.२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, श्री उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे अपने बिज़नेस या काम दूसरी जगह करते हैं, लेकिन पंचायत एक्ट की वोटर्स लिस्ट जो बनी उसके अन्दर अपने नाम चढ़वा लिए और वे नाम प्रकाशित हो गए। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर उनको

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

जरूरत पड़ जाये और वे खड़े होना चाहें और वोटर्स लिस्ट में उनका नाम हो और "रेज़ीडेन्ट" की उसमें डेफीनिशन क्लियर नहीं है तो वह प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए एलीज़िबल हो जाता है और उसके अन्दर कोई चेलैन्ज करे तो रिटर्निंग ऑफिसर कहता है और कह भी देते हैं कि यह इलेक्शन पिटीशन में इसको चेलैन्ज कर लिया जाये और हम तो इसको एलीज़िबल करेंगे क्योंकि इसमें इसका नाम एन्टर्ड है। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस डेफीनिशन को इन क्लियर वर्ड्स के अन्दर अगर नहीं लाये तो कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। आपने जो तय किया है कि म्युनिसिपल एरिया का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा और क्योंकि वोटर लिस्ट में उसका नाम है इसलिए वह चुनाव के लिए खड़ा हो जायेगा, चाहे फिर इलेक्शन पिटीशन के अन्दर उसको डिबार किया जावे और चाहे दूसरे एक्टों में रेज़ीडेन्ट की डेफीनिशन में उसको लिया जावे या नहीं। इसलिए उसका क्लियर होना आवश्यक है।

दूसरी बात, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इससे सहमति प्रकट करते हुए आशंका उत्पन्न की उसकी तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसके अन्दर जो "एग्रीगेट" वर्ड है वह और मेरा जो इसमें अमेंडमेंट है वह यह है कि "180 days continuously residing in an year" अगर होता है या वह परमानेन्टली वहां रिज़ाइड करता है तो ही वह रेज़ीडेन्ट माना जायेगा। अगर किसी ने मकान ले रखा है या किसी ने ब्लॉक के अन्दर कोई काश्त की जमीन ले ली है और वह गहबगह कभी-कभी वहां आता है; जैसे कोई जयपुर शहर का रहने वाला है उसका मकान वहीं हैं लेकिन वह कन्टीनुअसली वहां नहीं रहता है और यहां दूकान चलाता है, प्रेक्टिस करता है या यहां के ऑफिस का मेम्बर रहकर चुनाव लडता है, इतना तक होने के बाद में, लेकिन आपकी जो डेफीनिशन है कि वोटर्स लिस्ट एण्ड रेज़ीडेन्ट, उसमें फिर भी वह आ जाता है इसलिए आपका जो अभिप्राय है कि ब्लॉक में रहने वाला आदमी ही उसका चुनाव लड़ सके, यह अभिप्राय पूरा तभी होगा जब कि १८० दिन कन्टीनुअसली वहां कोई रह चुका हो एक साल में....

श्री केसरीसिंह (पाली) : Point of clearification, Sir, आप कह रहे हैं कि १८० दिन कन्टीनुअसली रहे तो एक आदमी यदि २०–२५ दिन एक जगह रहता है और ५–७ रोज़ के लिये दूसरी जगह गांव में रहता है, यह नहीं कि म्युनिसिपल एरिया में रहता हो–किसी गांव में रहता हो तो वह तो कहीं का नहीं रहा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आशंका प्रकट की उससे यदि मेरे वर्ड को देखें तो आप पायेंगे कि मैंने "ब्लॉक" का लफ्ज़ रखा है। "ब्लॉक" के अन्दर किसी भी जगह रहता हो लेकिन उस ब्लॉक के अन्दर १८० दिन कन्टीनुअसली रहता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। मुझे भी यह आशंका थी और इसीलिए मैंने "ब्लॉक" वर्ड दिया है। यह अगर ब्लॉक के अन्दर रहता है और टेम्पोरेरीली कहीं चला जाता है तो रेज़ीडेन्ट का मतलब यह तो नहीं

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

लिया जाता कि किसी काम के लिए कोई दिल्ली चला गया तो वह किसी भी जगह का रेज़ीडेन्ट न माना जाये ? इसके आगे भी मैंने लफ्ज़ रखे हैं, "Resides or carries on business" दोनों वर्ड्स यूज़ किये हैं, यदि इन कोर्स ऑफ बिज़नेस उस क्षेत्र के अन्दर रहता है और उसका एग्रीगेट १८० का आ जाता है तो ब्लॉक का रेज़ीडेन्ट माना जाना चाहिए। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुये इसको क्लियर किया है, "180 days resides or carries on business continuously in an year or permanently resides". तो 'ब्लॉक' का शब्द इस्तेमाल किया है और विलेज या ग्राम पंचायत नहीं किया है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आशंका प्रकट की उसको मैं एक्सप्लेन कर सका, मेरे अपने शब्दों में।

अब इस छोटे से अमेन्डमेंट के लिए क्लेरिफिकेशन की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं जैसी आशा रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के ऊपर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे और इसको चाहे इस अमेंडमेंट के रूप में, चाहे किसी क्लेरीफिकेशन के रूप में आप अवश्य इस सदन में इसके मुतल्लिक कुछ कहेंगे ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उसके अन्दर यह गाइडेन्स हो और ज्यादा अच्छा यह हो कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें ताकि डेफीनिशन क्लियर हो। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं और आशा रखता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज़ में जो ओरीजिनल क्लॉज़, जैसा कि सिलेक्ट कमेटी में जाने के पहले बिल पेश हुआ उसी रूप में मैंने उस क्लॉज़ को रखने की बात कही है। ओरीजिनल बिल में यह क्लॉज़ इस प्रकार है:—

(विद्युत् प्रकाश अदृश्य)

'Panch' means a member of a Panchayat and includes co-opted and Associated Panch but does not include a Sarpanch".

अगर आज्ञा हो तो जब तक बिजली आये........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी आवाज साफ है, सुनाई आती है।

श्री उपाध्यक्ष : I shall request the Hon. Members for moving the amendments in brief and to deal with their amendments only.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्ज यह है कि इसको डिलीट करने के बाद जो कोआप्टेड मेम्बर्स हैं एसोशियेट मेम्बर्स हैं, और इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनके सम्बन्ध में विभिन्न क्लॉज़ेज़ आये हैं और मेम्बर्स को कोऑप्टेड करने के सिलसिले में सिलेक्ट कमेटी सरपंच को भी साथ रखती है और उसका वोट भी साथ डलवाती है। मैं इस विचारधारा का हूं कि चुने हुए लोग कोऑप्ट करें या मेम्बर एसोसियेट करें, लेकिन उसके अन्दर सरपंच का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हाथ नहीं होना चाहिए। इसके सम्बन्ध में मेरा कुछ तजुर्बा है और पंचायती राज की जो विभिन्न स्टडी टीम्स हैं उनके द्वारा जो अध्ययन किये गये थे उनका भी नुक्ता मेरी निगाह के अन्दर हैं। हैदराबाद के अन्दर जो कॉन्फ्रेन्स हुई सन् १९६१ में जिसमें कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज के सम्बन्ध में विचार हुए और सारे देश के कम्युनिटी और पंचायती राज के मंत्री इसमें सम्मिलित हुए उसको भी हमने स्टडी किया है। इसके अलावा सादिकअली कमेटी रिपोर्ट के भी नतीजे हमारे सामने हैं और जो इवेलुएशन रिपोर्ट सरकार के द्वारा वर्किंग ऑफ पंचायती राज के बारे में अप्रेल, ६२ में सबमिट की गई उसमें भी है। और आज एक सही रूप में एक चीज सामने आ रही है। उसमें मुख्य चीज यह है कि पंचायती राज के कारण पार्टियों का निर्माण हुआ है; गांव-गांव के अन्दर पार्टीबाजी कायम हुई है और उससे पंचायती राज्य, पंचायत के अन्दर बड़ी भारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष की सारी पार्टियों ने जितने भी पंचायतों के इलेक्शन्स हुए हैं उनके संबंध में यह फैसला लिया है कि पार्टियों के रूप में चुनाव नहीं लड़े जायं। राजस्थान में भी इस सम्बन्ध के अन्दर राजस्थान की विभिन्न पार्टियों के यही फैसले हैं कि पार्टियां पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन इसके बावजूद चुनावों के अन्दर कड़वाहट पैदा होती है, बिटरनेस पैदा होती है और वह बिटरनेस आगे चलती है और पंचायतों के फंक्शनिंग को डिफिकल्ट बना देती है, कठिन बना देती हैं। इस सम्बन्ध में ऑब्ज़र्वेशन्स हैं कि जो पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिन पंचायतों के सरपंचों ने अपना न्यूटरल स्टेटस कायम रखा है उन पंचायतों का फन्क्शनिंग ठीक हुआ है, उन पंचायतों की मीटिंग अधिक हुई हैं, उन पंचायतों ने ज्यादा फैसले लिये हैं और उन फैसलों को कार्य रूप में परिणत किया गया है। जो पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं उन गांवों के अन्दर पंचायतें करते हैं, जिनमें अन्य सब लोग हिस्सा लेते हैं, जिनमें ग्राम सभा एक्टीवाइज़ होती रही है। जिन पंचायतों का चुनाव पार्टी बना कर होता है उन पंचायतों के अन्दर फंक्शनिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन पंचायतों के पंच....

(मंत्री महोदयों के परस्पर बातें करते रहने पर)

मन्त्री महोदय आपस की गुफ्तगू समाप्त करें और इस गरीब की बात सुन लें, तो ज्यादा अच्छा हो।

मैं अर्ज कर रहा था कि पंचायतों के अन्दर जो पार्टीबाजी होती है वह समाप्त हो, उसके सम्बन्ध में राजस्थान स्टडी टीम का यह विचार है कि हम अधिक से अधिक पंचायतों का चुनाव निर्विरोध कराने का प्रयत्न करें, लेकिन पिछले इलेक्शन के अन्दर मैंने इस चीज की प्रशंसा की है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो पंचायतें निर्विरोध चुनी जाती थीं उनको कुछ अधिक पैसा दिया जाता था और उसको जो एक दिन का खर्चा या कुछ इस रूप में फण्ड उस पंचायत को मिलता था जो उसके एक्सचेकर को लोड करता था। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप एक सरपंच का चुनाव कराते हैं और अब

Page No. 74

(श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा)

आदिवासी को, शिडयूल्ड कॉस्ट के व्यक्ति को, महिला सदस्य को पंचायत के अन्दर लाते हैं और उस पंचायतों के चुने हुए पंच आपके इस कानून के अनुसार उनके लिए बाकायदा वोट डालते हैं और उन वोटों के डालने के अन्दर आपके सरपंच, जो कि किसी एक गांव से नहीं चुना गया, जो कि किसी इन्डाइरेक्ट इलेक्शन के तहत पंचायत में नहीं आया बल्कि जिसको पंचायत क्षेत्र के सारे वोटर्स ने वोट डाले, वह आपका सरपंच उस इलेक्शन के अन्दर हिस्सा लेता है, वह एक पार्टी के लिए वोट देता है, दूसरे पंचों को एनॉय करता है, नाराज़ करता है और उसी पंचायत को तीन साल चलानी है, पर पहले दिन से ही उसकी स्थिति क्रिटिकल हो जाती है। इसलिए आप सरपच को इनीशियल चुनाव के अन्दर, जो उसके अन्दर पार्टीबाजी की बात बिल्ट, अप कर देते हैं वह उसके फंक्शनिंग के अन्दर डिफिकल्ट पोज़ीशन क्रियेट करती है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि कानूनी तौर से जो कोऑप्टेड मेम्बर्स का इलेक्शन हो उसमें सरपंच बाहर रहे, सरपंच का उसमें वोट न रहे ताकि सरपंच जो पंचायत के फंक्शन करने का मेन जिम्मेवार आदमी है वह अपना न्यूटरल स्टेटस, एक न्यूटरल स्थिति ऐसी स्थिति में बनाये रखे और वह पंचायत फन्कशन कर सके। अगर पहले दिन से ही कोऑप्टेड मेम्बर के इलेक्शन में सरपंच हिस्सा नहीं लेता है तो पंचायत के अन्दर कोई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन क्रियेट होती है तो उस स्थिति में सरपंच की जो न्यूटरल राय है वह एक अहमियत रखेगी और सब उसकी राय को मान लेंगे और उसको पंचायत का पंच मान सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात की कल्पना करता हूं और पंचायती राज्य की सफलता इस तथ्य में देखता हूं कि हमारी पंचायत का मोस्ट मोबाइल और एक्टिव युनिट अगर कोई बने तो ग्राम सभा बने। अगर पंचायत फैसला नहीं कर पाये और पंचों में डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो तो उस गांव के लोग मैं समझता हूं कि सारे पंचों के साथ बैठें और उस फैसले के अन्दर हिस्सा लें। ऐसी खुली पंचायतों के अन्दर मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है और कुछ कमेटियों के ऑब्ज़र्वेशन्स भी हैं। हैदराबाद कॉन्फ्रेन्स के स्पष्ट ऑब्ज़र्वेशन्स हैं जिनको कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, लेकिन समय कम होने की वजह से कुछ उसका सब्स्टेन्स ही बता दूं। उन ऑब्ज़र्वेशन्स में एक मुख्य ऑब्ज़र्वेशन यह है कि पंचायतें जितनी वृहत् बनाई जायेंगी, फैसला लेने के सम्बन्ध में पंचायत के लोगों का बृहत् क्षेत्र बना देते हैं और जितने ज्यादे से ज्यादा लोगों के अन्दर बैठकर हम फैसला लेने की परिपाटी डालते हैं उतने ही सही तथ्य पंचायतों के अन्दर सामने आते हैं और उतने ही सही नतीजे पर हम पहुंचते हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरपंच का न्यूटरल स्टेटस रखा जाय और अगर कोई समस्या पंचायत के एक गांव में न सुलझे तो पंचायत क्षेत्र के ६–७ गांव की, सारे के सारे की, खुली पंचायत बुलाई जाय और उस खुली पंचायत के सम्मुख उस मामले को फैसले के लिए रखा जाय, तो यह स्थिति पैदा हो सकती है कि वे फैसले निर्भीक होंगे।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन पंचायतों के अन्दर सरपंच रहा हूं; तीन पंचायतों के अन्दर निर्विरोध सरपंच रहने का मुझे मौका मिला है। इन दो पंचायत चुनावों के अन्दर निश्चित रूप से पहले अपीलेट कोर्ट तहसील पंचायत थी तो मेरी पंचायत का एक भी केस किसी हत्या एलॉटमेंट का या कोई फौजदारी केस अपीलेट कोर्ट के अन्दर, तहसील पंचायत के अन्दर, नहीं गया। चेलेंज़ करके मैं यह कह सकता हूं, मेरी पंचायत के अन्दर एक भी केस ऐसा नहीं था जिसमें कि कोई चीज निर्विरोध तय न हुई हो। मेरी पंचायत के अन्दर एक भी ऐसा केस नहीं फैसला हुआ जो कि सिर्फ कोरम के द्वारा तय किया गया हो, बल्कि मेजॉरिटी से, पंचों के द्वारा तय किये जाते थे। उसके लिए मुख्य सिद्धांत यह है कि ग्राम सभा एक्टिव हो और सरपंच को न्यूटरल करने की जरूरत है, वह कायम हो। सरपंच को न्यूटरल करेंगे और उसको कायम रखने करने के लिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि कोई भी इलेक्शन जिसमें पंच हिस्सा लें उन इलेक्शन्स के अन्दर सरपंच को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसको अपनी वह स्थिति मेन्टेन करनी चाहिए।

दूसरा, जो सदस्य दोसा से आये हैं उन्होंने १८० डेज़ की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की अपनी लोकल बोडीज़ और म्युनिसिपेलिटीज़ हैं और ग्रामों के अन्दर पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं, मैं यह कोई सेक्टेरियन भावना से अर्ज नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह चीज तो निश्चित रूप से होनी चाहिए कि पंचायतों की अपनी समस्यायें हैं और शहरों की अपनी समस्यायें हैं। उन समस्याओं के अन्दर तालमेल हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है वह होना चाहिए, क्योंकि पंचायतों की भूमि म्युनिसिपेलिटीज़ के साथ लगती है और उस स्थिति के अन्दर कुछ समस्याएं जन्म लेती हैं तो जिला परिषदों के अन्दर म्युनिसिपेलिटी के प्रेसीडेन्ट को कोऑप्ट करने की बात, मेरी समझ के अन्दर आता है कि इस प्रकार की समस्याओं को हल किया जा सकता है। लेकिन कम से कम यह जो १८० दिन की पंचायतों के अन्दर पड़ाव की बात है यह तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। कम से कम पंचायत के अन्दर सरपंच खड़े होने वाले, प्रमुख खड़े होने वाले मनुष्य को ग्राम का निवसी होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से छूट या लेटीट्यूड देते हैं और म्युनिसिपल एरियाज़ के लोगों को भी पंचायतों में आने के लिए इस प्रकार के लेक्युना रखते हैं, वे लोग भी पंचायत इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे तो पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बन जायेंगी। ग्राम पंचायतों में शहर के लोग इस दृष्टीकोण से नहीं आयेंगे कि वे गांव की समस्या को समझ सकते हैं बल्कि वे डिफरेन्ट दृष्टीकोण से कब्जा रखेंगे। इसलिए इस चीज को क्लीयरली इन्डीकेट करना चाहिए था कि इतने दिन की रिहायश पंचायत क्षेत्र में होना निश्चित है।

अब मैं अर्ज करूंगा कि मैं सिलेक्ट कमेटी के दिमाग को नहीं समझ सका कि उन्होंने सरपंच को कैसे रखा; लेकिन मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि सरपंच को इन्क्ल्यूड न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : यह जो मथुरेशबिहारीजी ने अमेन्डमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूं ....

Page No. 76

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मथुरेशजी ने अमेन्डमेंट रखा है, १८० दिन रहने का, वह नहीं होना चाहिये क्योंकि १८० दिन का प्रावधान एम० एल० ए० के चुनाव के अन्दर और एम० पी० के चुनाव के अन्दर और पंचायतों के चुनाव के अन्दर जितने वोटर्स लिस्ट में लोग हैं, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें से ५० परसेन्ट लोग भी १८० दिन तक गांवों में रहते नहीं हैं और कम से कम ५० परसेन्ट ऐसे लोग होंगे जो गांवों में रहते हैं। जो सिलेक्ट कमेटी और सरकार ने यह बात तय की है कि जो वोटर हैं वह उस गांव की वोटर्स लिस्ट में है और सरकार ने उनको छाप दिया है तो वोटर्स लिस्ट के आधार पर वह वहां खड़ा हो सकता है, पंचायत समिति और पंचायतों के लिए खड़ा हो सकता है, जब एम० एल० एज़० के लिए १८० दिन का प्रावधान नहीं रखा है, एम० पी० के लिए नहीं रखा है तो पंच, सरपंच और प्रधान के लिए १८० दिन का प्रोवीज़न गांवों में रहने का उचित नहीं है। यह रखते हैं, फिर तो यह होना चाहिए कि एम० एल० ए०, एम० पी०, कोई भी हो वह १८० दिन तक गांवों में रहेगा तो वह चुनाव में खड़ा हो सकता है, वर्ना खड़ा नहीं हो सकता; यदि ऐसा है तब तो सारे अमेन्डमेंट करने चाहिए एसेम्बली के लिए और पार्लियामेंट के लिए भी। इसलिए जैसा पहले रखा है वैसा ही रहना चाहिए....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वे बतायें कि क्लाज़ २ है क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं अमेंडमेंट का विरोध करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप जवाब देंगे क्या ?

(विराम)

Let it be brief.

श्री भीखाभाई : Very brief, Sir.

मथुरेशबिहारीजी ने रेज़ीडेन्स की नई डेफिनिशन इन्सर्ट करने के लिए अपना अमेन्डमेन्ट दिया है और श्री हांडा का भी इसी प्रकार अमेन्डमेन्ट है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम है १६५६ का राजस्थान पंचायत एक्ट उसके पृष्ठ संख्या ८ पर धारा १० में डिफाइन किया है :

"Every person who is qualified to be registered in the Rajasthan Legislative Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the Panchayat Circle or a ward there of..."

इसलिये "रेजिडेन्ट" शब्द का प्रयोग यहां पर इसलिये नहीं किया गया कि मूल एक्ट में रजिस्टर करने का प्रोविज़न ऑलरेडी है। दूसरी बात जैसी कि माननीय सदस्य, श्री मुक्तिलाल जी ने कही वह भी बात सही है, क्योंकि पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट में भी रेजिडेन्ट शब्द की परिभाषा नहीं करते हुए निगेटिव डेफिनिशन दी है। क्योंकि पहले १८० दिन तक गांवों में रहना जरूरी था वहां एम० एल० एज़ और इलेक्टिव रिप्रेज़ेन्टेटिव नहीं रखा है इसलिये इससे मूलत : पंचायत एक्ट बना। या उस वक्त प्रावधान हो गया है, इसलिये नये में बढ़ाने की आवश्यता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो रखा था ....

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह प्रावधान नहीं है कि एम.एल.ए. किसी भी स्थान का रहने वाला विधान सभा के लिये खड़ा हो सकता है और पंचायत और जिला परिषद के लिये प्रावधान नहीं है क्योंकि प्रमुख और प्रधान उसी जिले का रहने वाला होना चाहिये। कानून जनता की सुविधा के लिए बना रहे हैं। प्रधान के लिये जो कानून कायदा हैं उसकी तुलना एम. एल. ए. या एम. पी. के साथ करना ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो जिस भावना से हम यह बना रहे हैं वह भावना केवल कागज में रह जायगी, उसकी पाबंदी नहीं होगी। इसलिये इस पर गम्भीरता से सोचें। इसको इस भावना से नहीं लें कि क्योंकि विरोधी दल से अमेंडमेंट आया है इसलिये इसको मंजूर नहीं करें। माननीय मंत्रीजी को यह पता नहीं है कि वास्तव में क्या असर पड़ने वाला है। जो अमेंडमेंट रखना चाहते हैं वह बहुत अच्छा है। यह अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो लोग गांवों में जाकर झूठा ही जमीन, बेरा वगैरह बता देंगे और प्रधान के पद के लिये खड़े हो जायेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वही खड़ा हो जो पंचायत एरिया का हो; 'Limits of the district.'

या तो आप मत रखिये कि पंचायत समिति में रहने वाला हो और यदि रखते हैं तो स्पष्ट होना चाहिये ताकि लोग बेजा फायदा नहीं उठा सकें। यदि आपकी मंशा यही है कि पंचायत समिति में ही रहने वाला हो तब तो यह करिये that he must be a resident of Panchayat Samiti area, i.e. he must have resided for 180 days continuouslyett. "कन्टिन्युअसली" का मतलब यह है कि he must be a bonafide resident of that place इसलिये गम्भीर विचार करके इस पर निर्णय लेंगे, वह अच्छा रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने बात कही थी उसका जवाब नहीं दिया। ओन ए पाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रधान को आप डेफिनिशन में इन्क्लूड करते हैं और प्रधान को वोटिंग राइट कोऑप्टेड मेम्बर की तरह देते हैं तो आप कोऑप्टेड मेम्बर की तरह मत दीजिये, क्योंकि प्रधान यदि प्रधान कोऑप्टेड मेम्बर की तरह वोट डालता है तो पार्टीबाजी में वह इन्क्लूड होता है और उसका न्यूटरलपन खत्म हो जाता है; इसलिये मैंने जो नुक्ता उठाया था उसका जवाब आपने नहीं दिया।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मन्त्री महोदय के मेरे अमेन्डमेन्ट पर विचार हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा उत्तर तो पहले दे दें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : बाद में साथ ही उत्तर दे देंगे।

मन्त्री महोदय ने पेज ५ पर जो पढ़ कर सुनाया है उसमें और मेरे अमेन्डमेन्ट में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सबको कन्फ्यूज़ किया है। आपने वोटर रजिस्टर

Page No. 78

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

होने की बात के बारे में एक्ट की धारा पढ़ी है, लेकिन वोटर रजिस्टर होने के लिये चाहे कोई पहले का प्रावधान हो, लेकिन आज आपने प्रवर समिति से पास किया है उसमें दो चीजें लिखी हैं : "who carries on business"; तो जो आपने प्रवर समिति में स्वीकार किया है उसमें क्या डेफिनिशन है वह इससे ताल्लुक रखती है; रजिस्टर्ड हो, उसके लिये प्रावधान है, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। आपने जो पढ़ कर सुनाया वह रिलेवेन्ट नहीं है। आपने पाबन्दी रखी है प्रधान के लिए कि वोटर हो और रेज़ीडेंट हो। तो रेज़ीडेंट होने की आपने पाबन्दी रखी है उससे क्या अभिप्राय है, उसको क्लेरीफाई कर दीजिये कि इसलिए इसमें अमेंडमेंट रखा है। जो कन्टीन्यूअस के लिए श्री मुक्तिलाल मोदी ने कहा उसका मतलब यह नहीं है कि डेली अटेंडेन्स हो। वह तो जिस तरह यहां सेशन चलता है उसी तरह हो सकता है। बहुत से आदमी कभी चले जाते हैं और कभी आ जाते हैं। उनके लिए आने-जाने के लिए रूल है। कन्टीन्यूअस का तो मतलब यही है—केरिंग ओन बिजनेस और रेज़ीडेंट का है वह १८० डेज़ इन एन ईयर होना चाहिए। तभी आपका "रेज़ीडेंट" का मतलब साफ होता है। आपने जो जवाब दिया है, मेरा विचार है कि यह रिलेवेन्ट नहीं है, वह वोटर के रेज़ीडेंट होने से ताल्लुक रखता है। आपने पाबन्दी लगाई है वह रेज़ीडेंट होने के लिए है, म्युनिसिपल एरिया के लिए और इससे वही मेम्बर आ जायेंगे जब तक आप इस शब्द "रेज़ीडेन्स" को क्लेरीफाई नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have got a right of reply.

श्री राधाकृष्णगोयल (टोंक) : एक बात मैं पूछना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : (श्री हांडा से) You have already asked.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have asked a question. Now I want to reply.

श्री उपाध्यक्ष : In rergardto amendments we have always followed the procedure that mover of an amendment will not necessarily reply. He will move his amendment and the Minister will reply. It is specially necessary today due to shortage of time. Yes, Hon'ble Minister.

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो "रेज़ीडेंस" के संबंध में पहले निवेदन किया है कि इसकी····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : On a point of order...

श्री भीखाभाई : कि इसकी आवश्यकता नहीं कि "रेजीडेन्स" शब्द····

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of order.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि इसकी धारा ६६ है

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उसके अन्दर प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद जो यहां पर बहस का सवाल है, उसके बाद भी कोई भी सदस्य या प्रवर समिति के चेयरमैन साहब यदि प्रवर समिति के विरुद्ध अमेंडमेंट ला रहे हैं; क्लॉज़ेज़ हैं तो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On what point this point of order is beingraised ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं कह रहा हूं, इसमें साफ लिखा है कि कोई भी अमेंडमेंट रखा जाय तो वह दो दिन के पहले रखा जाना चाहिए और दो दिन पहले न रखने की स्थिति में उस पर कोई विचार नहीं हो सकता। ये अमेंडमेंट्स कल शाम को दिये गये हैं जो माननीय मन्त्री ने रखे हैं। माननीय मन्त्री, जिन्होंने अमेंडमेंट्स मूव किये हैं, प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। उस समिति के अध्यक्ष होने के नाते अगर वे प्रवर समिति के रिपोर्ट से असहमत हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक दूसरी प्रवर समिति के सामने सारा बिल जाना चाहिए और इन अमेंडमेंट्स पर वहां पर विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक प्रवर समिति इन अमेंडमेंट्स पर विचार न करे तब तक इन्हें डिस्कस नहीं किया जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : I have to say somerthing. जो उपाध्यक्ष महोदय, रूल ६६ की तरफ ध्यान दिलाया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके आगे रूल ७१ और है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट किसी टाइम पर कोई अमेंडमेंट मूव कर सकती है। इसके लिए जरूरत नहीं है कि दो दिन का नोटिस दिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गवर्नमेंट तो मूव कर सकती है, जैसा आप कहते हैं लेकिन इसमें लिखा है कि कोई अमेंडमेंट का प्रस्ताव लाया जाय तो दो दिन पहले लाया जाना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : परसों दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : परसों दिया है, कल छुट्टी थी। आप यह कह दें, इससे क्या काम चलता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल कानून से ज्यादा प्रायोरिटी और परम्परा का है। वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर होते हैं वे लोग भी कभी अमेंडमेंट्स मूव नहीं करते हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अरे यार, तू मुझे कहने दे। ये कर कर रहे हैं; कर रहे हैं तो क्या हुआ ?

तो मैं नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस सदन में यह जो परम्परा है। वैसे कोई बात सरकार ला सकती है। मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूं। लेकिन जिन परम्पराओं की दुहाई चेअर से सदन को दी जाती है, उनके अनुसार सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स हैं वे मेम्बर्स सदन में होने वाले डिस्कशन में हिस्सा नहीं

(श्री ज्वालप्रसाद शर्मा)

लेते हैं, जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में बहस होती है । लेकिन यहां पर परम्पराओं का हनन किया जा रहा है, खुद मिनिस्टर, जो चेअरमैन थे, के द्वारा । जब सिलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स आ गई और जो रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी की है, जो इस ऑगस्ट हाउस ने अपोइन्ट की थी और जिसके आप चेअरमैन थे, वही चेअरमैन प्रवर समिति की रिकमन्डेशन्स के बजाय खुद बेसिक चैलेंज करने के अमेंडमेंट ला रहे हैं ।

(हिअर, हिअर)

मैं समझ सकता था, परम्परा को बनाये रखने के लिए, अगर सरकार की समझ में डिस्कशन के दौरान में कोई चीज आ गई हो, जो प्रवर समिति के मेम्बर्स नहीं थे उन्होंने किन्हीं मुद्दों पर रोशनी डाली हो इस सरकार को उस चीज को बदलना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि किसी दूसरे माननीय सदस्य का अमेंडमेंट आप एक्सेप्ट करें । इससे हम समझ सकते थे कि सरकार उनसे कन्विन्स हुई है । इस सदन की परम्परा को बनाये रखना चाहिए, यह सरकार का कर्त्तव्य है । लेकिन उससे ज्यादा कर्त्तव्य, उपाध्यक्ष महोदय, आपका है । यह परम्परा रही है कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर सिलेक्ट कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं है । इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं इससे तो अच्छा है कि इसे फिर प्रवर समिति में ले जाना चाहिए और इस प्रकार परम्पराओं की रक्षा करनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सरकार की तरफ से एक चीज आवे अचानक, उनको सदन के सदस्य पूरी तरह से समझें कि यह क्यों है और क्या है ? आप तो ओरीजिनल एक्ट लेकर बैठे हैं । इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स तथा दूसरी चीजें हैं वे हर मेम्बर को मिलनी चाहिए सारे अमेंडमेंट्स के सिलसिले में । सरकार किसी चीज के ऊपर सॉमरसॉल्ट करे, किसी चीज पर कभी उल्टे से चित्त हो जाती है या कभी चित्त से उल्टी हो जाती है । इसलिए सदन के सदस्यों को ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स भी मिलने चाहिए ताकि उन पर सदन अच्छी तरह से विचार कर सके, सही तौर से विचार कर सके । इसका करोड़ों आदमियों पर असर पड़ने वाला है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के ऊपर भी असर पड़ेगा इसलिए इस पर अच्छी तरह से डिस्कशन होना चाहिए । इस डिस्कशन का फायदा यह भी है कि जो पंचायत वाले हैं जो इलेक्शन के लिए वोट कर रहे हैं वे भी समझें कि हम क्या संशोधन कर रहे हैं । इसलिए मैं अपील करूंगा, कि हर क्लॉज पर जो अमेंडमेंट सरकार की तरफ से आया है, उसको उसे स्पष्ट करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स देने चाहिए । उसके बाद अमेंडमेंट क्लॉज पर अलग से रखा जाय । पहले आप अमेंडमेंट मूव करें और इस परम्परा को बनाये रख कर एज़ ए स्पेशल केस आप कहें कि इजाजत दे दें । अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छी परम्परायें स्थापित नहीं होंगी और ऐसी बातें हमारे रेकॉर्ड में जायंगी कि आपकी मर्जी में जैसा आया वैसा कर लिया । इससे प्रवर समिति का महत्व नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रहेगा, प्रवर समिति की रिपोर्टस का महत्व नहीं रहेगा और सिलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स के साथ में खिलवाड़ होता रहेगा। इस स्वस्थ परम्परा को कायम रखने के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री गिरधरीलाल व्यास (असीन्द) : इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के सम्बन्ध में मुझे विचार रखना है। चेअर ने रूलिंग दी है कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : I raise a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : There is already a point of order.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी पहला पोइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Is he raispeinduging a point cf order ?

श्री उपाध्यक्ष : No Fresh point select of order cain be raised until the point of orper is disposed of.

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसा था...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्लेरिफिशन के सम्बन्ध में अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Ample clarification has been made and no further discussion is necessary. Now the Chair will give its ruling.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! अभी आपत्ति उठाई कि माननीय मन्त्रीजी इस बिल के प्रस्तावक हैं। वे सिलेक्ट कमेटी के चेअरमैन कमेटी रहे हैं और इसलिये जो कुछ भी सिलेक्ट की रिपोर्ट आई, उसके अन्दर उनकी सहमति रही है। इस कारण से कोई नई बात अथवा नया अमेन्डमेन्ट यहां न लावें; यह बात जरूर सही है और सदन की परम्परा रही है

(व्यवधान)

Order please ! First hear me. यह परम्परा रही है कि जो भी सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हों यदि अपना नोट ऑफ डिसेन्ट न दें तो वादविवाद में भाग नहीं ले सकते। किन्तु जो बिल का इन्चार्ज हो उसकी विशेष स्थिति होती है और यदि मौके पर उनको कोई बात ध्यान में आती है और उसको हाउस के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए समय की तंगाई को देखते हुए तुरन्त लाना चाहते हैं तो उसको देखते हुए इस रूल, जिसको अभी कोट किया गया, रूल ६०, उसके अन्दर ऐसा है........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ६६।

श्री उपाध्यक्ष : इन शब्दों में अधिकार दिया गया है :

"...unless the Speaker allows the amendment to be moved..."

Page No. 82

(श्री उपाध्यक्ष)

So there is no previous permission required. तो इस विषय में केवल समय की तंगी और तकाजे को सामने रखते हुए यह अमेंडमेंट मूव करने की इजाजत दी जा सकती है और इस समय जो पंचायतों के चुनाव बार बार स्थगित होते रहे हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायत इलेक्शन को जल्दी कराने का तकाजा है उसको मद्देनजर रखते हुए मूवर ऑफ दी बिल को अधिकार दिया जाता है कि अगर वह सामयिक अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करना चाहें तो करें, तथापि मैं यह कहूंगा कि बिल पर आमूल-चूल परिवर्तन यदि करना चाहते हैं तो यह ठीक था कि बिल को पुनः सिलेक्ट कमेटी में ले जाते, अब वह हाउस पर है कि जो इस विषय में अमेन्डमेन्ट आये हों उनको रखे या रिजेक्ट कर दे। और इस समय तो हाउस की मंशा के अनुसार ही उस पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार हो रहा है। इसको हाउस की मंशा के अनुसार ही लाने दिया गया है जहां house ने सिलेक्ट कमेटी आदि में भेजने का ammendment reject होकर विचारार्थ लिया गया है। इसलिये खास तौर से आसन से इसकी इजाजत दी जाती है कि आवश्यक अमेन्डमेंट्स लावें और माननीय सदस्य भी उस पर पूरी तरह से अपना सुझाव उन पर लावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :Point of order, मैं आपका ध्यान रूलस ऑफ बिज़नेस के रूल ७० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"70. Scope of debate on report of Select Committee. The debate on a motion that the bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill."

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो अमेन्डमेंट्स आये हैं उनको आप पढ़ लीजिये। आपको मालूम हो जायगा कि उन्होंने मूलभूत परिवर्तन बिल में कर दिये हैं। सिलेक्ट कमेटी ने जिस बात को माना है उस बात को उन्होंने बिल्कुल बदल दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपके रूलिंग के खिलाफ कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग पोइन्ट है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : दुबारा तो बोल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Leave it to the Chair to dispose it of.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have raised a point of order under Rule 70. That is a different Rule. Then I refer to rule 69. The Chair has given special permission looking to less time and coming elections. But the Chair should look to rule 70. The main provisions of the bill are going to be changed completely. Moreover, any other member from the Treasury Benches could have brought these

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

amendments and why the Minister in charge who was Chairman of the committee should do it.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : What is the difference if Shri Bhikha Bhai brings it or any other Member brings it ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : But why violation of the procedure ?

उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं की बातें कही जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि परम्पराएं तो मंत्री महोदय तोड़ रहे हैं, कानून को भी तोड़ रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट उन अमेन्डमेंट्स को रख सकती थी, ट्रेज़री बैंच के दूसरे सदस्य रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नियमों के अनुसार (६६) दो दिन का क्लीयर कट नोटिस चाहिये ताकि हम लोग उसको सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को लाइट में उसका अध्ययन करते। वह दो दिन का समय नहीं मिला। कल शाम को अमेन्डमेंट हमें डिलीवर हुए हैं। १२ घन्टे हुए हैं; इसलिये दो दिन का समय दिया जाना चाहिये। प्रोसीज़र में स्पष्ट लिखा है कि दो दिन का समय मिलना चाहिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी नियमों की बात कही गई, परम्पराओं की बात कही और व्यवहारिकता की बात कही। हम इस बात के लिये तैयार हैं कि चाहे आप आज रात को १२ बजे सिटिंग कर लीजिये, चाहे तो कल बुला लीजिये। सरकार जिस तरह से हमारा सहयोग लेना चाहे ले सकती है। कल दिन में आप दो सिटिंग्ज कर लीजिये, हम बैठने को तैयार हैं। लेकिन हम कम से कम चैयर से इस बात के लिये शेल्टर चाहते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने आ रहा है उसको हम अच्छी तरह से देख तो लें। सम्भवत: कोई चीज जो इसमें आनी चाहिए आनी रह जाती है तो हम यह समझते हैं कि यह बहुत बड़ी गलत बात होगी। इसलिये मैं चैयर से शेल्टर सीक करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है, उसका राजस्थान की दो करोड़ जनता के जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है और कॉन्स्टीट्यूशन पर बहुत ही असर पड़ने वाला है और होना तो यह चाहिए था यह पूरी तरह से लाया जाता। मगर जिस रूप में आया है, सिलेक्ट कमेटी में जो रूप था उसको बदल दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि किय कर्तव्य विमूढम्, चाहे जैसे ही हो, चाहे वह रूल्स से गवर्न होता है या नहीं, हम यह चाहते हैं कि हमें केवल इतना मौका मिलना चाहिये कि जिससे हम उसे अच्छी तरह से देख सकें; उस पर हम कोई सुझाव रखें तो सरकार उस पर विचार कर सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि फूलचन्दजी भीखाभाई के स्थान पर उत्तर देने को तैयार हैं, Instead of Shri Bhikha Bhai, the name should be taken as that of Shri Phool Chand Jain.

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह चार्ज लगाया गया है कि यह

(श्री मथुरादास माथुर)

हेस्टी एक्शन लिया गया है और सरकार हमारी राय जानना नहीं चाहती क्योंकि ओरीजिनल बिल सदन में पेश किया गया वह सिलेक्ट कमेटी में गया और अब कुछ बातों पर मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने जो तरमीमें रखी हैं वे ओरीजिनल बिल से मेल नहीं खाती हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक–दो को छोड़ कर सभी करीब करीब ऐसी तरमीमें हैं जो ओरीजिनल बिल से मेल खाती हैं। इसलिए यह कहना कि ये यकायक रखी गई हैं उचित नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को इधर उधर कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर: आपने अपनी बात कहदी। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप सुनिये। मैं यह कह रहा था कि दो तीन प्रश्न हैं जो उठाये गये हैं। एक तो हेस्टी एक्शन, दूसरा कि संशोधन रखे हैं वे ओरीजिनल बिल से मेल नहीं खाते और तीसरा यह कि हमारी राय जानना नहीं चाहते। ये सारी की सारी बातें गलत हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले पर बहुत डिबेट हुई है; सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर डिबेट हुई है। इसके अलावा अब राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां माननीय सदस्य जब पार्टी को फोलो करते हैं तो उस वक्त उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछ लिया था....

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: इसमें धोखा हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर: उसके ऊपर कह दिया गया था कि हम तरमीम लाने की सोच रहे हैं और कह दिया था कि आप भी लास्ट अवर तक तरमीम ला सकते हैं और हम भी ला सकते हैं। इस सदन में लास्ट अवर तक भी अमेन्डमेन्ट मूव हुये हैं और स्पीकर साहब ने उनको लास्ट अवर तक मूव करने की अनुमति दी है। टीनेन्सी बिल हमारे यहां सदन में पास हुआ। उस समय भैरोंसिंहजी भी सदस्य थे, टिनेन्सी बिल एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल था, उसमें इन्फोर्मली हाउस के समय में कमेटी की मिटिंग करके तरमीमें करनी पड़ती थीं, उसमें लास्ट अवर तक अमेंडमेंट मूव करने की इजाजत स्पीकर साहब द्वारा दी गई थी। तो जो अमेंडमेंट समाज से ताल्लुक रखते हैं उन अमेंडमेंट्स को लास्ट अवर तक भी स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या फर्क पड़ जाता है कि श्री भीखाभाई अमेंडमेंट रखें या और कोई अमेंडमेंट रखें। अमेंडमेंट तो सदन के सामने आयेंगे, स्पीकर को ऑथोरिटी है कि लास्ट टाइम तक अमेंडमेंट्स को अलाउ करें। इसमें कोई इल्लिगेलिटी नहीं है। चेयरमैन आफ दी सेलेक्ट कमेटी या मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल अमेंडमेंट रखते हैं तो और भी खुशी होनी चाहिये। बहस कर लीजिये, पास करना न करना सदन के अधिकार की बात है, सदन की मंशा नहीं होगी तो कोई चीज पास नहीं होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एतराज उठाया जाकर इस बिल को पास करने में देरी नहीं करनी चाहिये यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है, सदन इसे पास करे, नहीं तो इलेक्शन के लिए बार बार तारीखें देनी पड़ती हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं

(श्री मथुरादास माथुर)

कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा चुका है और यहां इस पर कन्सीडरेशन हुआ है, इसलिये क्लॉज बाई क्लॉज लेकर इसको पास करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मन्त्री महोदय ने बताया कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें तरमीमी आवश्यक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मिनिस्टर महोदय पेश करें या और कोई माननीय सदस्य कर देते। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिनके सम्बन्ध में न किसी रूल में लिखा होता है, न कॉन्स्टीट्यूशन में उनके लिये कुछ उल्लेख होता है, तो उनके सम्बन्ध में किस प्रकार के कन्वेन्शन्स पहले रहे उनको फोलो करना पड़ता है। यह बिल यहा तक हाउस में मूव हुआ, उस पर वाद-विवाद हुए और सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया, सिलेक्ट कमेटी के वही चेअरमैन थे जिन्होंने बिल को इस सदन में मूव किया था। सिलेक्ट कमेटी में डिस्कशन के बाद इसका प्रारूप यहां पेश किया। मैं नहीं समझ पाया, जैसा अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि इस समय जो अमेंडमेंट्स पेश किये जा रहे हैं और जो सिलेक्ट कमेटी में अमेंडमेंटस किये गये उनमें केवल इतना ही अन्तर है कि अमेंडमेंट ओरीजिनल बिल से मेल खाते हैं। यह तो एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया। जिस समय बिल पेश किया गया उस समय उस बिल के अनुसार सरकार की एक पॉलिसी थी और जिस समय सिलेक्ट कमेटी में गया, गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव उस सिलेक्ट कमेटी के चैअरमैन थे, उन्होंने इन सब मसलों पर विचार किया, उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और उसके अनुसार सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके १५ दिन बाद ही गवर्नमेंट फिर दूसरी पॉलिसी चेंज कर रही है, तो इसके माने यह है कि गवर्नमेंट को अपने चेअरमैन में विश्वास नहीं, अपनी पॉलिसी में विश्वास नहीं। सिलेक्ट कमेटी ने अमेंड कर दिया, उसको सरकार अब फिर अमेंड कर रही है। सिलेक्ट कमेटी में गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव, बिल के मूवर सिलेक्ट कमेटी के चेअरमेन थे, उनके अलावा ट्रेजरी बैंचेज के और सदस्य उसके मेम्बर थे। दो ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है बाकी मेजोरिटी ऑफ दी मेम्बर्स की इस बिल के पीछे राय है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो अमेंडमेंट किया है वह ठीक है, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जिस रूप में आई है उसे स्वीकार किया जाय। उस रिपोर्ट को रीओपन करते हैं तो इससे यही प्रकट होता है कि गवर्नमेंट का अपने चेअरमैन में, खास तौर से जो इस बिल को पायलेट करते हैं उन मन्त्री महोदय में कॉन्फीडेन्स नहीं है। जो चेअरमैन सिलेक्ट कमेटी में एक बात को मान जाय और हाउस में आकर उससे बदल जाय, उसे हाउस को सीधे हिट करना चाहिये। गवर्नमेंट की यह गलत पॉलिसी, गलत परम्परा डेवलप कर रही है। आपने उस समय पॉलिसीज बनाई उनके अनुसार आपके चेअरमेन ने सिलेक्ट कमेटी में कन्डक्ट किया और रिपोर्ट बना कर सदन में प्रस्तुत की, उसमें आज आप चेंज करने आ गये इसके माने यह हैं कि आपके चैअरमैन,

(श्री भैरोंसिंह)

आपके मिनिस्टर काबिल नहीं हैं। मेम्बरों ने आंख दिखाई और फौरन अमेंडमेंट ले आये, फिर कोई मेम्बर आंख दिखायेगा तो दूसरा अडमेंमेंट ले आयेंगे, यदि आंख दिखा दिखाकर मन्त्री को ह्यूमिलियेट किया जाकर अमेंडमेंट्स करवाये जाते हैं तो इससे मिनिस्टर की इन्टीग्रिटी का पता लगता है कि यह एक शिफटिंग कल्टिवेशन की तरह है, जिस तरह सिंघाड़ों के खेत बदलते रहते हैं उस तरह से राजस्थान सरकार की नीतियां बदलती हैं।

हमें हाउस में कन्वेन्शन्स कायम करने पड़ेंगे कि इस तरह नीतियां नहीं बदलने दी जायं। मेरा श्री भीखाभाई से निवेदन है कि गवर्नमेंट ने, केबिनेट ने उनकी इन्सल्ट की है, मन्त्रि मण्डल ने और कांग्रेस पार्टी ने उनमें अविश्वास प्रकट किया है, उससे बचाना चाहते हैं तो या तो वे स्वयं त्याग पत्र दें, अगर स्वयं त्यागपत्र नहीं दें तो हाउस को उनसे त्याग-पत्र दिलाना चाहिये क्योंकि एक मन्त्री रात को कहता है कि दूध पीना चाहिये, सुबह कहता कि दही पीना चाहिये और रात को जगा दिया तो कह दें कि दूध और दही दोनों मिला कर पीना चाहिये, ऐसे मन्त्री अगर राजस्थान में होंगे तो राजस्थान का न मालूम क्या हाल होगा, इसके भगवान् ही मालिक हैं।

यह कहा गया कि ऑपोजिशन के मेम्बर्स को कॉन्फिडेशन में लेकर दो दिन का रखा। यह ठीक है, पर एक बात चबा गये। मैंने उस समय भी पूछा था कि गवर्नमेंट के भी अमेंडमेंट आने वाले हैं क्या, तो यह कहा गया कि नहीं, रिपोर्ट जैसी है होगा। तो उस वक्त आपके दिमाग में यह था कि गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट नहीं आयेंगे, फुल स्टोप, कोमा, सेमिकोलन, सेंटेन्सेज और कन्स्ट्रक्शन ऑफ क्लॉजेज की गलती होगी उसके अमेंडमेंट्स आयेगे।........

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : आप न्याय करें। जो इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंटस हैं उनको मेन्शन कर दिया था कि गवर्नमेंट उनको विजुअलाइज कर रही है कि यह अमेंडमेंट हम करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की इस बात का इसलिये प्रश्न नहीं होता कि जिस दिन डेट्स तय की थीं कांग्रेस पार्लियामेंटरी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई थी। जिस दिन ये डेट्स तय की थीं उस दिन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं हुई थी। परसों मैंने फिर पूछा था कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाना चाहती है क्या, अगर लाना चाहती हैं तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट मूव कर दे ताकि उस लाइट में हम डिबेट कर सकें, उस समय भी सरकार ने नहीं कहा तो इसका मतलब यह होता है कि एक पॉलिसी निर्धारित करने के बाद भी कुछ लोगों का प्रेशर आयेगा और मेजोरिटी के नाम पर उन अमेंडमेंट्स को इन्ट्रोड्यूस कराना चाहेगी। तो सरकार हाउस में इस प्रकार के कन्वेन्शन डालना चाहती है। सिलेक्ट कमेटी में जाने का मतलब यह है कि मेम्बर्स अच्छे एटमोस्फियर में जाकर विचार कर लें, हाउस में अन्नेसेसरी डिबेट न हो और हाउस का समय बचाया जाय। अगर

(श्री भैरोंसिंह)

इस तरह के कन्वेन्शन हाउस में डाले गये तो फिर किसी भी बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अगर उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो ठीक आपके मन्त्री महोदय ने गलती की है, he must be penalised और पीनेलाइज करने का तरीका यह है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि वे पंचायत विभाग के लायक नहीं हैं, पंचायत विभाग उनके पास नहीं रहना चाहिये। मन्त्री-पद से हटायें या नहीं हटायें, पर यह विभाग उनके पास से ले लिया जाय। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि दो घन्टों में इस बिल को पास करवाने की तैयारियां चल रही हैं। हम बिल्कुल मजबूरी में इस सरकार से और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इतने मेजर अमेन्डमेन्ट्स पर केवल दो घन्टे में वाद-विवाद नहीं हो सकता। आप कोई भी समय निकालें। जो चुनाव २७ नवम्बर को होने वाले हैं वे अब जनवरी में होने वाले हैं तो कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है कि ऐसा हेस्टी लेजिस्लेशन पास किया जाय। मैं समझता हूं कि हाउस को दुबारा बुलाया जाय, इस पर डिबेट किया जाय या हाउस को कन्टीन्यू करें और इस बिल पर थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद, जिस समय हाउस में डिस्कशन उस ओरीजिनल पोज़ीशन पर आए तब जनरल डिस्कशन होकर उसके बाद पारित करें।

मैं समझता हूं कि बहुमत आपके साथ है, लेकिन यह मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुमत का दुरुपयोग न करेंगे। हमारे कहने का अधिकार है उस अधिकार में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए और न आएगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि उस व्यवस्था के आधार पर अच्छी तरह से वाद-विवाद हो सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मन्त्री महोदय को यह अधिकार है कि माइनर अमेन्डमेन्ट्स मूव कर सकें। अब माइनर अमेन्डमेन्ट्स किये जायगे या मेजर अमेन्डमेन्ट्स मूव किये जावेंगे यह तो अपने अपने व्यक्तिगत विचारधारा से ताल्लुक रखने का प्रश्न है। इस समय इस समस्या को हल करने के लिए जो कुछ भी चैयर से निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जब इस बिल पर प्रारम्भ में बहस शुरू हो रही थी तो श्री भैरोंसिंह ने स्पष्ट तौर से पूछा था कि अगर आपके कोई अमेन्डमेन्टस हों तो सदन में कम से कम रख दें तो उन पर विचार करने का सबको मौका मिले। मुझे इस बात का खेद है कि उस नोटिस के बावजूद सरकार ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया और जब कल भी बहस हुई तो भी कोई अमेन्डमेन्ट्स नहीं आए। लेकिन जब बहस समाप्त हो रही है और अमेन्डमेन्ट्स भी एक दो नहीं कम से कम १५ अमेन्डमेन्ट्स हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर वे मन्त्री महोदय जो कि खुद उसके इन्चार्ज थे जो कि....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): रिपीट क्यों कर रहे हैं?

श्री मुरलीधर व्यास: यह महत्वपूर्ण सवाल है। मन्त्री महोदय सिलेक्ट कमेटी

(श्री मुरलीधर व्यास)

के चेयरमैन थे, जब वहां बहस चली उसके अन्दर कोई बात नहीं रखी, किन्तु अब ऐसा कर रहे हैं, तो यह कहां तक उचित है ? इस इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि सदन के सभी सदस्यों की राय है और सबको मौका मिले और फिर फाइनलाइज़ हो जाये तो अच्छा होगा। मन्त्री महोदय ने रख दिया और दूसरों को मौका नहीं मिले, तो यह ठीक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय हुडा की आपत्ति रूल ७० को दृष्टिगत रखते हुए पेश हुई। जहां तक यह सवाल है कि इस अवसर पर मन्त्री इन्चार्ज कोई अमेन्डमेन्ट्स रख सकता है या नहीं, इस विषय में तो मैं निर्णय दे चुका हूं और उसका पुष्टि करण पुरानी परम्परा से होता है, जब २६ अक्तूबर, १९५८ को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८ के कुछ खण्डों पर प्रभारी मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किये। इस पर श्री पी० के० चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष पद से दिये गए एक निर्णय के अनुसार प्रवर समिति का कोई सदस्य प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा :—

"There is no bar to that, specially for a Minister for making an amendment. His position is different and, therefore, the hon. Minister is allowed to move his amendment."

यह उसी का पुष्टीकरण करता है। अब प्रश्न यह रहता है कि जो रूल ७० कोट किया गया है, "Scope of debate on Report of Select Committee" यह इसमें डिफाइन किया गया है। इसको भूमिका के साथ, कॉन्टेक्सट के साथ पढ़ना चाहिए। एक बिल जो आता है और सिलेक्ट कमेटी में जाता है वह अपनी एक मन्शा रखता है और इस बिल की मन्शा यह थी कि जो सादिकअली की रिपोर्ट आई उसके अनुसार यथोचित चुनाव की पद्धति में परिवर्तन करके यह बिल रखा जाय। अब वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा एक प्रकार से सोचा गया और उस पर सिलेक्ट कमेटी ने निर्णय दिया। उसके पश्चात् कुछ ऐसे और विषय ध्यान में आए मालूम होते हैं जिनके अनुसार तुरन्त ही मन्त्री महोदय इसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स रखना आवश्यक समझते हैं। अब उसकी जो बार है, जो रूल ६६ कोट किया गया उसके (ए) का प्रोवीज़ो पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें निम्नलिखित व्याख्या दी गई है : "...unless the speaker allows the report to be taken into consideration." रिपोर्ट कन्सीडरेशन में आ गई उसके बाद में रिपोर्ट को पुनः प्रवर समिति में भेजने का विषय कन्सीडरेशन में आ गया और उसके विषय में हाउस ने अपना निर्णय दे दिया और सारे अमेन्डमेन्ट्स रद्द हो चुके। अब हाउस का निर्णय हो चुका है कि यह विचारार्थ जाए लिए। मेरे पास कोई दूसरी पद्धति नहीं है जिसके अनुसार इस स्टेज पर कहा जाय कि इस बिल को प्रवर समिति में रखा जाय। इसलिए अब जो अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत हुए हैं उन अमेन्डमेन्ट्स को मौके के अनुसार लेना आवश्यक हो जाता है और जो बिल का इन्चार्ज है उसे बिल के एग्ज़ीक्यूशन के

Page No. 89

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध में और दूसरे सम्बन्ध में क्योंकि जिम्मेवार समझे जाते हैं, इसलिए उसी दृष्टि से अगर कोई अमेन्डमेन्ट वे लाना चाहते हैं तो उनको महत्व भी देना पड़ता है। इसलिए जो अमेन्डमेन्ट्स मन्त्री महोदय ने पेश किये हैं वे ठीक हैं और वे रखे जा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : Ponit of order, जिस प्रकार से किसी भी सदस्य जो उसके मेम्बर हैं अगर वह मेम्बर नोट ऑफ डिसेन्ट दे देता है तब तो बोलने का अधिकार....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचोर) : कौन से रूल के तहत बोल रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बय.ना) : आप चेयरमैन, हैं क्या ? शांत रहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे सदस्यों को प्रवर समिति में बोलने का अधिकार रहता है। परन्तु मिनिस्टर खुद इन्चार्ज होकर उसके अन्दर किसी प्रकार का नोट ऑफ डिसेन्ट या अमेन्डमेन्ट्स इस तरह से रख दे....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैंने परम्परा सम्बन्धी व्यवस्था के साथ बता दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसलिए हम कोई प्रवर समिति की बात नहीं कर सकते लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक, परम्पराओं को ठीक लाने के लिए, सदन की मन्शा को ध्यान में रखते हुए अमेन्डमेन्ट्स इस समय न रख कर आप सबको मौका दें ताकि तीन दिन का मौका

(३.०० म.प.)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Let him say.

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत कर दिये....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया है, किस रूल के तहत ये बहस उठा रहे हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल: वे पार्ट ऑफ दी ओरिजिनल बिल बन जाते हैं। उन पर संशोधन लाने के प्रत्येक सदस्य को अधिकार हैं। चूंकि सदन के सदस्यों को ये पहले प्राप्त नहीं हुए इसलिए अब इस में समय चाहिये। ओरीजिनल बिल प्रस्तुत हुआ, सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, उसकी रिपोर्ट आयी और फिर सरकार की ओर से संशोधनों की सूची आ गई, ये पार्ट ऑफ दी बिल बन जाते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर तो है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऑफ पोइन्ट आर्डर रेज़ नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष Order plerase

श्री राधाकृष्ण गोयल : पोइन्ट ऑफ आॅर्डर है, जिस पर बोल रहा हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) प्रोसिडिंग्ज देखली जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आसन की और से रूलिंग दिया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ आॅर्डर हो चुका ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मत्री ने जो संशोधन किये हैं चाहे वे माइनर नेचर के हों या मेजर नेचर के हों, लेकिन वे मूलभूत बिल में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए उनमें जो संशोधन प्रस्तुत हैं वे पार्ट ऑफ दी बिल समझे जांय और अमेंडेन्ड बिल इन्ट्रोड्यूस्ड समझा जाय और उनमें संशोधन करने के लिए अब सदन के सदस्यों को मौका दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : हम मंजूर करते हैं कि अगर आखिरी तक भी कोई मैम्बर संशोधन रखना चाहें तो वे संशोधन आ सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा हो रही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल के ऊपर डिस्कशन समाप्त किया जाय। साथ ही इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों के लोगों से और शासक दल के लोगों से आप मीट करें, इसके लिए आप या तो ३१ तारीख रखें या फिर दूसरी तारीख रखें, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं।

श्री राधाकृष्णगोयल: वाजिब समय दिया जाय कि उनको स्टडी करके अमेन्डमेन्ट पेश कर सकें। हम समय की मांग करते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है। जिस वक्त इस बिल पर विचार प्रारम्भ हुए, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, विजयसिंहजी के द्वारा यह उठाया गया था कि तय हो चुका है, इस पर विचार कर लिया जाय। जब मैं संशोधन पर बोल रहा था और मैंने एक बात उठायी थी, सिलेक्ट कमेटी ने कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड में हो उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिये, आपने यहां यह छाप दिया, इस पर आपने कहा कि गलती से छप गया और प्रिन्टिग मिस्टेक हैं। मैंने दोहराया कि इसको दुबारा लाना चाहते हैं। मन्त्री महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं है। मंत्री महोदय आज फिर इसको ले आये। मन्त्री महोदय का, गवर्नमेन्ट का दिमाग बार बार बदलता है। इस बिल पर गम्भीरता से चर्चा नहीं करना चाहते, न करने देना चाहते हैं। सदन में चर्चा नहीं करने देने का इनका विचार है और वह इस तरह कि इस प्रकार संशोधन लाकर हमें उनको स्टडी करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए जैसा कि भाई मुकुटबिहारी जी ने प्रस्ताव रखा है कि ३१ तारीख को इसको रख दिया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज इस पर चर्चा बन्द रख कर इसको ३१ तारीख को रखा जाय। हमारे मन्त्री महोदय का दिमाग बड़ा फर्टाइल है, दस-पांच बातें और उनके

(श्री नत्थीसिंह)

दिमाग में आ जावेगी। जल्दी में घास काटने से तो वह फायदेबन्द होगी। मन्त्री महोदय ने वैसे ही तीन महीने आगे बढ़ा दिये चुनाव, फिर इसकी जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, चेयर ने जो व्यवस्था दी है उसके विरुद्ध तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, किन्तु इतना निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो ओरिजिनल सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए और जिसके सम्बन्ध में रूल ७० है उसके मेन कन्टेन्शन, उसकी मूल भावना को बदल दिया है और उसका जो मेन कन्टेन्शन है, मेन बेसिक है विशेषकर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का, उसका बैक-ग्राउण्ड सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट जरूर है लेकिन सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर जरूर रखी जा चुकी है लेकिन न सरकार के पक्ष ने न विरोधियों ने स्वीकार किया है, न ही सादिकअली केमेटी की रिपोर्ट इस सदन में तय होकर स्वीकार या अस्वीकार की जा चुकी है, इसलिए हमारे सम्मुख, उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल चीज़ है वह सिलेक्ट कमेटी से जिस रूप में बिल आया है, जो सिद्धान्त सिलेक्ट कमेटी ने प्रतिपादित किये हैं, वे ही हैं। सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट से हमारी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इधर उधर चली गई है, वह इसका आधार नहीं बन सकती। सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि सिलेक्ट कमेटी एक तत्व को रखे और सदन में यह प्रणाली बनायें कि उससे मूल-भूत डाइरेक्टली ऑपोज़िट कोई चीज़ हम रखें, सिलेक्ट कमेटी की जो भावना हो उसको बिल्कुल परिवर्तित कर दें, इस प्रकार की परम्परा के लिए दुहाई दी गई। सन् ५८ में कोई घटना हुई होगी। लेकिन सन् ५८ से ६४ तक मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसा मौका नहीं आया, ऐसी कोई परम्परा हमने नहीं बनायी और न ऐसा ढंग ही सदन में रहा है। माननीय कानून मंत्रीजी ने कहा कि हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स उनसे कर लिए हैं। यह बात ठीक है। मैं भी मौजूद था, अपनी पार्टी की ओर से कुछ कमिटमेंट्स किये थे। हमने इस बात को स्वीकार किया था बिल २४ व २६ को डिस्कस होगा, उन्होंने यह बात भी कही थी कि समय भी गुजर जाय तो अमेन्डमेंट रख दें। यह भी चर्चा हुई थी कि गवर्नमेंट का मत इस बिल के सम्बन्ध में क्या है तो उन्होंने उस समय सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट और बिल के सिद्धान्तों पर मत प्रगट किया था, कोई मत इस प्रकार नहीं रखा कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को किसी प्रकार इस तरह मूलभूत रूप में बदला जाय। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में करीब सारे के सारे मेम्बर्स उपस्थित थे, एक बात तय हो गई थी। मैं सदन की परम्परा कायम रखने की दृष्टि से निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि कुछ समय के लिए जैसा मुकुटबिहारीजी ने प्रस्ताव रखा है, कुछ घंटों के लिए सदन की कार्यवाही बन्द कर दी जाय। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी मीट करे अच्छे वातावरण में, अच्छे दृष्टिकोण से इसको तय कर ले न कि अनाप-शनाप परम्परा को बदलते जांय। दो-चार घंटे के लिए ही सदन की कार्यवाही बन्द रख कर इस

Page No. 92

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर विचार कर लिया जाय तो यह सदन की परम्परा के लिए उत्तम होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! श्री मुक्तिलालजी, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अंग्रेजी में यह बिल आया है इसलिए हम इसको भी नहीं जानते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! जो मोशन अभी माननीय मुकुटबिहारी ने रखा है वह रूल २५६ के नीचे आता है। वह है : "A motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session."

इस सेशन में बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पुट-अप हुई है उसके द्वारा तय हो चुका है कि अब यह पंचायत का बिल कन्सीडरेशन में आवेगा और उसे अब कन्सीडरेशन में लिया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं है, नहीं है। वह चेन्ज कर दी गई है म्युचुअल कन्सेन्ट से।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद सदन में जो अमेन्डमेन्ट आया था बिल को प्रवर समिति में भेजने का या जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का, उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से सदन एक निश्चय ले चुका है और उसके प्रतिकूल और कोई मोशन और सुझाव नहीं है। इसलिए यह कार्यवाही बन्द नहीं की जा सकती।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपकी तवज्जोह दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने जो रिज़ोल्यूशन रखा उसको सदन ने मान्यता दी। उसके आधार पर आज का दिन निश्चित है उस काम के लिये। पर यह हाउस अगर यह समझता है तो क्लीयर मूव कर देना चाहिए। सदन के सदस्यों को मौका देना चाहिए कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें। मैं समझता हूं कि नियमों में ऐसी विपरीतता नहीं होगी।

(शोरगुल-अश्रव्य)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तवज्जोह दिला रहा हूं कि तारीख २४ को गैर-सरकारी दिन रखा गया था। उसके बाद ही दूसरे प्रतिवेदन में फिर बदल दिया। तो हाउस अपनी मन्शा से समय समय पर अपने बिज़नेस को गवर्न करता है। उससे परे कोई भी नियम हाउस पर नहीं थोपा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञाओं के अन्दर आपकी ऑब्ज़र्वेशन्स को चुनौती देना पसन्द नहीं करूंगा, पर आपके काइन्ड कन्सीडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, निवेदन करूंगा कि

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

इन बातों की पृष्ठभूमि में आप फिर से गौर कर लें कि उससे यह बिल गवर्न नहीं होता है। हाउस की मन्शा दूसरी है, हम तो केवल समय चाहते हैं। समय पूरा दे दिया जावे, मेरा यह मोशन है। आप इसको रिजेक्ट इस तरह न करें। हाउस का सैंस ले लें और वोट के लिए पुट-अप करें और हाउस के निर्णय के अनुसार निश्चित होने दें। इस पर उसी तरह से कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में तो निर्णय दे चुका हूं। अब सारी बातों को थर्ड रीडिंग में डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, On a point of Order Sir, यह जो संशोधन माननीय मन्त्री ने, सर्क्यूलेट किया है यह संशोधन अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया गया है। सदन की यह परम्परा रही है कि जितने भी संशोधन पेश किये जावें अंग्रेजी में ही न हों, उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी दिया जावे। आज तक और अभी तक हमें इसका कोई हिन्दी अनुवाद नहीं दिया गया है। आप स्पष्ट जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि २० प्रतिशत से भी कम लोग यहां अंग्रेजी जानते हैं और ८० प्रतिशत से अधिक अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं हैं, इसलिए जब तक इन सारों का हिन्दी अनुवाद सर्क्यूलेट नहीं कर दिया जावे और वे उसे पढ़ न लें और इसके बाद जो संशोधन पेश करना चाहें वे करने का उनको अवसर न दिया जावे तब तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने है जिसके अनुसार पंचायत एक्ट को ३१ तारीख को लाने के लिए ही प्रस्ताव किया गया है, इसलिए आज जो बहस कर रहे हैं वह बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के अनुसार नहीं है। आप मुलाहिजा कर लें। और रिपोर्ट नहीं आई हो तो सेक्रेटरी से वह रिपोर्ट प्राप्त कर लें। उसमें साफ लिखा है कि ३१ तारीख को पंचायत विधेयक पर बहस की जावेगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी टेक्निकेलिटीं को छोड़ भी दें तब भी इस सदन के माननीय सदस्यों को जो ८० प्रतिशत अंग्रेजी नहीं जानतेतो उनके अंग्रेजी के प्रति इस अज्ञान को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचायत सरीखे महत्वपूर्ण विषय को वे ध्यान में रख सकें, इसके लिए यह भी ध्यान में रखते हुए कि यह राजस्थान के दो करोड़ लोगों को इफेक्ट करने वाला कानून है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसे जानना चाहेगा नहीं कि मन्त्रीजी ने क्या संशोधन इसमें पेश किये हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा के सारे सदस्यों को यह मौका देने के लिए भी कि क्या संशोधन पेश किये गये हैं इन सारे संशोधनों को हिन्दी में सर्क्यूलेट करना अत्यन्त आवश्यक है और जब तक हिन्दी में संशोधन सर्क्यूलेट नहीं कर देते हैं तब तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे। चाहे कार्यवाही को चार घण्टे के लिये या दो घंटे के लिये स्थगित करें; करके हिन्दी में देने के बाद ही कार्यवाही प्रारम्भ करें। यह मेरा आपसे निवेदन है और सदन की यह परम्परा

Page No. 94

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है कि हिन्दी का अनुवाद अंग्रेजी में और अंग्रेजी का हिन्दी में, दोनों भाषाओं में मूव किये जाते हैं और कानून भी है ऑफीशियल लैंग्वेज का है, जिसमें साफ है कि अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी सारी कार्यवाही होगी और हिन्दी में हमेशा डिस्कशन करते रहे होंगे। इसकी व्यवस्था पहले भी चेयर से दी हुई है कि प्रत्येक बिल का हिन्दी अनुवाद भी सर्क्यूलेट किया जावे। इसलिये आपकी व्यवस्था इस पर चाहूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ऑलरेडी सामने है।

(शोरगुल- एक साथ अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं एक तथ्य जानना चाहूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!! एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मौजूद है। माननीय मुक्तिलालजी मोदी, एक पोइन्ट ऑफ आर्डर ऑलरेडी मौजूद है। वह डिस्पोज़ऑफ हो रहा है, उसे पहले होने दीजिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेरा भी इसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर नया उठा सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं इसे ही ज्यादा स्पष्ट कर देता हूं। नया उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You can submit another point of order.

हिन्दी अनुवाद की बात उठाई गई और एक बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के मुतल्लिक भी बात उठाई गई। जहां तक पहले का सम्बन्ध है मैं उसके साथ सहानुभूति रखता हूं। हिन्दी अनुवाद यथा-समय प्रस्तुत किया भी जाता रहा है, लेकिन ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि यह प्रस्तुत नहीं हो तो कार्यवाही रोक दी जावे।

दूसरी चीज यह है कि जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिकमण्डेशन हुई थी वह तारीख २३ को पढ़ कर सुना दिया था, सदन से अनुमति ले ली थी और उसके मुतल्लिक २४ तारीख को और २६ तारीख को यह पंचायत बिल लाने का निश्चय हो चुका था। इसलिये इसमें सदन पहले से ही कमिटेड है इस डिस्कशन के लिये और इसमें कोई नई बात नहीं हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : on a point ot order, sir.......

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था और यह था....

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : आपने कहा हिन्दी के लिये जरूरी नहीं है। मैं इस बात के लिये १५ वर्ष से हूं और यह प्रश्न पहले तय हो गया था कि जब कोई भी बिजनेस सरकार की तरफ से लाया जावेगा या एक्ट आयेगा, कोई भी चीज आवेगी तो पहले हिन्दी में और अंग्रेजी में दोनों में सर्कूलेट होगा। अगर हिन्दी इस बार नहीं होगी और कोई नई चीज होगी तो मैं इस हाउस से बाहर हो जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! Muktilal ji Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपकी चेयर से इस तरह की रूलिंग दी जावे हिन्दी के लिये यह आश्चर्य है। मैं चाहता हूं हिन्दी के लिये मेरा खुद का सुझाव है कि जो हम बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते उनको हिन्दी में चीज दी जावेगी। तो उसके विपरीत हाउस में अगर अंग्रेजी में ही एक्ट आवेंगे तो मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीड़वाना) : जहां तक मेरी जानकारी है हाउस के अन्दर जितने अमेंडमेंन्ट आये हैं वे हिन्दी में प्रस्तुत हुए हैं यह मेरे ध्यान में नहीं है। जितने आये हैं अमेन्डमेन्ट, अंग्रेजी में देखे हैं। हिन्दी में हों तो देखे होंगे भाई मुक्तिलालजी ने।

अब रहा सवाल हिन्दी में आने का, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है; पर इसके लिये हम चेयर पर दवाब डालें तो चेयर की हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, चेयर की इज्जत बड़ी है, इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : हिन्द की भी इज्जत बहुत बड़ी है।

श्री मोतीलाल चौधरी : इसलिए जो कार्यवाही है वह कन्टीन्यू रहनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि हम इसको कतई पास करने वाले नहीं है कि इस बिल को आप हरीडली पास करवा लें और हमें जितने भी डेमोक्रैटिक राइट्स हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट का विरोध करेंगे और इसलिए करेंगे कि इस तरह का हेस्टी लेजिस्लेशन पास न करायें और यदि इस तरह के हेस्टी कन्वेन्शन होंगे तो न तो गवर्नमेंट की मन्शा पूरी होने वाली है कि आज ५ बजे तक इस बिल को पास करवा लें और न इस बिल पर पूरी तरह से डिस्कशन होकर राइट चीज कौनसी है उसको सदन को मनवाने वाली चीज होने वाली है। ज्यादा अच्छा यह होगा कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के जरिये या और किन्हीं तरीकों से सदन में किसी और प्रकार का वातावरण न बनने देकर सरकार को चाहिए कि वह हमें ज्यादा से ज्यादा इस पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करे और पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर या दूसरी स्थिति हम केवल मजबूरी

(श्री भैरोंसिंह)

में ही पैदा करेंगे। मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को पूरा का पूरा समय दिया जाये और उसकी वह व्यवस्था कर लें ताकि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर और बाकी के झमेले जितने खड़े हो रहे हैं वह सारे के सारे मिट जायें और हम आसानी से इसके ऊपर विचार कर सकें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भावना जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी है उसकी बहुत कद्र करता हूं और मैं मानता हूं कि कोई भी बिल या बिल का कोई भी अंश हेस्टिली पास नहीं होना चाहिए और माननीय सदस्यों को पूरा अवसर होना चाहिए और उस पर पूरा विचार-विमर्श होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आज के एजेन्डा में इस बिल के लिए प्रावधान था और इसके अलावा मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो अमेंडमेंट्स मिनिस्टर महोदय ने रखे हैं उनको छोड़कर बाकी के दूसरे क्लॉजेज़ पर, जिन पर मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल के अमेन्डमेंट्स नहीं है, उन पर बहस तो चालू कर दी जाये और इनके जो अमेन्डमेंट्स हैं, जिनके ऊपर विचार करने के लिए समय चाहिए तो कल किसी समय भी घन्टे दो घन्टे बैठ जायेंगे और उन पर विचार कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि एक एक के ऊपर बहस यहां होनी चाहिए। तो मैं यह चाहता हूं कि बिल को डिले न करके जो अमेन्डमेन्ट्स माननीय मिनिस्टर-इन-चार्ज जिन क्लॉज़ेज़ पर मूव करना चाहते हैं उनको तो डेफर कर दिया जाये और बाकी के क्लॉज़ेज़ को पास कर दिया जाये और जो मिनिस्टर साहब के अमेन्डमेन्ट्स हैं उन पर कल किसी भी समय बैठ कर विचार कर लेंगे। एक घन्टा फूड प्रोब्लम का निकाल कर और एक घन्टा और बैठ कर इस पर विचार कर लेंगे। हम तो तैयार हैं, जैसा आप चाहें। जो इन्नोसेन्ट क्लॉज़ेज़ हैं उनको तो मेरे ख्याल में पास किया जाये और जो डिस्प्यूटेबल हैं उनको डेफर कर दिया जाये और उन पर कल बहस हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : कल का समय तो निर्धारित करना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अधिकार की बात है, ट्रेज़री बेन्चेज़ से इसका कोई भी ऑपोज़ीशन नहीं होगा, कल के लिए इसको रख लिया जाये। हां, और जो माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट्स देना चाहें वे लास्ट अवर तक दे सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसके साथ साथ हिन्दी में भी अनुवाद करा दें।

श्री मथुरादास माथुर : उसको भी करेंगे। मैं यह कहता हूं कि जो अनडिस्प्यूटेबल क्लॉज़ेज़ हैं और जो प्रवर समिति ने मन्जूर किये हैं, उनको पास किया जाये और बाकी क्लॉज़ेज़ जिनके ऊपर मिनिस्टर साहब के अमेन्डमेन्ट्स हैं और डिस्प्यूटेबल हैं उनके लिए हम टाइम फिक्स कर दें। समय के लिए स्पीकर साहब से बैठ कर तय कर लें, चाहे कल हो या परसों का टाइम हो। एक एक घन्टे बैठ जावें तो ही निकल जायेगा। यदि

(श्री मथुरादास माथुर)

इस सदन में वह बिल पास हो जायेगा तो हम समय पर भी चुनाव करा सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको ले लिया जाये और जो मिनिस्टर साहब के हैं उनको बाद में ले लिया जाये, यह तो ठीक है; लेकिन जिनके ऊपर माननीय सदस्यों के भी अमेन्डमेन्ट्स हैं और मिनिस्टर साहब के भी हैं यानी दोनों के एक ही क्लॉज़ पर हैं, उनका क्या होगा?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे ख्याल से क्लॉज़-बाई-क्लॉज़ चला जाये और जिनको डेफर करना हो उनको डेफर करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, एक अर्ज कर दूं कि कल फूड और फ्लड के ऊपर डिबेट है जो कि बहुत आवश्यक है और कहीं यह न हो कि इसमें से टाइम कट कर दें और जो नो-कॉन्फीडेन्स मोशन आने वाला है उसमें से टाइम कट कर दें। वह वक्त इसके अलावा होना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : हम तो कल ही करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ पर जो अमेन्डमेन्ट श्री मथुरेशबिहारी माथुर ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ पर जो संशोधन माननीय श्री हांडा ने रखा उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३।

अनेक माननीय सदस्य : इस क्लॉज़ को डेफर किया जाये क्योंकि इस पर मिनिस्टर साहब का अमेन्डमेन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : क्लॉज़ ३ को डेफर करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर ४ पर आ जायें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हां, ३ को डेफर किया जाये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मेरा ख्याल है कि जो भीखाभाई के अमेन्डमेन्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन तो कर लिया

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जाये ताकि उनके ऊपर आपके भी विचार सुन लिए जायें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा प्रस्ताव है कि क्लॉज़ ३ कल के लिए डेफर कर दीया जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विधि मन्त्रीजी ने जो भी बात कही है उसका अर्थ यही है कि जिन क्लॉज़ेज़ पर मिनिस्टर-इन-चार्ज ने दुबारा अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं उन सारे क्लॉज़ेज़ को डेफर कर दिया जाये और उसके अलावा जो क्लॉज़ेज़ बचे हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाये और पास कर लिये जायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन क्लॉजेज़ के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं और जिनके ऊपर बहस करना बहुत जरूरी है उनको जरूर पोस्टपोन कीजिए लेकिन जो फॉर्मल नेचर के अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको भी यदि पोस्टपोन करते हैं तो आगे चल कर करना तो है ही, तो अभी क्यों नहीं कर दिया जाये ?

श्री भैरोंसिंह : वे हिन्दी में नहीं हैं इसलिए मेम्बर्स देख नहीं पाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉजेज ३ और ४ डेफर किये जाते हैं।

क्लॉज़ ५। श्री ज्वालाप्रसाद।

(३.३१ म. प.)

[खण्ड ५ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
व
श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :
Add sub-part (ii) to part (a) as follows :—

"(a)" The following proviso to sub-section (4) shall be added, namely :—

"Provided that the members of the Panchayat shal not held responsible for the financial transaction and the maintenance of the Panchayat accounts which shall be hnded and maintained by the Secretary of the Panchayat".

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Renumber the existing provision of part (a) as sub-part (i) and add a new part (ii) as follows :—

"(a)" The following proviso to sub-section (4) shall be added, namely :—

"Provided that the members of the Panchayat shall not be held responsible for the financial transaction and the maintenance of the panchayat accounts which shall be handed and maintained by a qualified Secretary."]

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, जो पंचायतें बनेंगी उनके बारे में एक अमेन्डमेन्ट इसमें ऐड करने के लिए रखा है :

'Provided that the members of the Panchayat shall not be held responsible for the financial transaction and maintenance of the Panchayat accounts which shall be handed and maintained by the Secretary of the Panchayat.'

मेरा अर्ज यह है कि आज राजस्थान के अन्दर ७३६१ जो पंचायतें हैं, जो उनके सरपन्च हैं उनकी तरफ से मैं यह अमेन्डमेन्ट रखना चाहता हूं और सरकार जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह तरह से गौर करे कि पहले ये लोग यह जानना चाहते हैं कि इस सरकार की मन्शा क्या है ? और यह मन्शा इस विषय में जानना चाहते हैं कि क्या उनके ऊपर जो पंचायत को एक इकाई मानते हैं और वह एक इकाई, इस तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंन्ट की एक इकाई है ।उस इकाई को जो प्रिसाइड करने वाले हैं, जो चैयरमेन हैं, जो सरपंच हैं वे आज जानते है कि उनको इलेक्शन के जरिये नौकर रख लिया गया । आपने चुनाव किया उससे क्या उसको नौकर बना दिया कि वह अपना सारा हिसाब-किताब रखेगा, वह सारी उसी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रोसीडिंग लिखे । उसी की जिम्मेदारी है कि वह हिसाब मैंन्टेन करे, उसी की जिम्मेवारी है कि सारी चीजों को, अगर कोई गलती हो जाय तो उसके बाद उसके सिर पर सरकार सवार हो जाय । सरकार ही नहीं सवार हो बल्कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भी सवार हो । लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट में प्रि-ऑडिट, इस तरह की चीजें चलती हैं, जिनके ऊपर इस तरह के कोई १० अधिकारी इस तरह की सारी पंचायत समितियों, जिला परिषदों और जिला परिषदों के अन्दर जितने भी मातहत हैं उनके सेक्रेटरी और इन पंचायतों के और प्रेसीडेन्ट्स ये सब के सब जिस सरपंच ने कोई सच्चाई की आवाज उठाने की कोशिश की और उनका विरोध किया तो उसके लिए ऐसे आदमी गला घोंटने के लिए आ जायेंगे, जो कि खाली लिखने की क्वालिफिकेशन रखता है, जो कि एकाउन्टेन्ट नहीं है । जो मिनिस्टर साहब हैं वे एकाउन्टेन्ट नहीं हैं और अगर एकाउन्टेन्ट का काम करने का काम उनको दे दिया जाय, अगर श्री भीखाभाई साहब से कहें कि तनख्वाह का हिसाब मैंन्टेन करो, नहीं तो प्रि-ऑडिट होकर आपको फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट वाले चैक करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आज जो है इनकी गलतियां निकाली जा सकती हैं । कोई भी आदमी यह दावा करे, मैं भी दावा करूं या सदन का कोई भी सदस्य यह दावा करे कि प्रि-ऑडिट वाले जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से हिसाब रखें, तो कोई नहीं रख सकता है । जहां सरपंच की क्वालिफिकेशन यह रखी है वह आदमी पढ़ना-लिखना जानता हो उसके तबके में यह किया जाय, पंचायतों की प्रोसीडिंग लिख कर वह रखेगा, वह रुपया अपने पास रखेगा, वह हिसाब सही देगा, वह बतलायेगा कि लालटेन कहां चली गई, वह बतलावेगा कि कलम कहां चली गई, वह बतलायेगा कि यह बही कहां

Page No. 100

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रखी है और हम जब ऑर्डर करें कि उनकी जो अदालत है उसमें फलां दिन हाजिर होकर प्रि-ऑडिट वाले, फाइनेन्स के एकाउन्टेन्ट या नौकर के पास आकर हिसाब जांच करवाये। इस तरह के ऑर्डर, इस तरह का व्यवहार आज इलेक्टेड आदमी के साथ किया जाता है। उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका गला घोटा जाता है जिसको कि हम ईमानदार मानते हैं। मैं नहीं कहता कि गबन नहीं होता है। मैं यह पूछता हूं कि यह सर्कम्स्टान्सेज़ पर डिपेन्ड करता है। एक आदमी चोर कैसे बनता है? उसको आपने ५०० रु० दिये। मान लो कि वह लेकर चला गया। एक एक्सीडेन्ट हुआ उस एक्सीडेन्ट वाले ने रास्ते में कहा कि एक्सीडेन्ट हो गया २००) रु० दे दो, आपको परसों ही दे दूंगा। वह लेकर चला गया। उसके सर्कम्स्टान्स नहीं हुए कि जिसका एक्सीडेन्ट हुआ वह २०० रु० न दे; तो आपने उसको ५०० रु० नकद देकर बेईमान किया। उसको आपने पकड़ लिया तो इन्सानियत के खिलाफ काम किया है रुपया देकर। उसके पास रुपया रहा उसके हिसाब में दूसरे रोज और आपने कहा कि पेश करो। आपने उसको चार्ज सुना दिया और कितनी कितनी दफाएं लगा कर पुलिस के पास में उसकी पेशी करवाते हैं। मैं आपसे, इन सारे सरपंचों की तरफ से, अपील करना चाहता हूं कि मुझे बतला दें कि दुनिया के अन्दर इलेक्टेड आदमी जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वे कोई अपने हाथ से नहीं करते हैं। दुनिया की मिसाल देते हैं और यह नायाब चीज राजस्थान का सरपंच ही ऐसा है कि जिसको ऐसा किया है कि जो इलेक्टेड आदमी हैं, वह हिसाब रखता है, जो रुपया उसको दिया जाता है। आज कितने मिनिस्टर ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है कि फलां जगह नहर बन रही है, फलां जगह फोरेस्ट में एफोरेस्टेशन किया जा रहा है, वहां पर आपका तालाब टूट गया है, तो एक करोड़ रुपया लीजिये, एक लाख, १० हजार या ५०० रुपया लीजिए और यह काम कीजिये। आप रिलीफ देते हैं तो अपने कलेक्टर के जरिये देते हैं। आपने फेमीन रिलीफ के काम चलाये होंगे तो तहसीलदार से चलाये होंगे। आपने दस्तखत किए होंगे। आपके जिम्मेदार नौकर होते हैं, लेकिन वे बेचारे गरीब लोग जो नहीं समझते हैं उनके गले के अन्दर फांसी डालने के लिए, उनको वह बनाने के लिए यह जो चीज पनप रही है पंचायत समिति और जिला परिषद् के लेवल पर कि छोटी छोटी गलतियों पर ये सरपंच के सिर के ऊपर भूत की तरह सवार रहते हैं और उनसे मनचाहे ढंग से वोट करवाया जाता है। पंचायती राज्य के अन्दर डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीज नहीं चल रही है, बल्कि जिस आदमी ने सिर उठाया उसके ऊपर छोटे-मोटे दोष लगा कर उसके ऊपर-चार्ज शीट लगाते हैं और उसको धमकियां देते हैं कि ठीक तरह से चलो नहीं तो ठीक कर देंगे। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि अगर सरकार की मन्शा पंचायती राज्य को कायम करने की है तो चाहे जहां से कटौती करनी पड़े करें, लेकिन उनको सेक्रेटरी दे। मैंने सेक्रेटरी के लिए कहा तो आप कह सकते हैं कि इतने सेक्रेटरी नहीं रख सकते हैं अपने फाइनेन्स की वजह से; यह मैं समझ सकता हूं। लेकिन दो बातों पर मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं। पहली

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बात तो यह है कि सरपंच चीफ मिनिस्टर की तरह काम करेगा। उसका पैसे से ताल्लुक नहीं होगा। उसका हुक्म चलेगा और उसका वही हुक्म चलेगा जो कि पंचायत तय करेगी; उसका हुक्म बजाने वाला नौकर उसको मिलेगा जैसे कि आपको मिले हुए हैं नौकर जो कि उसको बजा लाते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से क्या दिक्कतें पैदा हुई हैं। मैं नहीं मानता हूं कि पंचायती राज्य में पंजाब या दूसरी जगह क्या हो रहा है, लेकिन मैं सही कहता हूं कि इस पंचायती राज्य में जो पिछली दफा अनुभव हुए हैं, जिन अनुभवों के आधार पर मुझे पीड़ित लोगों से बात करने को मिली हैं, उसके अन्दर एक बात देखते हैं कि जो कुछ भी किया जाता है और ऐसे ऐसे सर्कमस्टान्सेज़ हो जाते हैं कि जहां आदमी दूसरा लाया जाता है और दस्तखत करा लिए जाते हैं और तकावी ले ली जाती है। तीन साल के बाद में जब उसके पास पहुंचते हैं तो वह कह देता है कि मैंने लिये हैं तो वेरीफिकेशन सरपंच का किस बात का है, उसके दस्तखत कैसे कराये किसी ऑफिसर ने ? मेरे पास शिकायत है। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि वह रोते मुंह से आंखें डाल कर देखता है कि दस्तखत कब कर दिये यह नहीं मालूम, लेकिन वेरीफिकेशन सरपंच का मौजूद है। सरपंच ने पैसे दिलवाये हैं। जब वसूलयाबी के लिए जाते हैं तो वह आदमी कहता है, मैंने लिए नहीं, मेरे दस्तखत नहीं हैं तो कहते हैं कि सरपंच ने बेईमानी से कैसे दस्तखत कर दिये कि वही यह आदमी है जिसने कि तकावी ली है। उसकी वजह से सरपंच रो रहा है कि मुझे मालूम नहीं। अफसर ने कहा कि हाजरी के दस्तखत हैं तो मैंने कर दिये।

अभी जो हिन्दी और अंग्रेजी का सवाल उठा तो वहां पर जो सही बात है वह मैं मानता हूं। जब यहां पर वापिस ले लिया जाय, अंग्रेजी को बढ़ाने का बिल है तो इसका साफ मतलब यह है कि हमेशा के लिए चली गयी। राजस्थान ने इस बारे में पहल की है अंग्रेजी के बिल को वापिस लेकर और जो प्रतिष्ठा आपने प्राप्त की है उस प्रतिष्ठा को मेन्टेन नहीं किया है। सरकार उसको खुद मेन्टेन नहीं कर रही है क्योंकि सरकार जो अमेन्डमेंट कर रही है उसका हिन्दी ट्रान्सलेशन नहीं आया, लेकिन जो इतनी इम्पॉर्टेन्ट चीज है जिसको कि पार्टी बेसिस पर करना चाहते हैं, वह हिन्दी में नहीं आया। जब सरकार अंग्रेजी कायम रखने का बिल वापिस लेती है, सरकार की पॉलिसी साफ है, सदन की पॉलिसी साफ है और हिन्दुस्तान भर में राजस्थान का नाम है कि हमने हिन्दी कर दी, इसके बाद भी हिन्दी में नहीं आवे ऐसी ही हालत वहां पर पंचायतों की है। वहां के अफसर अंग्रेजी में लिख कर वेरीफिकेशन करा लेते हैं और उनको यह कह देते हैं कि हाजरी के दस्तखत कर दो। पंच और सरपंच की क्वालिफिकेशन सिर्फ लिखना और पढ़ना जानने की है, वे अंग्रेजी जानते नहीं, इसलिए उनके सिर पर यह चीज चली जाती है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने जो करोड़ों रुपये लोगों को दिये हैं उनमें से ३० परसेन्ट भी रिकवर होने वाले नहीं हैं। ३० परसेन्ट तो मैं कम से कम कहता हूं। न तो लेने वालों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

का पता है, न देने वालों का पता है, न अफसरों का पता है। इसलिये मैं बेसिक बात कहना चाहता हूं बड़ी इल्तजा के साथ मिनिस्टर साहब से कि आप चाहे बंद करिये पंचायत राज्य को। ६० हजार पंचों पर आप शासन करें इसलिए नहीं बनाया था इसको, यह इसलिए बनाया था कि गांवों में लीडरशिप पैदा करेंगे और पंचवर्षीय योजना को इनके माध्यम से पूरा करायेंगे, इसलिए उनको ताकत दी थी उस ताकत के साथ वगैर पढ़े-लिखों को लेकर उनको अपना पैसा दिया।

मुझे एक किस्सा याद आता है, वह किस्सा यह है कि दो अंधे बैठे थे। वहां पर एक कुम्हार का मटका उल्टा रखा हुआ था। उनमें से एक बोला उस पर हाथ फेरने के बाद कि उसके मुंह भी नहीं है, वगैर मुंह के बनाया है। दूसरे ने उसे उठा कर देखा और कहा कि मुंह नीचे बना दिया है। आज हम खुद नहीं जानते। आज मैं भीखाभाई से पूछूं कि सदन में जो आपने अमेन्डमेंट रखे हैं उनका ओरिजिनल सेक्शन क्या है (हियर हियर) उसका हैड क्या है, उसकी मंशा क्या है, यह हमें बता दें तो हम मान जायेंगे।

इसलिये तो यह अचानक अंग्रेजी में आया है, मुझे मालूम नहीं, मैं सम्माननीय प्रतिभावान मंत्रीजी से कहता हूं कि (श्री परसराम मदेरणा से) मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। मैं कहूंगा कि आप इसी जगह एक ऐलान करिये, मेरा अमेन्डमेंट पास करिये, सरकार ऐसा कर दे कि हम सरपंचों को इस जंगल से निकालेंगे कि उनको हिसाब किताब नहीं रखना पड़ेगा, वे केवल हुक्म चलावेंगे, उनको रुपये नहीं रखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको नीचे वाले बेईमानी करके फंसा दें। वर्ना तो इस पद पर आना अपनी इज्जत खराब करना है, छोटे-छोटे टुच्चे लोगों के सामने खड़ा होकर आज उनको अपनी सफाई देनी पड़ती है। कभी किसी काम के लिए घूमना पड़ता है, कभी किसी काम के लिए और उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो काम एक राय से हुए हैं वे सब खराब हुये हैं और जो यूनेनिमस राय से हुवे हैं वे सब अच्छे हुए हैं, ईमानदारी से हुए हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके गले में फांस डाल रखी है। इसलिए मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अपनी आत्मा को कुरेद कर देखें, दिमाग को संभाल कर देखें, उनके गांवों में और कोई गवर्नमेन्ट नहीं है, पंचायत ही सही माने में गवर्नमेन्ट है, हमने इस डेमोक्रेसी को गांव गांव में पहुंचाया है, इसमें गौरव है। लेकिन जब आज उस गौरव की हालत देखते हैं तो दुःख होता है। इसको असली रूप में लाना है और जो गड़बड़ियां छोटे लोग करते हैं उनको हराना है। इसके लिये मैं अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं; उसको आप मंजूर करें, न करें लेकिन आप यहां पर ऐलान करिये कि इलेक्टेड आदमी कभी मनीडीलिंग नहीं करुरें, हिसाब रखने की जिम्मेदारी कभी उन पर नहीं होगी, रेकार्ड रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। रेकॉर्ड के लिये जिम्मेदारी होंगे तो उनके नौकर होंगे, सरकारी नौकर होंगे जो उनके हुक्म से चलेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाने वाले होंगे। इस तरह से करने पर ही आप इलेक्टेड लोगों को, अपनी जाति के लोगों को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आगे बढ़ा पायेंगे। इलेक्शन में आनेवाले कभी किसी को गाली नहीं देते। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिये उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको खबर देता हूं कि जो लोग सरपंच से डरते है उन लोगों को फंसाया जाता है जिससे कि वे सही तौर से इज्जत के साथ न रह सकें और जो उनकी प्रतिष्ठा है गांव वालों में वह नहीं रख सकें और लीड नहीं ले सकें। उनकी इस लीड को रोकने के लिये कई लोगों को फंसाया जाता है। जो पद आप ऐलान करें कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो खड़े होने के अधिकारी हैं, जो पद धारण करने वाले हैं उनसे जनता खुश है या नहीं, उनको जनता ईमानदार समझती है या नहीं, या बेईमान समझती है, इसका फैसला पहले हो जाय। आपकी नौकरशाही बेईमान है वह उनको फंसाना चाहती है, उन पर केस चल जाया। तो उनका नोमीनेशन रुक जाय, यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहता हूं कि आपकी सरकार सही माने में ऐलान करे कि आज से कभी इलेक्टेड आदमी पैसे का मुंह नहीं देखेंगे, रेकॉर्ड के कस्टोडियन नहीं होंगे, नौकर लोग उनके ऑर्डर पर चलेंगे। सेक्रेटरी वगैरह ने जरासा लालच देकर उनको गुलाम बना दिया उस गुलामी से सरकार इनको छुड़ावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : No, no There are amendments.

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय........।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि दोनों समान रूप से अमेन्डमेन्ट्स हैं इसलिये जो पूर्व वक्ता ने कहा है उससे भिन्न बात हो वह आप संक्षेप में कहें।

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि प्रजातांत्रिक प्रणाली अपने यहां चल रही है और उस प्रजातांत्रिक प्रणाली में ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है, प्रजातंत्र की हर व्यवस्था के ऊपर स्वतंत्ररूप से अंकुश करना जरूरी है जैसा कि अपने यहां पर ए. जी. का स्टेट फाइनेन्सेज़ के ऊपर एक चैक है उसी तरह से प्रजातंत्र की हर इकाई के ऊपर अंकुश रखना आवश्यक है। लेकिन जहां तक ग्राम पंचायतों का सवाल है, उनमें इस तरह के कम पढ़े-लिखे पंच सरपंच हैं और उन कम पढ़े-लिखे पंच सरपंचों पर जिस तरह अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है और जिस तरह उनको परेशानी उठानी पड़ती है उस चीज को सामने रखते हुए मैंने संशोधन रखा है कि राज्य सरकार इस पर सोचे कि आज हम राजस्थान का विकास करने जा रहे हैं, पंचायतों के माध्यम से करने जारहे हैं उनमें जो पंच सरपंच हैं वे केवल हिन्दी में पढ़-लिख सकते हैं या दस्तखत भर करना जानते हैं या नहीं भी करना जानते हैं, ऐसे पंच-सरपंचों पर आपने बोझ डाला है कि वे बिल्कुल फाइनेन्शियल रूल्स के हिसाब से अकॉउन्ट रखें, गल्ती न करें तो इसके लिये निवेदन है कि आज भावना यह होनी चाहिये

(श्री तेजाराम गहलोत)

कि ऑडिट हो, विकास अधिकारी हो या कलेक्टर वगैरह कोई भी पंचायतों में जावें और वहां पर गलतियां उनको मालूम हों तो उनको वे सुझाव दें कि इस तरह से हिसाब रखो। लेकिन वे लोग सुझाव देने के बजाय उन पंच-सरपंचों से कहते हैं कि तुमने गलती की है इसलिये तुमको पीनेलाइज़ किया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि आज भी बहुत से पंच सरपंच इस मर्ज में फंस गये हैं कि उनको आये दिन सेक्रेटेरियट के चक्कर काटने पड़ते हैं। किसी को ऑडिट रिपोर्ट के लिये आना पड़ता है किसी को दूसरे काम के लिये आना पड़ता है, इसके लिये जनता के नुमाइन्दे परेशान हैं। विकास अधिकारी जिन पर हमने भार रखा है वे जब इन्सपेक्शन में जावें तो क्यों नहीं उनको सुझाव दें कि तुम इस प्रकार से रिकॉर्ड या हिसाब रखो। लेकिन विकास अधिकारियों को तो शिकार खेलने और अपनी जीप में बैठ कर घूमने के आगे फुर्सत ही कहां है? वे तो शाम को ४ बजे निकलेंगे और अपने डी. ए. के ५) रु० सीधे करेंगे।

(४.०० म०प०)

इस तरह की परम्परा है, इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। यह खत्म तब ही होगी जब कि अकाउन्ट्स के फिगर्स की सारी जिम्मेदारी है वह पंचायतों के मेम्बर से हटा कर सचिव पर नहीं डालेंगे; तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। आज स्टेट का ऑडिट होता है उसमें लाखों की गड़बड़ी होती है। उनको सरकार किसी न किसी तरह से रेक्टिफाई कर देती है और आज तक एक भी ऑफिसर से, चाहे कितने ही रुपयों का घोटाला हुआ हो, वह धन-राशि वसूल नहीं हुई है फिर पंच को परिस्थिति विशेष में तीस-बीस मील डाक खाने को पंचायत हेड क्वार्टर से जाना होता है और ३१ तारीख को वह लौटता है तो अगर तीस और इकत्तीस का, दोनों का मिला कर अगर ढाई सौ रुपये से वेशी पैसा उसके पास रह गया है तो उसको कहेंगे कि इतना पैसा अपने पास क्यों रखा है? उसके पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि ३१ को उसके पास में पैसा आये वह उसी तारीख को जाकर जमा करा दे? इस तरह कानूनी नुक्ता-चीनी करके पंचायतों को हरेस किया जाता है। इसको खत्म करना जरूरी है। यदि नहीं किया गया तो पंचायतों को आधार मान कर जो देश का विकास करना चाहते हैं तो वह नौकरशाही के पंजों में फंस कर कुचल दिया जायगा और हमें कभी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि पंचायतों के जरिये हम देश का विकास कर सकेंगे।

जो पंच हैं, यह जरूरी नहीं है कि उनमें सब के सब बेईमान ही हों, उनमें ६० पर्सेन्ट ईमानदार लोग हैं, लेकिन नौकरशाही के द्वारा हरेस किये जाने और परेशान किये जाने से व लोग नफरत करते हैं और कहते हैं कि चुनाव के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। ऐसा हो रहा है इससे गांव के जो भोले आदमी हैं जिनकी लेन-देन में कोई दिलचस्पी नहीं है वे पंचायतों से दूर हटते जा रहे हैं और धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ जायगी कि ऐसे लोग ही आयेंगे जिनके पास कोई काम है न काज। वे लोग पंचायतों में आकर कायदे कानून के अनुसार

(श्री तेजाराम गहलोत)

झूठे अकाउन्टस मेन्टेन करेंगे, केवल कागजी खाना-पूरी होगी और उनको आप पकड़ नहीं सकेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पंचायतों में ईमानदार आदमी हों और अच्छे और चुनिन्दा आदमी ही आयें तो वे तभी आ सकेंगे जब उनके स्वाभिमान की रक्षा की गारन्टी हो। हमें चाहिये कि जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं, जो उनको परेशान करते हैं और कहते हैं कि यह हिसाब दिखाओ, यह हिसाब किताब लेकर आओ इस तरह की परेशानी को खत्म करें। यह खत्म नहीं करेंगे तब तक अच्छे और ईमानदार लोग पंच बनाना पसन्द नहीं करेंगे। इन लोगों को अच्छी तरह काम करने के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे तब तक, जो पंचायतों को देश के विकास की आधार-शिला मानते हैं, उसके ऊपर खराब असर पड़ेगा और विकास के कार्यों पर खराब असर पड़ेगा। इसलिए एक्ट के अन्दर, रूल्स के इस आधार को सामने रख कर, जो पंचायतों के पंच को हिसाब रखने की जिम्मेदारी हैं उसको हटा कर सचिव पर रख दें और इसके लिए कानून में संशोधन करें ताकि जो सरपंच और पंचों के साथ नौकरशाही खिलवाड़ कर रही है उससे उसे मुक्त कर सकें।

(सर्व श्री मुक्तिलाल मोदी और योगेन्द्र नाथ हांडा बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Y. N. Handa, whose amendment is there ?

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : इनको कहां कहा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तीलालजी मोदी! आप यदि बोलना चाहते थे तो आपको अमेन्डमेन्ट देना चाहिए था।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अमेन्डमेन्ट के पक्ष में नहीं बोलूं?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अमेन्डमेन्ट देना चाहिए था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समर्थन बहुत जरूरी है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हाउस के अन्दर बिल आया है। उस पर अमेन्डमेन्ट आये हैं और उनका समर्थन हुआ है। श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके पक्ष में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish first. इन्हें खत्म करने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो नसीराबाद से आने वाले हैं, ने किस भावना से जिस प्रकार का अमेंडमेंट दिया है मेरा अमेंडमेंट भी उसी प्रकार का है। क्लॉज ५ में मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि सरपंच को हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार न बनाया जाय, क्योंकि इससे सरपंच अपना कार्य ठीक तरह से नहीं चला सकता और सेक्रेटरी, जो क्वालिफाइड हो, वह ही हिसाब किताब के लिये जिम्मेदार हो। सरपंच पर हिसाब-किताब की जिम्मेदारी नहीं हो।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पंचायत राज की सफलताओं के सम्बन्ध में विचार करते हैं और उन समस्त शक्तियों के सम्बन्ध में विचार करते हैं जो पंचायत राज को सफलता की ओर ले जा रही हैं और उन समस्त शक्तियों के ऊपर विचार करते हैं जो पंचायत राज को असफल कर रही है और चाहे हम सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते हैं, चाहे हैदराबाद की कॉन्फ्रेन्स की चर्चा पर विचार करते हैं, चाहे अपनी इवोल्यूशन रिपोर्ट पर विचार करते हैं-मुख्य रूप से हम इस नतीजे पर आये हैं, कुछ ऐसी घटनायें हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो पंचायत राज को नाकामयाब कर रही हैं। उसमें सर्विसेज का भी एटीट्यूड मुख्य रूप से एक परिस्थिति मानता हूं जो पंचायत राज को असफल बना रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय पंचायत का कोई फैसला हो, न्याय पंचायत किसी के ऊपर दंड लगा दे और वह फैसला एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाय। आप सारे राजस्थान के तमाम केसेज को ले लीजिये, ६० पर्सेन्ट केसेज़ के अन्दर न्याय पंचायतों के फैसले एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और सर्विसेज उनको एक रद्दी का टुकड़ा मान कर ऑफिस के अन्दर पटके रखते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की यह स्थिति हैं कि थानेदार के पास न्याय पंचायत का सरपंच या उप-सरपच चला जाय तो थानेदार की दृष्टि सरपंच और न्याय पंचायत के सरपंच के प्रति वह नहीं होती जो चुने हुए इन्सानों के प्रति होती है। झोटवाड़ा पंचायत के अन्दर दस रुपये की रसीद का मिसएप्रोप्रियेशन कायम किया गया एक ऐसे सरपंच के ऊपर जो पन्द्रह मुरब्बों का मालिक है, जिसने दस हजार रुपया एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का दिया है, उस पर दस रुपये के गबन का केस चलाया जा रहा है और आज तक चल रहा है। एक पत्र मेरे पास है, १६ पी. एस. पंचायत का जिसके सरपंच की रोकड़ कलेक्टर ने जब्त की, उस पर सील लगाई। केस मिनिस्टीरियल लेवल तक आया। उस पर पचास हजार रुपये का गबन एस्टेब्लिश हुआ, इतनी रोकड़ कूंती थी। सरपंच मंत्री महोदय के पास पहुंचे। श्री उपाध्याय, दा साहब उस समय पंचायत मन्त्री थे। उसके बाद वह सरपंच सस्पेन्ड तक नहीं हुआ और रोकड़ सील में पड़ी रह गई। दुबारा जब माननीय मन्त्री बदल चुके थे। उस केस के सिलसिले में मैं दूसरे मन्त्री के पास उपस्थित हुआ। उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेन्ट ने एक बार फैसला कर लिया है, मैं उसको एक मन्त्री का फैसला होने के कारण कैसे बदलूं ? मुझे उनकी बात में रीज़नेबिलिटी नजर आई, तर्क था; एक मन्त्री ने फैसला कर दिया तो दूसरे मन्त्री को नहीं बदलना चाहिए। वह गवर्नमेन्ट की पॉलिसी का प्रश्न हो जाता है। उन मन्त्री महोदय ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कही। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह पचास हजार का गबन करने वाला सरपंच आज तक सरपंच की तरह मौजूद है और वह सरपंच, जिसके जिम्मे १०) रुपये की रसीद का मिसएप्रोप्रियेशन करने का चार्ज था उसके खिलाफ केस है। मैं आपके सामने केस बदलने की एक दूसरी मिसाल रखूं। लूणकरणसर के सरपन्च सस्पेंड थे। वे चुने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गये और चुन कर वे सरपन्च बन कर आये और पन्चायत समिति में बैठे । उसके पहले सरपंच थे, पंचायत समिति के जो फंड्स डिलीवर किये थे उसके अन्दर मिस एप्रोप्रियेशन था । उस सरपंच पर मिस एप्रोप्रियेशन का चार्ज लगाया और सस्पेंड किया । सरपंच ने मन्त्री महोदय को अपील की । फुलफ्लेज्ड वे मन्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि मैं फैसला नहीं बदल सकता, उन्होंने जांच की और हुक्माराम सरपंच को निर्दोष पाया और उसको बहाल कर दिया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केस हमारे राज्य के डिप्टी मिनिस्टर नन्दवाना साहब के पास आया और उन्होंने उस सरपंच को सस्पेंड कर दिया । जिसको एक फुल-फ्लेज्ड मन्त्री ने बहाल किया था । किसी प्रधान की रिपोर्ट के ऊपर, पंचायत समिति लूणकरणसर के प्रधान की रिपोर्ट के ऊपर, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट मैं सदन की मेज पर रखने के लिए लाया हूं, जिस ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लूणकरणसर के प्रधान ने नेशनल डिफेंस फंड के अन्दर ११ हजार रुपये का गबन किया है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Mr. Deputy Speaker, he should be asked to put the report on the Table of the House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं साइन करके रख दूंगा । उसमें एस्टेब्लिश किया है कि डिफेन्स फंड में प्रधान ने हजारों रुपयों का गबन किया है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : रिपोर्ट है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रिपोर्ट की कॉपी है, ओरीजिनल नहीं है । ओरीजिनल नहीं लाया । आप उससे मिला लीजिये । ओरीजिनल मौजूद है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गबन का प्रश्न नहीं है । इसकी कोई वेल्यू नहीं है । आप निराधार बात कह रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओरीजिनल बता सकता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बोगस है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिनके दिमाग में वेल्यू कायम कर रहा हूं वे मेरी बात सुन रहे है । आपके दिमाग में वेल्यू कायम नहीं करना चाहता ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य के बारे में बात कही, वह हाउस के बाहर कह सकते हैं । यहां उनकी जिम्मेदारी है हर सदस्य के मानस में जमाने की । इसके अलावा आप मिनिस्टर को एड्रेस मत कीजिये, हाउस को कीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं मिनिस्टर को नहीं कर रहा हूं, माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय की मार्फत, इस सदन के १७६ सदस्यों को अपनी बात कह रहा हूं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : अभी आपने कहा कि मैं तो, मंत्री महोदय को जो कहना था कह दिया, बाकी अन्य सदस्यों के दिमाग

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में लाने की जरूरत नहीं है । मैं यह कहूंगा हालाकि यह बात आपने मज़ाकिए तौर पर कही थी, मगर इस तरह मज़ाक नहीं करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने जिस महान तथ्य की ओर जिस महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं कि अगर कोई बात गलत कह दी और उन्होंने अपनी महानता के कारण मुझे समय पर अपनी नेक सलाह दी, मैं समझता हूं कि वे समय समय पर इसी तरह से अपनी नेक सलाह देते रहेंगे तो मैं उनका आभारी हूंगा ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर ने बड़ी जिम्मेदारी से उस केस को तय किया और उन्होंने जांच की....

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly be brief.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और उसको उस दोष से मुक्त किया वे नाथूरामजी मिर्धा हैं। मगर श्री नन्दवानाजी ने उन्हीं कारणों से उस व्यक्ति को दोषी पाया और उसे सस्पेन्ड कर दिया और अभी तक वह सस्पेन्डेड है और मेरा ख्याल है कि जब तक चुनाव होंगे वह सस्पेन्डेड ही रहेगा ।

मैंने एक प्रश्न पंचायत समिति, सूरतगढ़ के सम्बन्ध में पूछा कुछ समय पहले । सदन से उसमें यह जानकारी चाही थी कि क्या बिल नम्बर इतना इतना तारीख इतनी इतनी को बिल नम्बर इतना के जरिये जो सदन की प्रोसीडिंग में मौजूद है क्या इतना बीज प्रधान ने समिति को दिया ? तो सरकार ने स्वीकार किया कि दिया गया । मैंने आगे पूछा कि क्या प्रधान निजी व्यापार कर सकता है तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकता । तो मैंने पूछा कि जब उसने व्यापार किया है तो उसको प्रमुखशिप से क्यों नहीं हटाया, तो उत्तर कुछ नहीं दिया गया । उसने बीज समिति को दिये, इस बात को सरकार ने स्वीकार किया । उसने ट्रॉन्जेक्शन किया, इस बात को भी सरकार मंजूर करती है । मगर उस प्रश्न को पूछे करीब ६ या ७ महीने हो गये हैं, अभी तक उस प्रधान को नहीं हटाया गया है । वह प्रधान अभी भी प्रधान बना बैठा है और वह कौनसा दिन आवेगा जब उसको हटाया जावेगा; नया इलेक्शन आवेगा फिर भी वह जारी रहेगा ।

एक और दूसरी पंचायत का केस है उसमें अजीतसिंहजी ने अपने छोटे भाई शक्तिसिंह से १६ हजार का व्हीट लेकर वितरित किया था । मैंने प्रश्न पूछा कि व्हीट के वितरण का कोई हिसाब है और किससे खरीदा तो कहा गया कि कोई हिसाब नहीं है और उन्होंने अपने छोटे भाई से खरीदा । आप देखिये कि उसका कोई हिसाब नहीं रखा गया । छोटा भाई बेचने वाला और बड़ा भाई खरीदने वाला । वास्तव में कोई व्हीट खरीदा नहीं गया । यों ही सब एन्ट्री की गई । मगर सब कुछ होते हुए भी अभी तक वे सरपंच वहां मौजूद हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गंभीर से गंभीर केसेज हो जाते हैं, मगर हमारी सरकार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और सर्विसेज़ के लोग उसके बारे में किसी प्रकार का नोट लेना पसन्द नहीं करते। ऑडिट नोट लगाती है और फिर भी उसका कुछ नहीं होता और दूसरे गरीब लोगों के खिलाफ एक्शन लिये जाते हैं चाहे १०) रु० या ५) रु० का केस हो जाता है। यदि कहीं एक आध रसीद दर्ज करने में रह जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर कोई चतुर सेक्रेट्री कहीं हो तो सरपंच को धोखा दे जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उस सरपंच को अकाउन्ट्स के, हिसाब किताब के पचड़ों से अलग रखिये। आपने सेक्रेट्रीज़ के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान रखा, उससे बड़ा भारी असंतोष है। इसका कारण यह है कि जहां आप पंचायत के सेक्रेटरी को २००) रु० तनख्वाह देते हैं उसको आपने ५०) स्टीपेन्ड पर दो साल के लिये ट्रेनिंग लेने और क्वालीफाई करने का प्रावधान रखा है जिसके लिये वे तैयार नहीं हैं। इसलिये यह समस्या पैदा हुई।

आपने यह बहुत अच्छा विचार रखा है कि ग्राम सघ के आधार पर सेक्रेट्री रहे। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके पास तीन-तीन या चार-चार पंचायतें हैं, क्या वे उसकी देख-रेख अच्छी तरह से कर सकेंगे या नहीं; यह भी एक प्रश्न हमारे सामने आता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज आपने पंचायत सर्कल्स बनाये। उससे फैसिलिटी पैदा हुई है, मगर एक चीज की नितान्त आवश्यकता है और वह यह कि आप हिसाब-किताब के मामलों से सरपंच को मुक्त रखें और ऐसे कार्य करें जिससे सारा हमारा जो पंचायती राज्य है वह कामयाब हो, ऐसी कोशिश करें। आप क्वालिफाइड सेक्रेट्री को यह कार्य दीजिये और सारे अकाउन्ट्स की जिम्मेदारी उसको दीजिये और सरपंच को हिसाब-किताब से मुक्त कीजिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि मैं चाहता हूं कि सभी को अवसर मिले, लेकिन बिज़नैस काफी है इसलिये संक्षेप में ही बोलें।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : The amendment is not in order. Therefore, lot of time of the House has been unnecessarily wasted.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कटमोशन्स आये हैं वे अनुचित हैं और जो चिन्तायें उन्होंने व्यक्त की हैं वे अनुचित हैं। क्योंकि जो क्लॉज़ में अमेन्डमेन्ट चाहते हैं वह एक दम गलत है। इसलिये जैसा कहा गया है कि धारा ६ के क्लॉज़ (४) में मूल एक्ट में उन्होंने अमेन्डमेन्ट करने के लिए कहा है और उसमें यह कहा है कि जो यह क्लॉज़ रिलेट करता है "Liabilities and Duties" यह भी है, it does not relate to rights and duties of Sarpanch" और उन्होंने कहा है यह यह कहा है कि यह कांस्टीट्यूशन से डील करता है। अगर कांस्टीट्यूशन देखेंगे तो आपको मालूम होगा :

(श्री भीखाभाई)

"As soon as may be after the election of the Panchas and Sarpanch for a Panchayat, there shall be co-opted in the prescribed manner by the Panchas so elected from amongst persons qualified under this Act to be elected as Panchas:—

(i) two women, if no woman has been elected to the Panchayat,

(ii) one woman, if only one woman has been so elected, "

श्री उपाध्यक्ष : Do you mean the amendment is not concerned with the clause ?

श्री भीखाभाई : Yes, it is not, in order.

श्री उपाध्यक्ष : It does not relate to the clause ?

श्री भीखाभाई : No, Sir.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये ।

श्री भीखाभाई : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य जो इस समय यहां पर नहीं हैं, कहूंगा कि आदमी का दिल हो उसको हटा दीजिये और उसके स्थान पर भैंसे का दिल लगा दीजिये, ठीक इसी तरह से यह डिस्कशन हुआ । मैं यह निवेदन करूंगा कि ये जो अमेन्डमेंट्स हैं उनको रूल आउट किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसाद, श्री तेजाराम गहलोत और माननीय वाई. एन. डांडा ने रखे हैं वे स्वीकार किये जावे ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वे विथड्रा कर रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आर्सींद) : अगर मंत्री आश्वासन दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

ना पक्ष जीता । ना पक्ष जीता ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ६

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 7 is deferred :

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ८ से १२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ८ से १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

Clause 13 is deferred

(विराम)

Clause 14 is deferred

(विराम)

Clause 15, Shri Kesrisingh

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clauses 16 & 17 are deferred.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्लॉज़ १५ के मुतल्लिक आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 19.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ विधेयक का अंग बने।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : १९ में मेरा एक अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

Clause 20 is deferred.

(विराम)

Clause 21.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : क्लॉज़ १६ पर श्री रघुनाथ विश्नोई का अमेंडमेंट है, उन्हें मूव करने की इजाजत दी जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : No, Sir.

(शोरगुल—अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ १६ पर....

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्लॉज़ १६ पास हो चुका है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ को रीओपन करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

Clause 19 is reopened.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है मेरी बात सुन लीजिये। It cannot be re-opened.

श्री उपाध्यक्ष : It has been re-opened.

Yes, Shri Bishnoi.

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

In sub-clause (c), in sub-section (3) (a) proposed to be substituted, omit the words, "in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote"

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

Part (c) ; At the end of clause (b) of new snb-section (3) insert the following words:—

"but such co-opted member of any standing committee shall not have a right to vote and contest for chairman of the standing committee"]

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ १६ पर एक संशोधन है वह इस प्रकार है :

In sub-clause (c), in sub-section (3) (a) proposed to be substituted, omit the words, "in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote."

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इससे कॉउन्टिंग में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिये मेरा अमेंडमेंट है कि इसका सिम्पल प्रोसीजर होना चाहिये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का, जो इसके लिये प्रावधान रखा गया है उसको न रखकर सिम्पल प्रोसीज़र को ही रखा जाय। इसी मूल भावना से मैंने यह अमेंडमेंट रखा है ताकि आगे गलतियां नहीं हों।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मसला है, इस अमेंडमेंट को लाकर यह चाहते हैं कि मेजोरिटी ही हमेशा छाई रहे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव होने पर हर व्यक्ति को रिप्रेजेन्टेशन मिलने का चान्स रहता है, पर ये चाहते हैं कि जो पार्टी बहुमत में है वही छाई रहे, सब स्थाई समितियों पर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस सिस्टम से आप गिनती कर सकते हैं?

श्री राधाकृष्ण गोयल : हां, कर सकते हैं। इसलिये यह जो अमेंडमेंट मूव किया गया है वह उचित नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट एक दम सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ है और सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ है। सिलेक्ट कमेटी ने सब परिस्थितियों पर विचार करके, यह सिफारिश की थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर इन समितियों का इलेक्शन होना चाहिये, इसे सिलेक्ट कमेटी ने पास किया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के अभाव में विरोधी पक्ष के लोग तीन-तीन साल तक एक बार भी इन समितियों में नहीं आ पाते हैं और इस तरह से सामुहिक विकास नहीं हो पाता है। माइनोरिटी के लोग बराबर तीन साल तक नहीं आ सकते इसलिये जो इसमें प्रावधान रखा गया है उसको डिलीट करना कतई गलत है। यह उतना ही महत्वपूर्ण संशोधन हैं जितने कि मिनिस्टर महोदय द्वारा रखे गये संशोधन हैं। पार्टी बाजी को मिटाने के लिये यहव्यवस्था रखी गई थी, उसको निरर्थक करने वाला यह संशोधन है। पार्टीबाजी और भेदभावों को मिटाने के लिये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है ताकि सब ही विचारधारा के सदस्य वहां पहुंच सकें और विकास कर सकें। इस दृष्टि से इस क्लॉज़ को भी और डेफर्ड क्लॉजेज़ की तरह डेफर कर दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाला।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्लॉज १६ के सम्बन्ध में मैं बोलना चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इसको डेफर कर दीजिये। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस गति से यह क्लॉज पास हुआ तथा उप मंत्री की रिक्वेस्ट पर रीओपन हुआ था तो यह स्पष्ट है कि जो अमेंडमेंट मूव किया गया है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि मन्त्री महोदय द्वारा मूव किये हुए अन्य

(श्री विजयसिंह झाला)

अमेंडमेंट्स हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इस क्लॉज को भी डेफर कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एम. एल. एज. में कोई ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर हुए वोटिंग की गिनती कर सके। जितने इस पर बोले में उनमें से एक भी इस प्रकार गिनती नहीं करवा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Let the person moving the amendment speak.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने कहा कि एक भी मेम्बर से पूछ लिया जाय कि क्या वे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन पर गिनती कर सकते हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो बोले हैं उनमें से।

श्री उपाध्यक्ष : That is out of point please.

अनर्गल बातें न हों। श्री झाला को पहले बोलने दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसे डेफर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : There is an amendment by Shri Jhala.

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १६ के अन्तर्गत मेरा एक छोटा सा अमेंडमेंट है और मैं यह समझता हूं कि सादिकअली कमेटी ने कोऑप्शन के प्रति रिपोर्ट दी है वह अच्छी नहीं है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा यह अमेंडमेंट है। स्टैंडिंग कमेटी के अन्दर इस बिल के अनुसार ७ सदस्य होंगे। अमेंडमेंट रखने से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि दरअसल में सारे का सारा कार्य पंचायत समिति का स्टैंडिंग कमेटी के मार्फत होता है और जो निर्णय स्टैंडिंग कमेटी में लिया जाता है वह साधारणतया पंचायत समिति में परिवर्तित नहीं किया जाता। तो ऐसी हालत में जितना भी बिज़नेस होता है, जैसे बजट पास होता है उसका वितरण भी स्टैंडिंग कमेटी के मारफत होता है। अब इसके अन्दर ५ होंगे पंचायत समिति के इलेक्टेड सदस्य और दो सदस्य कोऑप्टेड किये जाते हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के अन्दर और उसके ऊपर रोक नहीं लगाई है, उनको वोटिंग का भी अधिकार दिया है और उन कोऑप्टेड मेम्बर्स में से कोई चेयरमैन भी बन सकता है। जहां एक शिड्यूल्ड कॉस्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोऑप्शन करते हैं और वह कोऑप्शन से पंचायत समिति में आता है और उसके बाद में वह प्रधान के लिए खड़ा नहीं हो सकता और बहुत सी जगह उनको वोट देने का अधिकार नहीं रखा है। ऐसी हालत में ऐसी महत्वपूर्ण कमेटी के अंदर सारे के सारे आदमी बाहर से देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने कोऑप्शन रखा है कि कोई एक्सपर्ट आदमी जो इसके अंदर विशेष नौलेज रखता हो वह उस कमेटी में शामिल करने की आवश्यकता है तो इसका तो मैं स्वागत करता हूं। उसकी विशेष राय के

(श्री विजयसिंह झाला)

लिए दो की जगह तीन या चार रखिए, लेकिन उन सदस्यों को इस प्रकार का अधिकार दे दें कि उसमें वे वहां अगर चेयरमैन हो जायं या उसको वोटिंग का अधिकार मिल जाय तो मेरी समझ में जिस उद्देश्य के लिए यह बिल रखा गया है उसकी हत्या होगी। अतः मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि at the end of clause (b) of new sub-section (3) insert the following words: "but such co-opted member of any Standing Committee shall not have a right to vote and contest for Chairman of the Standing Committee.

अर्थात् जो इस प्रकार से कोऑप्टेड मेम्बर्स होंगे स्टेंडिंग कमेटी के अंदर केवल उनको राय देने का अधिकार होना चाहिए। वह चेयरमैन के लिए खड़ा नहीं हो सकता और उन्हें किसी प्रकार प्रोसीडिंग्ज़ के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इस संशोधन के साथ मैं माननीय विश्नोईजी ने जो संशोधन रखा उसका मैं विरोध करता हूं। आज जितनी भी पंचायत समितियों के अन्दर पार्टीबाजी होती है उसका मुख्य कारण यह है कि एक जो ग्रुप होता है वह अपना सर्वत्र साम्राज्य फैलाता है, चाहे राजनैतिक आधार पर या किसी विशेष ग्रुप के आधार पर लेकिन जब तक हम पार्टीबाजी पंचायती राज से नहीं निकालेंगे तब तक स्थाई रूप से आगे नहीं बढ़ सकते।

दूसरे मौजूदा प्रणाली के अनुसार जहां १६ और १८ का सवाल आएगा तो पांचों स्टेंडिंग कमेटियों में से १६ आदमियों के ग्रुप के आदमी आ जायेंगे और १८ आदमियों का जो मेजर ग्रुप है वह सारे का सारा वंचित रह जाता है। मेरी समझ में इस आधार को हम प्रजातन्त्र के लिए सही सिद्धान्त और अच्छा सिद्धान्त मानते हैं तो केवल इसलिए कि इसकी नोलेज नहीं है, केवल हम जानते नहीं है, हमारे ऑफिसर्स उसको करवा नहीं सकते हैं और इस सिद्धान्त को नहीं अपनाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यदि आपने यह प्रावधान रखा तो स्टेंडिंग कमेटी में केवल एक ही ग्रुप का साम्राज्य होगा और पार्टीबाजी खत्म नहीं हो सकती। विश्नोईजी केवल इसी आधार पर संशोधन लाए हैं कि वे जानते नहीं हैं इसलिए हम इसको अपनाएं नहीं। इसे मैं उनकी बुद्धि का दीवालियापन कहूं या और कोई शब्द कहूं। हम नहीं कर सकते इसलिए अपनाना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अमेंडमेंट्स मूव करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : No supporters. Minister.

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

There is oneannouncement to be made.

श्री रामप्रसादलड्ढा :(उप-मंत्री,राजस्व) थोड़ी देर पहले बहस के दौरान में सदन की यह राय थी कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए कुछ समय बढ़ाया जाय। इसलिए मैं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रस्ताव करता हूं कि आज की बहस के बाद कल विधान सभा १० बजे से ६ बजे तक हो। इस तरह से दो घंटे इस विधेयक पर विचार करने के लिए बढ़ जायं और उस अवधि में पास किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने सभी दलों के कई व्यक्तियों से सलाह की है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

(अनेक सदस्य बोलने लगे)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कल इम्पोर्टेंट डिबेट है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कल नहीं हो सकता। कल फूड डिबेट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १० बजे से ११ बजे तक क्वेश्चन आवर, ११ बजे से ४ बजे तक फूड और फ्लड डिबेट और ४ से ६ बजे तक यह पंचायत बिल और उसके संबंध में मैंने हर पार्टी के माननीय सदस्यों से बातचीत कर ली है।

श्री मानसिंह महार : मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस पंचायत बिल पर जल्दबाजी की जा रही है, यह जितना ही महत्वपूर्ण बिल है उतना इसको समय नहीं मिल रहा है और हमारे चुनाव मंत्री ने चुनावों को भी जनवरी तक सिरका दिया है, तो हमें कोई एतराज नहीं, यदि दीवाली के बाद भी हम बैठ और थ्रेडबेयर डिस्कस करें। हम जल्दी में नहीं हैं; जब चुनाव नवम्बर में होने वाले थे तो आपको भागने की जल्दी थी, अब दीवाली के बाद जितने दिन चाहिए रखिए। कांग्रेस के व्हिप खुद चाहते हैं कि इन चीजों को खुद डिस्कस किया जाय। इसलिए मैं सदन से और खास तौर से उस तरफ बैठने वाले मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अब इस विधेयक को दीवाली के बाद ले लिया जाय। हम लोग तैयारी करके आएंगे और दीवाली के बाद प्रेम से बहस करेंगे और इसे पारित करेंगे। हम भी बड़े प्यारे प्यारे सुझाव देंगे और यदि आप उन्हें मन्जूर करेंगे तो आपके भी जो कटु सुझाव होंगे तो हम भी मन्जूर करेंगे। जो भी विधेयक लाना है लाएं, इस समय काफी वर्क आपका सफर कर रहा है। चुनाव मंत्री ने कहा था कि कई विधेयक रह जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि दीवाली के बाद इसे रख लिया जाय। जितना महत्व इस बिल का है उसको ध्यान में रखते हुए खूब बहसे करके इसे पारित किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बातें सदन के सामने रखनी हैं आपकी मार्फत।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई डिबेट का तो प्रश्न नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इलेक्शन आगे सिरक गये हैं, तब क्या जल्दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खेद इस बात का है कि उनकी पार्टी के सेक्रेटरी से, व्हिप की सलाह से फैसला किया है। फिर इसका विरोध करते हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। That means you are not following the discipline of your party.

Page No. 117

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, तमाम तथ्यों को मिसरिप्रेज़ेन्ट किया जा रहा है। इसमें मुझे निवेदन करने का मौका दिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ये किसी पार्टी के हैं या बिना पार्टी के ?

श्री गिराधरीलाल व्यास (आसीन्द) : न इनके कोई अध्यक्ष है और न कोई सेक्रेट्री।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कहा गया है कि आपकी पार्टी के लीडर और व्हिप से मिले हैं।

श्री मानसिंह महार : हमारी पार्टी के न व्हिप से बात हुई है और न लीडर से।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस समय आप तशरीफ नहीं रख रहे थे, जो भी आपके स्थान पर थे उनसे बात कर ली। उनके सेक्रेट्री और व्हिप से बात हुई थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम से कोई बात नहीं हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री मानिकचन्द सुराणा व्हिप हैं और श्री उमरावसिंह ढाबरिया सेक्रेट्री हैं; उनसे बात हुई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर ऐसा है तो मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कम्युनिस्ट पार्टी से कोई बात नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के व्हिप से बात हुई है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नम्रता से मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं, मुझे कहने का मौका दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information, Sir,...

श्री नत्थीसिंह : आपने फरमाया कि "you are not following the discipline of your party"; मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हमारे व्हिप और सेक्रेट्री से आपने पूछा भी है तो उन्होंने अभी तक हमें सूचना नहीं दी है, ऐसी हालत में यह कहना कि पार्टी के सेक्रेट्री और व्हिप से सलाह कर ली गई है और इस प्रकार का हमारी पार्टी पर रिफ्लेक्शन डालना, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। आप कभी इसमें क्या तय करते हैं, थोड़ी देर पहले क्या तय किया और अभी आपने यह कर दिया, मर्जी चाहे जिस प्रकार आप तय करते हैं और इस प्रकार लेजिस्लेशन पास करते हैं, रात को मन में आया वैसा सुबह आकर तय करवा लेते हैं, यह कोई तरीका नहीं है लेजिस्लेशन पास कराने का, यह तो गांव की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम सही रूप में रख नहीं सकते हैं। मर्जी चाहे जब हटा दें, मर्जी चाहे जब इसको पास कर दें।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of information Sir, मुझे जन संघ पार्टी की ओर से बुलाया गया। मैंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। मैंने अपनी पार्टी की

(श्री विजयसिंह झाला)

ओर से इन्फोर्मेशन दी थी कि ३० तक हम इस पर कतई विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सारी पार्टी की राय है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीडरसाहब से भी पूछा है मैंने, और से भी पूछा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। फूड और नोकॉन्फिडेन्स मोशन ये इम्पोर्टेन्ट डिबेट्स हैं। दूसरे मसलों को यदि लेंगे तो उन पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी की चाल हो सकती है कि फूड और नोकॉन्फिडेन्स के मोशन पर जो डिबेट्स होंगी ओर इस ओर माननीय सदस्यों को ध्यान देना होगा, इसलिए उनके ध्यान को इस ओर से हटा कर इस ओर लगा दिया जाय, क्योंकि जब इस पर डिबेट होगी तो उनका ध्यान इस ओर बंट जावेगा और इस कारण उनकी ओर ध्यान नहीं दे सकेंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि इस डिबेट को कल परसों चलाना है तो आप नोकॉन्फिडेन्स मोशन को दीपावली के बाद लें। सेशन दीपावली के बाद चले ही, यह हमारी जिद नहीं है। पंचायतों के नवम्बर के आखिरी सप्ताह में चुनाव होने थे इसलिए हम भी इसको एडजोर्न करना चाहते थे। हमने भी मांग की था कि सेशन आगे न चले। अब यदि चुनाव नहीं हो रहे हैं तो दीपावली के बाद इसको लें, तो क्या एतराज़ है ? यदि किसी ज्योतिषी से पूछ लिया है कि ३१ के बाद असेम्बली चलायेंगे तो बन्टाधार हो जायगा, तो ज्योतिषी की राय हो तो और कोई बात है, वर्ना ज्यादा दिन चले उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पांच दिन और ज्यादा बैठेंगे, दीपावली पर घर जाकर और फिर आकर बैठ सकते हैं। दीपावली दो दिन नहीं एक दिन रखिये, लेकिन यह नहीं हो सकता कि डिबेट को कर्टेल करें या उसमें मिक्श्चर एड करें, इसलिए असली मुद्दे पर न रह सकें और उससे डेवियेट हो जांय। मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करूंगा, वे पार्लियामेन्टेरियन हैं, पार्लियामेन्टेरियन स्प्रिट को मानते हैं और एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, इस डिबेट में इस प्रकार का रुख न अपनायें कि इन डिबेट्स में लोग अच्छी तरह से भाग न ले सकें और इम्पोर्टेन्ट मैटर्स हैं उनमें इसको शामिल कर लें और दोनों का चित्र सही रूप में उपस्थित नहीं कर पायेंगे। सेशन ३१ तक खत्म होने वाला है। और भी इम्पोर्टेन्ट मेटर्स हैं लेने के लिए जैसा कि कहा गया था। इस सम्बन्ध में विधि मन्त्रीजी अभी निर्णय न ले सकें तो सारे मंत्रि-मंडल से आधी रात को बैठकर तय कर लें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सदन को ३१ तारीख तक चलाने का प्रश्न है, मेरा ख्याल है विरोधी दल के सभी माननीय नेताओं से माननीय स्पीकर साहब ने विचार करके यह तय किया था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उस वक्त चुनाव पंचायतों के नवम्बर में कराये जाने की बात थी।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे बात तो पूरी कहने दो। १ नवम्बर को माननीय स्पीकर साहब हिन्दुस्तान के बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं इसलिए और भी जरूरी है....

श्री मानसिंह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय चला लेंगे; स्पीकर साहब बाहर पधार जावेंगे तो यह तो चेयर पर एस्पर्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लें उनको।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मुझे यह कहना है कि आप (श्री मथुरादास माथुर) को उपाध्यक्ष महोदय की योग्यता में अविश्वास है कि वे सदन की कार्यवाही नहीं चला सकेंगे। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि आप ये शब्द वापिस ले लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष के चुनाव फिर क्यों होते हैं? डिप्टी स्पीकर की फिर क्या जरूरत है?

श्री मथुरादास माथुर : डिप्टी स्पीकर साहब के उत्तरदायित्व को उछालना इस तरह से, उससे फायदा होगा यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

राज्य सरकार ने विचार करने के बाद में यह फैसला किया है कि यह सदन कई कारणों से, जो मैंने रखे हैं, और भी कई कारण हैं, ३१ तारीख के बाद चलाने में असमर्थता प्रकट करती है एक बात।

श्री मानसिंह महार : और क्या कारण है? उस रोज हमें स्पीकर साहब ने नहीं बताया था।

श्री मथुरादास माथुर : सब को बता दिया था।

श्री मानसिंह माहर : आप हमको पार्टी भी बनाना चाहते हैं और कारण भी नहीं बताना चाहते हैं। आप कारण बताइये। अब तो जल्दी पंचायतों के चुनाव नहीं होने वाले नहीं हैं। परसों हमसे कहा कि चुनाव जनवरी में होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : पंचायत चुनावों के बारे में एक अमेन्डमेन्ट आया है। सदन उसको पास नहीं करेगा तो चुनाव उन्हीं तिथियों में कराने पड़ेंगे। जब तक आप इस अमेन्डमेंट तो पास नहीं कर देते मुझे कोई अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक निवेदन करूं। आप वह अमेन्डमेंट पास करा लें जिसके कारण हाउस को एक्सटेन्ड कराने में मजबूरी आ रही है। श्री भीखाभाई से निवेदन करूंगा कि वे अमेन्डमेन्ट पेश कर दें और पास करवा लें।

श्री मानसिंह महार : या उसको ड्रॉप कर दीजिये। नवम्बर में ही चुनाव करा लीजिए और उसको विद्ड्रॉ कर लीजिये। We have no objection. जनवरी में कराना चाहते हैं तो उसको आगे पास करा लीजिए। असेम्बली को कन्टीन्यू कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसमें अधिक नहीं कहना चाहता। हर बात पर यह तो जवाबदावा वाली बात हो गई। राज्य सरकार का निर्णय है उस पर कह रहा हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

हमारे सब साथियों ने इस पर विचार किया है सदन की यह इच्छा थी कि इस बिल पर जल्दी न की जाय, हमने कहा जल्दी नहीं की जो अनडिस्प्यूटेबल हैं उनको आज पास कर लें और बाकी कल कर लें, बाद में कर लें। उस दृष्टि से आपके उधर के माननीय सदस्यों से बात करके यह तय किया है, सब की एक राय हो जाना ना-मुमकिन है। सब की यह राय थी कि चार बजे तक फूड-डिबेट हो जाय और बाद में इसको ले लिया जाय। इससे फूड डिबेट पर कोई दिक्कत नहीं होती है। उतना ही समय रख दिया गया। क्वेश्चन अवर १० से ११ और ११ से ४ बजे फूड डिबेट और उसके बाद ६ बजे तक इसको पास कर दिया जाय। दो घंटे के अन्दर आज बहुत सी क्लॉजेज़ हो जाने के बाद कल काफी हो जावेंगी। लड्ढा साहब ने माननीय सदस्यों से, व्हिप, सेक्रेटरी से पूछ कर यह प्रस्ताव रखा था। हम इतना सहयोग करते हैं, आप सबको हम को सहयोग देना चाहिये, दो-चार घंटे अधिक बैठ कर इसको पास कर सकते हैं। मैं समझता हूं, आप उसको मंजूर करेंगे। उसके बाद इससे आगे हमारे पास कोई साधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है........

श्री **मानिकचन्द सुराना** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि फूड की डिबेट के साथ में और डिबेट न किया जावे। ३१ को पंचायत बिल पर विचार कर लिया जावे और पास कर लिया जावे। चूंकि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई और स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि ने कर दिया कि दो घन्टे बहस करना चाहते हैं इसलिए मजबूरन हम पर भी यह बात थोप दी गई है कि १० से ४ बजे फूड पर बहस हो और चार से छः बजे तक पंचायत पर बहस होगी।

पर हमारा निवेदन उस वक्त यही था कि यह उचित नहीं है, उचित यही है कि ३१ तारीख को बहस की जावे पंचायत पर और अब भी यही निवेदन करना चाहूंगा; जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद यदि बहुमत से ही निर्णय होना है तो निश्चित रूप से हम अल्पमत में हैं और बहुमत का निर्णय है तो मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कल के बिज़नेस में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव माननीय उपमन्त्री ने रखा है, उसको पारित किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह लिखित रूप में आना चाहिए और इसके बाद में उस पर मत लिए जा सकते हैं। यह रूल्स के अन्तर्गत है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वह तो टाइम के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : Any amendment...

श्री भैरोंसिंह : यह कोई भी रिपोर्ट हो; बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट हो,

(श्री भैरोंसिंह)

हाउस में जितने मोशन्स मूव किये जावें चाहे अमेन्डमेन्टस हों, मोशन्स हों, बिल्स हों, कट मोशन्स हों-बिना राइटिंग के मूव नहीं किये जावें किसी भी प्रकार का मोशन बिना राइटिंग में दिये मूव करना अलाऊ नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में रूल्स क्लीयर हैं और चेयर की तरफ से दी हुई व्यवस्थाएं क्लीयर हैं और उसके बावजूद भी ऐसा समझते हैं कि जिस समय चाहें उस समय कि मोशन है, वोट लिए जावें उस पर, तो इसका अर्थ यह होगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर की वकत नहीं है। जिसमें किसी समय जब मेम्बर की मर्जी आवे खड़ा होकर कह दे कि मूव कर दिया उसी को आप अलाऊ करेंगे, तो कल हम भी मूव करेंगे। तो यह परम्परा इस तरह से चली तो फिर आप डिवीज़न कराते रहिये। इसका अन्त नहीं होगा। इसलिए व्यवस्था यह है कि कोई अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता है तो Let him move in writing.

श्री मथुरादास माथुर : यह उस तरह का प्रस्ताव नहीं है जिसका जिक्र जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। वैसे हाउस का संचालन करना आसन का काम है और आसन ही समय मुकर्रर करते हैं, इस लिए सैन्स यही था हाउस का इसलिए रखा है और सेन्स जानने के बाद में आसन चाहे तो मूव करे या न मूव करे। टाइम बढ़ाने का सवाल है। जैसे रोज बहस जब होती है पांच बजे समाप्त होती है, तो अगर आगे बढ़ने की सम्भावना होती है तो दस-बीस मिनट या आधा घंटा, पौन घंटा आसन द्वारा बढ़ाया जाता है और हाउस की सेंस पर रूलिंग हो जाती है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि कल १० से ६ बजे तक सदन की बैठक हो।

श्री मथुरादास माथुर : Th Speaker himself can say that the House is adjourned to meet tomorrow at 10 A. M. The Speaker himself is empowered.

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order sir……

श्री मानसिंह महार : हमारा व्यू पोइन्ट भी ले लिजिये इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में माननीय भैरोंसिंहजी ने जो आपत्ति उठाई है कि यह अमेंडमेंसट का मोशन लिखित में हो। तो मोशन कई प्रकार के होते हैं, सब्स्टेन्टिव और अमेंडमेन्ट सम्बन्धी भी और कई प्रकार के होते हैं। बिल का मोशन होता है और जो समय पर तुरन्त अमेन्डमेंन्ट का मोशन किया जाता है, लिखित होने की आवश्यकता नहीं भी होती। शाब्दिक परिवर्तन का मोशन होता है वहां लिखित की आवश्यकता नहीं होती।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमन्डेशन में अमेन्डमेन्ट का प्रश्न आए अथवा जहां नहीं ऐसा अन्मेडमेन्ट आता है, तो वहां आसन की जिम्मेदारी हो जाती है अगर

Page No. 122

(श्री उपाध्यक्ष)

वह यह देखे कि समय बढ़ाना–घटाना जरूरी है तो इसलिये मैं सदन की केवल मन्शा जानना चाहता हूं कि कल १० से ६ तक यह कार्यवाही रखी जावे या नहीं ?

श्री मानसिंह महार : हम अपना पॉइन्ट रखना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है कि सदन की बैठक प्रातः १० से ६ बजे तक हो ?

श्री नत्थीसिंह : इस सदन की बैठक १० से ६ तक रखी जाय । इस अमेन्डमेंट पर अगर विचार किया जा सकता है तो इससे पहले मेरे अमेन्डमेंट पर सदन की राय पहले ली जावे जो मैंने रखा था कि इस पंचायत बिल पर विचार ३१ तारीख को चले । अगर राय जानना ही है तो मेरे अमेन्डमेंट पर जानिये ।

श्री विजयसिंह झाला : इस तरह तो यह तानाशाही है । आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मोशन पुट हुआ तो पहला निगेटिव हो जाता है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पहले मेरे अमेन्डमेंट पर राय लीजिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अव्यवस्था ये स्वयं फैलाना चाहते हैं ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से हम सदन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या आपस में मन-मुटाव की बात नहीं करना चाहते । यह मैं क्लीयर करदूं और सरकार की तरफ से भी हमें सहयोग की आवश्यकता है । मैं एक बार फिर सरकारी पक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वह हमारे सहयोग की वकत करे । वह अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर फैसला करने की आदत छोड़े । अगर सदन को आज दस-पन्द्रह मिनिट बढ़ना हो तो वह कर लीजिये । पर बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी का फैसला था और उसके अन्दर इस समय अमेन्डमेन्ट लाना बिना लिखे, बिना सूचित किये और यह कह कर लाना कि सब ने एग्री कर लिया था, यह सरासर अन्यायपूर्ण है । स्वतन्त्र पार्टी........

श्री उपाध्यक्ष : I cannot go against the will of the majority. The will of majority has to...

श्री मानसिंह महार : The majority may have its way, but let us have our say. We have other ways, if the majority is adamant. We will not attend the House tomorrow if the majority thinks that they can force us. हम उड़ीसा वाली करके दिखा सकते हैं । आपको हाउस को स्थगित करना पड़ेगा । पर हम यह नहीं चाहते ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, ये धमकी पूर्ण भाषा न बोलकर जिस तरह हम सहयोग करते हैं वे भी हमारे साथ सहयोग करें ।

श्री मानसिंह महार : हम तो सहयोग का प्रस्ताव करते हैं और अगर सरकार उसे

(श्री मानसिंह महार)

नहीं मानती है तो उड़ीसा वाली हालत हो सकती है। इसे उनको नहीं भूलना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : उड़ीसा वाली हालत ला सकते हैं तो उसका जवाब देनेवाले भी सदन में मौजूद हैं, मरे नहीं हैं। उड़ीसा की धमकी देते हैं। क्या उड़ीसा में कर लिया और क्या यहां कर लेंगे? आपकी पार्टी के लिये यह शोभा नहीं देता। नेता कुछ और कहता है और अनुयायी कुछ और।

श्री मानसिंह महार : बिलकुल गलत बात है यह कहना कि नेता कुछ और कहता हैं और हम कुछ और, फिर यह कह देना कि धमकी का सवाल खड़ा हुआ है, गलत है। हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। हम तो कोऑपरेट करना चाहते हैं और हमसे जितना होता है करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सदन का रेकार्ड देख लीजिये। उन्हों ने, सदन के नेता ने, कहा है कि आज तो हम डिस्प्यूटेबल क्लॉज़ ले लें और बाकी बाद में देख लें। बहुत अच्छा सुझाव है, रीजनेबल है। आप प्रोसीडिंग पढ़ लें। तो नेता यह कहते हैं और दूसरे मेम्बर्स कुछ दूसरी बात कहते हैं। हमें पता नहीं कि आपके नेता की बात आप नहीं मानते।

श्री मानसिंह महार : ठीक है, मैंने कहा वह भी देखिये। अब मेरे नेता क्या कहते हैं, खुद ने क्या कहा; स्पीकर के सामने क्या तय हुआ, यह देखा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया। सदन की बैठक कल १० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ५ बजे दिनांक २७ अक्टूबर, १९६४ को म. पू. १० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा व्हीलबेरोज आदि खरीदने हेतु नगरपालिकाओं को दी गई सहायता की सूची

क्रमांक	वर्ष	नगरपालिकाओं की संख्या जिनको सहायता दी गई	स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
१	१९६१-६२	५	१,५८,०००
२	१९६२-६३	६४	२,००,०००
३	१९६३-६४	१३५	२,०९,०००

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६० का उत्तर देखिये)

दिनांक	कहां से कहां जीप लेजाई गई	विवरण
२२–१–६३	गंगापुर से करौली	विद्युत् एवं परिवाहन मन्त्री के दौरे के कार्यक्रम के बारे में विचार एवं जानकारी लेने हेतु ।
२२–२–६३	गंगापुर से कुडगांव	विद्युत् एवं परिवाहन मन्त्री के दौरे के कारण ।
६–४–६३	गंगापुर से महावीरजी	ग्राम नेता प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य मौके देखने के लिये पंचायत समिति क्षेत्र रायपुर रेणडाल होती हुई जीप महावीरजी तक गई ।
२५–४–६३	गंगापुर से करौली	पीलोदा एवं खंडीय मेमिरिल स्कूल खोलने के बारे में शिक्षा निरीक्षक से विचार-विमर्श करने हेतु ।

परिशिष्ट: ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ का उत्तर देखिये)

सूची

क्र. सं.	क्षेत्र जिलों में	ट्रान्सपोर्ट वाहनों की संख्या	हैडक्वार्टर
१	२	३	४
(१)	अ० गंगानगर ब० बीकानेर स० चूरू	३०२२	गंगानगर
(२)	अ० उदयपुर ब० डूंगरपुर स० बांसवाडा	१३८४	उदयपुर
(३)	अ० भीलवाड़ा ब० चित्तौड़	५२२	भीलवाड़ा
(४)	अ० कोटा ब० बूंदी स० झालावाड़	१६१०	कोटा
(५)	जयपुर	३६८०	जयपुर
(६)	अ० सीकर ब० झुन्झुनू स० सवाई माधोपुर	६१८	सीकर

(७)	अ०	अलवर		
	ब०	भरतपुर	१५६७	भरतपुर
	स०	टोंक		
(८)		अजमेर	६२१	अजमेर
(९)	अ०	जोधपुर		
	ब०	पाली	११८१	जोधपुर
(१०)	अ०	बाड़मेर		
	ब०	जालौर		
	स०	सिरोही	६०८	जोधपुर
	द०	जैसलमेर		
	द०	नागौर		
(११)		एक्सीडेन्टेड व रोडवेज़ की गाड़ियों का व टैक्सी इन्स्पेक्शन व लीव-रिलीफ़		हैडक्वार्टर ट्रान्सपोर्ट डाइरेक्टोरेट

* शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २६ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४	४	कृप्या	कृपया
१०	शीर्षक	प्रश्नोत	प्रश्नोत्तर
१६	१	बास	बस
१७	शीर्षक	प्रन्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
२६	,,	२६ अक्टूब ६४– तारांकित प्रश्नोत्तर	२६ अक्टूबर, ६४– तारांकित प्रश्नोत्तर
४०	,,	प्रश्नतोर	प्रश्नोत्तर
४२	८	सान्ईस	साइन्स
५०	१२	माथु	माथुर
५१	शीर्षक	—	तारांकित प्रश्नोत्तर
५७	१२	श्री रमुलीधर	श्री मुरलीधर
५८	अन्तिम से २	श्री भवानीशंकर नंदवान	श्री भवानीशंकर नंदवाना
६१-६२	शीर्षक	२३ अक्टूबर	२६ अक्टूबर
६६	१५	विरूघ	विरुद्ध
७४	शीर्षक	प्रश्कोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	७	अतारांकित	अतार कित
,,	१८	वष	वर्ष
,,	अन्तिम से २	यूची विस्धृत	(सूची विस्तृत
८८	शीर्षक	प्रस्तावक	प्रस्ताव
८९	,,	गिरवा न.	गिरवा त.
९०	,,	प्रस्याव	प्रस्ताव
९३-९४	,,	स्थगन प्रस्तावों विषयक	रबी की फसल खराब होने–२६ अक्टूबर,६४–विषयक स्थगन-प्रस्ताव

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१००	शीर्षक	(संशधन)	(संशोधन)
१०४, १६८,	,,	संशोधन यिधेयक	(संशोधन) विधेयक
११७	शीर्ष	(उमरासिह	(श्री उमरावसिंह
१३२,१८२ १८४	शीर्षक	(संशोधन विधेयक, ६४)	(संशोधन) विधेयक, ६४
१३७	,,	मिधि	विधि
१४२	१६	clearification	clarification
१४५	शीर्षक	पंच्ायत।	पंचायत
,,	शीर्ष	हाडां	हांडा
१५७	शीर्षक	पंचाय	पंचायत
१६१	१७-१८	raispeinduging a point cf	raising a point of
,,	१६-२०-२१	No Fresh point select of order cain be raised until the point of orper is disposed of.	No fresh point of order can be raised until the pending point of order is disposed of.
१६२	६	pleasc	please
१७६	शीर्ष	श्री उपाध्यक्ष Order plerase	श्री उपाध्यक्ष : Order please.
१८८	५	Ot order	of order
२१५	शीर्षक	विधि पंचायत	पंचायत विधि
२२१	,,	पचायत	पंचायत
२४२	६	Th	The

* विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।